लोक सभा

मंगलवार,
३१ अगस्त, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Held
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६. ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

———

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

———

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४६२ . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साइकल उद्योग पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*२८०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या साइकिल-उद्योग-रक्षा के लिये प्रशुल्क आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या बातें मालूम की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

श्री डी० सी० शर्मा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या साइकिल की किस्म के प्रमापीकरण का प्रश्न भी विचाराधीन है ?

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : ज्यों ही सरकार उस पर विचार कर चुकेगी, संविधि

के अनुसार मुझे सरकारी संकल्प अथवा निर्णयों को पटल पर रखना है और मैं सम्भवतः इसे एक सप्ताह के अन्दर कर सकूंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भिन्न भिन्न कारखानों के लिये उत्पादन के बंटवारे का निर्णय भी सरकार ही करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं, किन्तु प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों द्वारा पैदा होगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसमें प्रतिदिन निर्णय होता रहेगा। यदि सरकार को इस के लिये मजबूर ही किया गया तो सरकार इसे प्रतिपादित करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा: मैं जानना चाहता हूं कि इन साइकिलों के लिये कोई ऐसी श्रेयस्कर व्यापारिक सुविधायें दी जायेंगी जिनसे किसी दूसरे देश से आयात की कोई आवश्यकता न रहे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आयात तथा स्थानीय उत्पादन का प्रश्न मांग से सम्बन्धित है। उत्पादन एक विशेष आंकड़े तक रखा जा सकता है, जैसे ४००,०००। यदि मांग दिन प्रति दिन बढ़ती रहे, जैसी कि बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि वह

बढ़े, तो हमें बाक़ी साइकिलों का आयात करना होगा ।

औषधि निर्माण सम्बन्धी जांच समिति

*२८१. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फार्मेस्यूटिकल (औषधि निर्माण सम्बन्धी) जांच समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उस की क्या सिफारिशें हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) हां, श्रीमान् । समिति का प्रतिवेदन छापा जा रहा है और जल्दी ही पटल पर रखा जायगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भारतीय व्यापार में विदेशी निर्माताओं की भागीदारी से मध्यम और अन्तिम श्रेणियों का उत्पादन हो रहा है और वे देश के बुनियादी कच्चे माल का उपयोग नहीं कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस का प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री वी० पी० नायर: हमें दिये गये विवरण में यह लिखा है कि "चाहे उत्पाद आयात किये गये मध्यम और अन्तिम श्रेणी के सामानों से बना हो या बुनियादी कच्चे सामान और रसायनों से"....यह भी एक निर्देशपद मालूम पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय: यह सब ठीक है। प्रतिवेदन आने दीजिये ।

श्री वी० पी० नायर मैं पूछता था कि क्या समिति ने प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बातों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न से यह बात पैदा नहीं होती ।

श्री वी० पी० नायर : उत्पन्न होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने आयात की गई दवाइयों और रसायनों के मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा के सम्मुख आ जायगा ।

श्री बंसल: मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन पर बहस करने के लिये क्या सभा को अवसर दिया जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये गये किसी भी विषय पर सभा वाद-विवाद के लिये कह सकती है। मैं तो सभा का आज्ञाकारी हूं । आवश्यक कार्यों के साथ यदि इस पर सभा बहस करना चाहती है तो बहस हो सकती है ।

श्री वी० पी० नायर: विवरण से मुझे पता चला कि निर्देश के एक पद के अनुसार इस देश में पेनीसिलीन, आरोमाइसीन, आदि कृमिनाशक दवाइयों के निर्माण का कोई अवसर नहीं आयेगा । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है और यह समिति को क्यों नहीं निर्देशित किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि प्रतिवेदन इस विशेष विषय का निर्देश नहीं करता। जब माननीय सदस्य इस की जांच करेंगे तो उन्हें स्वयं मालूम होगा ।

फोर्ड प्रतिष्ठान दल

*२८२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उस फोर्ड प्रतिष्ठान दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं जिसने हाल ही में उद्योगों के अध्ययन के लिये भारत का दौरा किया ;

(ख) क्या ये सिफारिशें सरकार द्वारा विचारी गईं ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से कौन-सी सिफारिशें सरकार कार्यान्वित करना चाहती है और किस प्रकार ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) तक। आपका ध्यान टीम के प्रतिवेदन तथा तारीख ७ जून, १९५४ के सरकारी संकल्प संख्या ५३-ग्राम उद्योग (क)(१२)/५४ की ओर आकर्षित किया जाता है, जिन की प्रतिलिपियां २३ अगस्त, १९५४ को पटल पर रखी गई थीं।

श्री एस० एन० दास : चंकि सरकार ने इस समिति की कुछ सिफारिशों को व्यवहार में लाना स्वीकार किया है, मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिये आवश्यक घन तथा जन का अनुमान लगाया गया है या नहीं; और यदि हां, तो वह अनुमान क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह तैयार किया जा रहा है।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि उद्योगों के बंटवारे के लिये कोई निर्णय किया गया है या नहीं और यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्णय यह है कि फिलहाल एक उत्तर में दिल्ली के पास होना चाहिये, दूसरा कलकत्ते में, तीसरा मदुराई में और चौथा कहीं बम्बई के आस-पास पूना में या बम्बई नगर में।

मलाया में भारतीय मजदूर

*२८३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संघीय विशेष भूमि संस्थापन योजना के अन्तर्गत क्या मलाया में भारतीय मजदूरों को भूमि खरीदने की कोई सुविधा दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे मलाया के अन्य निवासियों की भांति भूमि खरीद सकते हैं ?

वैदशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जहां तक हमें ज्ञात है कोई "संघीय विशेष भूमि संस्थापन योजना" नहीं है। वैसे भारतीयों, चीनियों तथा मलाइयों को भूमि देकर बसाने की अनेक योजनायें हैं। स्थानीय सरकार प्रवीण दक्षिण भारतीय धान बोने वालों को ज़मीन दे रही है।

(ख) मलाया के अन्य लोगों की भांति भारतीय मजदूरों को भी मलाया संघ में ज़मीन खरीदने की सुविधायें दी जाती हैं, केवल मलाया की रक्षित भूमि में तथा मलक्का में आचारिक धारणकालीन भूमि में से उन्हें खरीदने की सुविधा नहीं दी जाती।

डा० राम सुभग सिंह : सभासचिव ने बतलाया कि चीनी, मलाई और भारतीय मजदूरों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भारतीयों को ऐसी सुवि-

चायें देने के लिये कोई विधान या संविधि बनाई जाय ?

श्री सादत अली खान: यदि माननीय सदस्य संस्थापन के बारे में जानना चाहते हैं तो संघीय सरकार ने भारतीयों को बसाने के लिये अनेक योजनायें प्रारम्भ की हैं और जहां तक हमें पता है, स्थानीय सरकारों द्वारा पांच योजनायें बनाई गई हैं। अभी तक उनमें से एक स्वीकार की गई है। इस से संस्थापन का प्रश्न हल हो जाता है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार यह बतला सकती है कि भारतीय मज़दूर अधिक से अधिक कितने एकड़ भूमि प्राप्त कर सकता है ?

श्री सादत अली खान: मेरे विचार से भिन्न भिन्न नियम हैं। यह योजना तांजोंग कारंग क्षेत्र के लिये है। १४८ परिवारों को बसाने केलिये ५०० एकड़ भूमि दी गई है। स्थान-स्थान में भिन्नता है।

श्री पी० सी० बोस: मैं जानना चाहता हूं कि कई वर्षों से वहां काम करने वाला क्या कोई भारतीय मज़दूर मलाया का पूर्ण नागरिक बना है और यदि हां तो किन शर्तों पर ?

श्री सादत अली खान: हम ने उन्हें नागरिक बनने का परामर्श दिया है।

श्री विश्वनाथ राय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन अनेक भारतीयों की कोई सूचना है जिनकी मलाया में भूमि के रूप में कोई स्थावर सम्पत्ति है ?

श्री सादत अली खान: हमें कोई सूचना नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय: मैं आशा करता हूं .....

अध्यक्ष महोदय: मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

नेपाल को सहायता

*२८४. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या प्रधान मंत्री २२ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पिछले दो वर्षों में कोलम्बो योजना अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत नैपाल के विकास के लिये भारत द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में क्या और कोई सहायता देने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान): (क) लगभग १$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये।

(ख) जी हां। सही आंकड़े का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि योजनायें लागू होने पर यह उनकी प्रगति पर निर्भर होगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि टेकनिकल सलाहकारों के रूप में, नेपाल को कोई सहायता दी गई है ?

श्री सादत अली खान: जी हां।

सरदार हुक्म सिंह: कितने व्यक्ति दिये गये हैं ?

श्री सादत अली खान: अभी तक लगभग चार।

सरदार हुक्म सिंह: पिछले जून में हमारे सद्भावना मंडल के विरुद्ध प्रदर्शन से इस ओर तो इशारा नहीं था कि नेपाली हमारे टेकनिकल सलाहकारों के विरुद्ध हैं ?

श्री सादत अली खान: मैं तो ऐसा नहीं समझता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने नेपाल को दी जाने वाली सहायता की धनराशि

बताई है, तथा यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

श्री सादत अली खान: बताने का प्रश्न ही नहीं है । नेपाल को कुछ सहायता दी गई है ।

श्री तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि नेपाल में भारत के अमात्य श्री गोखले ने एक वक्तव्य में कहा हैं कि नेपाल सरकार को ७ १/२ करोड़ रुपया अवश्य दिया जाना चाहिये ?

श्री सादत अली खान: मुझे इस वक्तव्य का कोई ज्ञान नहीं ।

भाखड़ा-नंगल की बिजली

*२८५. **सठ गोविन्द दास**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार भाखड़ा-नंगल परियोजना से तैयार हुई बिजली मथुरा तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को दे रही है या देने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या चम्बल परियोजना से मथुरा, तथा आगरा ज़िलों को भी लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) विषय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार को चम्बल परियोजना से आगरा ज़िले की बाह तहसील में ३०० कसैक पानी रक्षित करने के लिये कहा गया है । परन्तु अभी अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

सेठ गोविन्द दास: अभी तक जो बिजली यहां पर उत्पन्न होती है वह कहां कहां दी जाती है ?

श्री हाथी: बिजली अभी तक उत्पन्न नहीं होती है, जब उत्पन्न होवेगी तब पंजाब, राजस्थान तथा पेप्सू में दी जायेगी ।

सठ गोविन्द दास: कब तक आशा की जाती है कि बिजली का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

श्री हाथी: सितम्बर तक ।

श्री भक्त दर्शन: क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में लिखा गया था, और उन्होंने बिजली लेने से इन्कार कर दिया है क्योंकि भाखड़ा-नंगल की बिजली बहुत महंगी पड़ रही है ?

श्री हाथी: जी हां, उन्होंने कहा है कि प्रशुल्क कुछ अधिक है । परन्तु हमने सुझाव दिया है कि उनको भी उसी दर से बिजली दी जायेगी जिस दर से भाग लेने वाले राज्यों को मिलेगी ।

श्री बंसल: क्या मैं यह जान सकता हूं कि जितनी बिजली पंजाब में पैदा होगी वह पंजाब और पेप्सू के लिये काफी होगी और यह क्या ज़रूरी है कि वह बिजली यू० पी० को दी जाय ?

श्री हाथी: भाखड़ा में इतनी अधिक बिजली उत्पन्न होगी कि यू० पी० को बिना कठिनाई के दी जा सकेगी ।

फ्रांसीसी विमान का रोका जाना

*२८६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सैगोन जाने वाले एक फ्रांसीसी विमान को अभी हाल में कलकत्ते में रोका गया था ;

(ख) उसको रोकने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यात्रियों के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु मिली ; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख) । दम-दम से

बहुत से फ्रांसीसी सैनिक, तथा असैनिक विमान गुजरते हैं, जो विमान वहां पर उतरता है उसकी जाने से पहले जांच की जाती है। कुछ समय पहले एक असैनिक विमान, सैनिक सामग्री ले जा रहा था। अतः क्योंकि ऐसे विमानों को हमारे नियमानुसार सैनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है, अतः उसको विशेष जांच के लिये रोक लिया गया।

(ग) तथा (घ)। बहुत से यात्री सैनिक वर्दियां लिये हुये थे। उनमें से कुछ के पास मुहर लगे लिफाफे, तथा अन्य कागज़ात थे जो सैनिक अधिकारियों से या उन्ही के नाम के थे। छः यात्रियों के पास इस्पाती टोप थे। सामान में ३ पिस्तोलें मिलीं तथा तीन यात्रियों के पास से गोलाबारूद भी मिला। विमान में कुछ सामान था जिसमें स्ट्रेचर तथा फिल्में भी थीं। ४ सन्दूक एस० के० एफ० बियरिंगों से भरे थे तथा २० बन्द डिब्बे भी थे। विमान के इस सामान में से सब आपत्ति जनक वस्तुयें उस विमान से उतार ली गईं, और उसके बाद उसे जाने दिया गया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उस विमान में कितने यात्री थे तथा क्या वे रेड-क्रास के व्यक्ति थे अथवा किसी सेना के कर्मचारी थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : विमान में ८४ यात्री थे जिन में से एक को छोड़ कर सभी ने अपने को असैनिक घोषित किया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वही विमान पालम में भी रोका गया, और यदि हां, तो क्या उस समय भी उसकी तलाशी ली गई ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं श्रीमान्। वही विमान पालम में नहीं रोका गया था।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि विमान में पाया गया युद्धोपकरण ज़ब्त कर लिया गया या फ्रांसीसी प्राधिकारियों को लौटा दिया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा : विधि के अनुसार ही इस की कार्यवाही की गई ?

साबरमती नदी घाटी परियोजना

***२८७. श्री डाभी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बम्बई सरकार को साबरमती नदी घाटी परियोजना के प्रतिदन की एक प्रतिलिपि भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई सरकार योजना आयोग से इस परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थान देने की सिफारिश की है; तथा

(ग) क्या इस आयोग ने इसके आर्थिक पहलूओं को ध्यान में रखते हुये कोई योजना बनाई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख)। जी, हां।

(ग) इस सूचना का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को दूसरी पंच वर्षीय योजना में स्थान दिया जायेगा ?

श्री हाथी : योजना आयोग द्वारा नियुक्त टेकनीकल सहायताकार समिति पर इस बात पर निर्भर है ?

श्री डाभी : क्या उस सलाहकार समिति ने इस ओर कोई संकेत किया है ?

श्री हाथी : नहीं, इस समिति ने अभी इसकी कोई जांच नहीं की है।

पान तथा सुपारी

*२८९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पान तथा सुपारी की सब से अधिक खपत कौन से राज्य में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

औद्योगिक आवास योजना

*२९०. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत जून, १९५४ तक कितने गृहों का निर्माण किया गया ; तथा

(ख) कितने गृहों का निर्माण जारी है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सरकार ने ३८,९२१ गृहों की स्वीकृति दी थी जिसमें से १७,४९८ घर जून, १९५४ तक बन चुके तथा १०,७४९ गृहों का निर्माण उसी मास में हुआ है ।

श्री के०पी० सिन्हा : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने इस योजना में भाग नहीं लिया है तथा यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसके कोई कारण दिये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि मैं उन राज्यों के नाम बता दूंगा जिन्होंने इसमें भाग लिया है, तो वह उत्तर को छोटा बना देगा ; शेष नामों को अलग किया जा सकता है । जिन राज्यों ने इसमें भाग लिया है उन के नाम हैं—दिल्ली, मध्य भारत, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, उत्तर प्रदेश, भोपाल, सौराष्ट्र, बम्बई, पंजाब, तथा पश्चिमी बंगाल इन राज्यों ने इसका लाभ उठाया है

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं स्वामियों तथा सहकारी समितियों द्वारा निर्मित गृहों की संख्या जान सकता हूं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ५,७६७ गृहों के लिये स्वामियों को आर्थिक सहायता दी गई है जिसमें से २,२७७ गृह पूरे हो चके हैं । ६१८ सहकारी समितियों को गृह निर्माण के लिये आर्थिक सहायता दी गई है ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितना धन इन गृहों पर व्यय हुआ है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि पूरे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं, उद्योगवार कितने गृह निर्मित किये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस समय यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

टाइपराइटर

*२९१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि इस देश में प्रत्येक वर्ष कितने टाइपराइटरों की मांग रहती है तथा इन मशीनों के देशी उत्पादन का क्या कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नये टाइपराइटरों की मांग का आंक बताना बहुत ही कठिन है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में इसमें परिवर्तन होता रहा है । देश में इनके निर्माण की कुछ योजनायें हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में इनके आयात की सख्या जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:

१९५२-५३: १७,७९२।

१९५३-५४: ११,३३६।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार तथा किसी विदेशी संस्था का इन टाइपराइटरों के निर्माण के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: भारत सरकार इस प्रकार का कोई समझौता नहीं करती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या हिन्दी टाइपराइटरों का भी आयात हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना की आवशयकता है।

श्री जोकिम आल्वा: क्या मैं जान सकता हूं कि गोदरेज अलमारी निर्माण कर्त्ताओं के कम मूल्य पर गोदरेज टाईपराइटर बनाने के योजना संबंधी आवेदन पत्र को अधिक समय तक इस लिये रोक रखा गया ताकि रेमिंगटन कलकत्ते में अपना कारखाना बना सके ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा । कोई भी प्रश्न जिस में तर्क दिया जाय, या किसी पर आरोप लगाया जाय, स्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री जोकीम आल्वा: परन्तु ये तो तथ्य हैं।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। यह उनकी अपनी धारणा है ।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह सच है कि हिन्दी टाइपराइटर के की-बोर्ड के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है अतः खरीदने वालों को इसमें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे स्मरण है कि पिछले सत्र में मैं ने ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया था। सारी सूचनायें हर समय मेरे मस्तिष्क में नहीं होतीं । यदि मुझे पूर्व-सूचना मिले तो मैं इसका दुबारा उत्तर दे सकता हूं ।

धार्मिक स्थानों पर भारत-पाक समझौता

*२९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) धार्मिक तथा पवित्र स्थानों के संरक्षण के सम्बन्ध में अगस्त, १९५३ के समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में पाकिस्तान सरकार ने कितनी प्रगति की है; और

(ख) क्या पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों के दर्शनार्थ जाने वाले भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान सरकार सुविधा दे रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) दूसरी बातों के साथ ही अगस्त, १९५३ के समझौते में यह निर्दिष्ट किया गया था कि धार्मिक पूजा स्थलों का समुचित संरक्षण और उन की पवित्रता बनाये रखने, और विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतों के संरक्षण को निश्चित करने के लिये भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिये । पाकिस्तान सरकार ने २० अप्रैल, १९५४ को इस समझौते का अनुसमर्थन प्रकट किया था । अतः इस सम्बन्ध में समझौते की कार्यान्विति की वास्तविक प्रगति की अवस्था का संकेत करना अभी समय से बहुत पूर्व है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री सादत अली खांन : पश्चिमी पाकिस्तान में, १,०२८ धार्मिक स्थान हैं, जिन की देखभाल की आवश्यकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक था । मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान देखने जाने का इरादा रखने वाले यात्रियों को पाकिस्तान सरकार की ओर से समय पर सूचना मिलती है अथवा नहीं ।

श्री सादत अली खान : श्रीमान्, मेरा अनुमान है कि सूचना समय पर मिल जाती है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं पाकिस्तान में यात्रियों के हिन्दू स्थान जान सकता हूं ?

श्री सादत अली खान : वे हिन्दुओं और सिखों के पवित्र स्थान मिश्रित रूप में हैं । मेरे पास उन की जानकारी नहीं है ।

भारत और चीन के बीच व्यापार-वार्ता

*२९३. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और चीन के बीच हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्बन्धी वार्तायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में व्यापार को प्रोत्साहित करने की सम्भावनाओं पर कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस ढंग से यह किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). वार्ता अभी चल रही है ।

श्री ए० एम० थामस : मैं जानना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच व्यापार की वर्तमान अवस्था क्या है और क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों द्वारा किसी प्रकार की विशिष्ट कठिनाइयां अनुभव की गई हैं ?

श्री करमरकर : क्या माननीय मित्र यह चाहते हैं कि मैं उन्हें चीन से मंगाई गई और वहां भेजी जाने वाली वस्तुओं के आंकड़े बताऊं ?

श्री ए० एम० थामस : कुल आंकड़े ।

श्री करमरकर : १९५३–५४ में चीन में निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य ७९,६७,००० रुपये था जब कि १९५२–५३ में यह रकम ४१,२५,००० रुपये थी । १९५२-५३ में चीन से १३,०३,००,००० रुपये का सामान आयात किया गया । यह रकम चीन से आयात किये गये चावल, अनाज और दाल के आटे के लिये दी गई । १९५३-५४ में यह ९९,००,००० रुपये थी ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी सरकार के साथ वार्ता को अन्तिम रूप देने तक चीन को तम्बाकू का प्रस्तावित निर्यात रुका रहेगा ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री बंसल : क्या दोनों देशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि प्रस्तुत प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पटसन जांच आयोग

*२९४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की किस किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आशा की जाती है कि इस विषय पर शीघ्र ही एक संकल्प प्रकाशित किया जायेगा ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या काम के घंटों में वृद्धि करने के लिये पटसन मिल संस्था की ओर से सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव उपस्थित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हाल ही में काम के घंटे $42\frac{1}{2}$ से ४५ कर दिये गये हैं । यदि पटसन से बनी हुई वस्तुओं की मांग वर्तमान मात्रा में जारी रही तो कदाचित आगे उस में वृद्धि करना आवश्यक हो जाय ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि काम के घंटों में वृद्धि करने के प्रश्न पर पटसन मिल संस्था ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव उपस्थित किया है । निर्यात शुल्क समाप्त कर देने पर वे इसे ४८ घंटे तक बढाने के लिये तैयार हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि सरकार इस प्रकार के सौदे के लिए तैयार है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनमत आयोग की कुछ सिफारिशें उदाहरणार्थ, वायदा बाजार खोलने और पटसन की न्यूनतम कीमत निश्चित करने में आयोग की असमर्थता के विरुद्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार किसी भी आयोग की सिफारिशों से अवगत है । इन सिफारिशों के कतिपय भाग विवादास्पद होते ही हैं ।

दामोदर घाटी निगम (सिंचाई)

*२९५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी परियोजना से बिहार में कोई सिंचाई की जाती है ;

(ख) सिंचाई के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र कितना है; और

(ग) १९५३–५४ में उस से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् । बिहार में सिंचाई के लिये तिलाया परियोजना से पानी का उपयोग करने के लिये एक परियोजना दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) कुछ नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम जिस सिंचाई परियोजना पर विचार कर रहा है उस से बिहार के किस भाग अथवा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

श्री हाथी : बिहार सरकार ने कतिपय क्षेत्रों की सिंचाई के लिये एक योजना तैयार की है । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किन जिलों की सिंचाई की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह एकड़ों में वह क्षेत्र बता सकते हैं ? वे वह भी जानना चाहते हैं ।

श्री हाथी : लगभग ७५०० एकड़ अथवा इस के आस पास ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में कुछ सिंचाई की जायेगी ?

श्री हाथी : बंगाल में कुछ क्षेत्रों की सिंचाई इस योजना के अन्तर्गत १९५४–५५ की फसल में होगी ।

बाबू रामनारायण सिंह : सिंचाई का प्रबन्ध कब तक निश्चित रूप से हो जायेगा, और इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से कौन सी बातें तय पाई गई हैं ?

श्री हाथी : मैं ने कहा था कि बिहार सरकार ने २७,००,००० रुपये की लागत से एक योजना तैयार की है जिस से ऊपर वर्णित क्षत्र की सिंचाई की जायेगी । दामोदर घाटी निगम ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है । इसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई कार्य के लिये पहली योजना के स्थान पर अब तिलाया के हौज का उपयोग करने का विचार है ?

श्री हाथी : पहले की योजना में भी सिंचाई का कुछ प्रयोजन था । यह केवल खाद्य नियंत्रण के लिये ही नहीं है । उस में भी सिंचाई का उद्देश्य था ।

बाबू रामनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं । उन्हों ने कहा है कि सरकार इस का प्रबन्ध करेगी और बिहार सरकार ने स्कीम तैयार की है ।

बाबू रामनारायण सिंह : कब तक तैयार हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस में थोड़ा समय लगेगा ।

आकशवाणी (आल इंडिया रेडियो)

*२९६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी के सम्पूर्ण केन्द्रों की भाषागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या वर्तमान कर्मचारीवृन्द से भाषागत सुविधा के लिये अधिक भाषायें सीखने के लिये कहा गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आकश वाणी के वर्तमान स्थायी कर्मचारी विभिन्न केन्द्रों की भाषागत आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए भरती नहीं किये गये हैं । इसलिये कतिपय भाषा समूहों का प्रतिनिधित्व दुर्भाग्य से नगण्य है । प्रादेशिक भाषा की योग्यता केवल कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव्ज और कार्यक्रम सहायकों के लिये थोड़ा महत्व रखती है । कर्मचारियों की वर्तमान संख्या का यथासम्भव समीचीन उपयोग करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । स्थायी स्वरूप का संतोषजनक हल केवल यही है कि कार्यक्रमों के लिये योग्य व्यक्तियों का एक अलग निर्माता दल (प्रोडक्शन स्टाफ) रखा जाय ताकि केन्द्रों की भाषागत आवश्यकताओं के साथ न्याय किया जा सके ।

(ख) हिन्दी केन्द्रों के कर्मचारी और अन्य केन्द्रों पर कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों से हिन्दी की योग्यता परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जाती है । उन्हें एक अथवा एक से अधिक प्रादेशिक भाषायें सीखने के लिये भी कहा जाता है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये कि कर्मचारिवृन्द को भाषाओं का आधुनिकतम ज्ञान रहे सरकार कोई विभागीय परीक्षा लेती है ?

डा० केसकर : अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । पिछले वर्ष तक स्थायी प्रशासी कर्मचारिवृन्द की अवस्था कुछ अनिश्चित थी । पिछले वर्ष ही संघ लोक सेवा आयोग ने श्रेणी के ढांचे को नियमित कर के अन्तिम रूप दिया है । भाषाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की योग्यता परीक्षायें लेने के प्रश्न पर अब विचार किया जा रहा है ।

श्री ए० एम० थामस : पिछली बार विशेषकर इस मन्त्रालय की आय-व्यय की मांगों पर चर्चा करते समय यह राय प्रकट की गई थी कि मुख्य मुख्य भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होने चाहियें उदाहरण के लिये दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीयों के लाभ के लिये मलयालम का कार्यक्रम होना चाहिये । क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ? यदि हां, तो इस का क्या परिणाम हुआ है ?

डा० केसकर : क्या इस प्रश्न से यह उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब भाषाओं के बारे में है । इस में सभी केन्द्रों की भाषा सम्बन्धी आवश्यकतायें हैं ।

डा० केसकर : इस का सम्बन्ध भारत से बाहर के प्रसारण से है । इस प्रश्न पर निश्चय ही विचार किया जा रहा है कि क्या मलयालम में प्रसारण होना चाहिये । इतना तो मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं । बिना इस विषय को देखे मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकूंगा ।

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र

*२९७. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड विकास पदाधिकारियों के लिये उत्तर प्रदेश में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सस्ते रेडियो सेट

*२९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामों में रहने वाले साधारण व्यक्तियों के प्रयोग के लिये सरकार सस्ते रेडियो सेट तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो निम्नतम कितना मूल्य लिया जाता है; और

(ग) बेचने वाले अभिकरणों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : गांव की जनता को आसानी से रेडियो सेट मिल जाये और कम कीमत में मिले इस के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

डा० केसकर : सरकार यह जरूर चाहती है कि गांव की जनता को सस्ते से सस्ता रेडियो सेट मिले, लेकिन सस्ते रेडियो सेट के लिये प्रयत्न करने से पहले सरकार के लिये जरूरी

था कि वह ऐसे रेडियो स्टेशन बनाये कि वह सस्ते से सस्ते रेडियो सेट से सुने जा सकें, और इसी में सरकार इस वक्त लगी हुई है। ऐसे ट्रान्स्मिटर्स और स्टेशन्स बनाने के बाद अगर सरकार को यह महसूस होगा कि इन्डस्ट्री के लोग सस्ते से सस्ता सेट नहीं बनावेंगे तब इस सवाल को मैं सरकार में उठाने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री बिभूति मिश्र : उत्तर बिहार बहुत बड़ा एरिया है उस में सरकार ने कौन सा रेडियो स्टेशन बनवाया है ?

डा० केसकर : पटना रेडियो स्टेशन को इस योजना में और शक्तिशाली बनाने का हमारा विचार है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या रेडियो सेट विलास की वस्तुयें समझे जाते हैं, उन पर कितना आयात शुल्क लगता है और व्यापारी को कितना कमीशन मिलता है ।

डा० केसकर : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये, क्योंकि मुझे यह वाणिज्य मंत्रालय से पूछना पड़ेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि बम्बई के प्रमुख समवायों में से एक ने जो रेडियो सेट जोड़ने और उन का वितरण करने का कार्य करता है, १९५३ में केवल १०० रु० या १२५ रु० के मूल्य के रेडियो सेटों के निर्माण की एक विस्तृत योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की थी, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० केसकर : ऐसे विस्तृत प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। जहां तक मैं जानता हूं बहुत सस्ते रेडियो सेटों के निर्माण की ऐसी कोई योजना मेरे पास नहीं आई ।

ब्राजील

*२९९. **श्री एम० एल० द्विवदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में ब्राजील के अवैतनिक वाणिज्य दूत श्री हेरेडिया के पदच्युत किये जाने पर ब्राजील के राजदूत को खेद प्रदर्शन करने के लिये जो पत्र भेजा गया था उस का क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में ब्राजील सरकार की भारत विरोधी नीति के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ब्राजील सरकार ने अपने उत्तर में लिखा है कि क्योंकि श्री हेरेडिया ब्राजील के वाणिज्य राजदूत थे और वे ब्राजील के वैदेशिक सेवा अनुशासन के अधीन थे अतः उन को पदच्युत करना ब्राजील सरकार के निजी क्षेत्राधिकार का कार्य था और वह ऐसा करने के लिये सक्षम थी। भारत सरकार ब्राजील सरकार की इस बात को नहीं मानती । जहां तक उन का सम्बन्ध है श्री हेरेडिया ब्राजील के अवैतनिक वाणिज्य दूत होते हुए भी भारतीय राष्ट्रजन थे और यह समझा जाता है कि उन्हों ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है ।

(ख) और (ग)। यह देख कर कि ब्राजील भारत में पुर्तगाली बस्तियों के विषय में पक्षपातपूर्ण रुख अपना रहा है हमें जो निराशा हुई वह हम ने ब्राजील सरकार से व्यक्त कर दी है और हमें आशा है कि ब्राजील यथार्थ को ध्यान में रखते हुए पुर्तगाल पर अपना प्रभाव डालेगा कि वह अपनी वर्तमान निन्दनीय नीतियों को

छोड़ कर समझौते के लिये भारत के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से बात चीत करे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों के सम्बन्ध में ब्राजील सरकार के रुख में सुधार करने की भारत सरकार ने क्या कोई कोशिश की है, और यदि हां, तो अब सरकार का क्या रुख है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ऐसे सवालों का आम तौर से जवाब नहीं दिया जाता ।

प्रव्रजन प्रमाण पत्र

*३००. **श्री बी० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को कितने प्रव्रजन प्रमाण पत्र दिये गये; और

(ख) क्या उन लोगों को जो प्रव्रजन करना चाहते हैं प्रव्रजन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) २५,७१६ ।

(ख) उन लोगों को जो प्रव्रजन करना चाहते हैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत या सूचना नहीं मिली है ।

श्री बी० के० दास : किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, कृपा करके बातें न करें ।

श्री बी० के० दास : ये प्रमाण पत्र देने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

श्री सादत अली खान : लोग प्रव्रजन प्रमाण-पत्रों के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं और वे उन्हें जारी कर दिये जाते हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या इस के लिये उन्हें पाकिस्तान सरकार से कोई प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है ?

श्री सादत अली खान : जी नहीं ।

श्री बी० के० दास : क्या वर्तमान प्रक्रिया में ढ़ील देने का कोई विचार है ?

श्री सादत अली खान : जी नहीं, ढ़ील देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

चल चित्र जांच समिति की सिफारिशें

*३०१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चल-चित्र जांच समिति की कौन कौन सी सिफारिशें चालू वर्ष में क्रियान्वित की जायेंगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण जिस में चलचित्र जांच समिति की विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही विस्तार से दी हुई थी १९ मई, १९५४ को लोक-सभा पटल पर रखा गया था । इस समय एक राष्ट्रीय चलचित्र बोर्ड, एक चल-चित्र उत्पादन विभाग और एक चलचित्र संस्था स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों और उद्योग से विचार-विमर्श किया जा रहा है । यह समाप्त होने पर इन तीनों संस्थाओं की बनावट और इन के कृत्य निश्चित करने के लिये एक विधेयक लोक-सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या सरकार ने किन्हीं सिफारिशों को अंतिम रूप से अस्वीकृत भी कर दिया है ?

डा० केसकर : अंतिम रूप से अस्वीकृत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है परन्तु चल-चित्र

जांच समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक को जो एक चल-चित्र परिषद् की स्थापना के बारे में थी हम ने वर्तमान समय ने सम्भव न समझा क्योंकि इस समय इसे आरम्भ करना बड़ा उलझनपूर्ण और कठिन होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जांच समिति का प्रतिवेदन कब या किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था ?

डा० केसकर : समिति का प्रतिवेदन ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह प्रतिवेदन तीन वर्ष पहले नहीं प्रस्तुत किया गया था ?

डा० केसकर : वह सत्य है, परन्तु जैसा कि मैं ने कहा प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का एक विवरण सरकार पहले ही इस सभा के समक्ष रख चुकी है और मेरी समझ में नहीं आता कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की पहली तिथि का प्रश्न की गई कार्यवाही के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकेगा ।

रेडियो अनुज्ञप्तियां

*३०४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९५४ के अन्त तक कुल कितनी रेडियो अनुज्ञप्तियां थीं; और

(ख) रेडियो में लोगों की अभिरुचि बढ़ाने के लिये १९५४ में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) डाक तथा तार विभाग से मिली नवीनतम सूचना के अनुसार ३१-१२-१९५३ को चालू सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों की संख्या ८,३७,७४९ थी । उस के बाद के आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सके हैं, क्योंकि डाक तथा तार विभाग को देश के सभी भागों से आंकड़े एकत्र करने में काफी समय लगता है ।

(ख) लोगों की रेडियो में अभिरुचि बढ़ाने के लिये अक्तूबर १९५४ में 'रेडियो मास' मनाने का निश्चय किया गया है । यह विचार है कि इस मास में लोगों में रेडियो के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिये प्रचार के सभी साधनों द्वारा राष्ट्र-व्यापी प्रचार किया जाय । इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सं० १७]**

श्री बहादुर सिंह : रेडियो अनुज्ञप्तियों की संख्या के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़े प्राप्त करने के लिये क्या ढंग अपनाया गया था और क्या यह सामान्य शिकायत नहीं है कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बातये गये हैं ?

डा० केसकर : यह सर्वथा संभव नहीं है क्योंकि ये अनुज्ञप्तियां डाक तथा तार विभाग द्वारा पैसे ले कर जारी की जाती हैं और वे आंकड़ों को सारणीबद्ध कर लेते हैं । और डाक तथा तार विभाग जो भी आंकड़े दे मुझे उस की सचाई पर पूरा विश्वास है ।

श्री बहादुर सिंह : इस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

डा० केसकर : हम अनुभव करते हैं कि यद्यपि रेडियो अनुज्ञप्तियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, । हम चाहते हैं कि अधिकाधिक लोग रेडियो सेट खरीदें और उन की रेडियो में रुचि बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि प्रस्तावित आन्दोलन पर सरकार का क्या व्यय होगा ।

डा० केसकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार रेडियो में लोगों की अधिक रुचि बढ़ाने के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क और अर्थ-दण्ड की राशि को भी कम करने का भी विचार कर रही है ?

डा० केसकर : अनुज्ञप्ति शुल्क कम करने के प्रश्न के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं । सरकार अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है, परन्तु हम ऐसे किसी अभ्यावेदन पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री बहादुर सिंह : रेडियो मास में सेवा की अधिकतम अवधि क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं है ।

श्री बहादुर सिंह : विवरण में यह बताया गया है कि "रेडियो मास" में प्रसारण का समय बढ़ा दिया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि सेवा की अधिकतम अवधि क्या होगी ?

डा० केसकर : प्रत्येक केन्द्र प्रतिदिन लगभग पांच या छः घंटे या सात घंटे कार्यक्रम प्रसारित करता है । इस मास प्रसारण अधिक होगा, उदाहरणतः दोपहर पश्चात् भी प्रसारण होगा जब कि सामान्यतः कोई प्रसारण नहीं हुआ करता । इस मास में विशेष रूप से अधिक कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा ।

बंगलौर नगर के लिए ऋण

*३०६. **श्री तिम्मय्या** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर निगम ने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है कि बंगलौर नगर को सुधारने के लिए उन्हें ऋण दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा उस का क्या करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नगर से गन्दी बस्तियां हटाने के लिये निगम की लगभग १ करोड़ रुपये लागत की योजना में केन्द्रीय सहायता के अनुदान के लिये एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) योजना के ब्यौरे और सम्भावित केन्द्रीय सहायता के स्वरूप और मात्रा के सम्बन्ध में बंगलौर के मेयर के साथ, जब वह ८ जून, १९५४ को दिल्ली आये थे, अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई थी । उस चर्चा के आधार पर जब संशोधित प्रस्थापनायें आजायेंगी तो सरकार उन पर उपयुक्त विचार करेगी ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैसूर सरकार ने इस पर कोई मत प्रकट किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मूल योजना को मैसूर के मुख्य मंत्री का समर्थन प्राप्त था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान, एक प्रश्न और ।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय एक ही निगम से सम्बन्धित होने के कारण सारे भारत की तुलना में बहुत छोटा है ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग का विकास

*३०८. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विपणन संगठन मद्रास का निदेशक जुलाई १९५४ में उड़ीसा राज्य के हाथकरघा और खादी उद्योग की विकास

योजना का अध्ययन करने के लिये कटक गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) हथकरघा के उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा राज्य को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण जिस में निदेशक द्वारा दिये गये सुझाव दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) एक विवरण जिस में १९५३-५४ और १९५४-५५ के वर्षों में (अगस्त १९५४ तक) दी गई सहायता दी हुई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री संगण्णा : क्या सरकार ने प्रादेशिक संस्थायें स्थापित करने का निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में प्रादेशिक संस्थायें नहीं, परन्तु छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रादेशिक संस्थायें। मैं ने कुछ ही क्षण पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि सरकार ने चार प्रादेशिक संस्थायें स्थापित करने का निश्चय किया है ।

श्री संगण्णा : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अनुदेश दिये हैं कि छोटे उद्योगों को अनुदान देने के सम्बन्ध में नियमों को उदार बनाया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है ।

प्याज और मिर्चे

*३०९. **श्री अजित सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने हाल ही में मिर्च और प्याजों के आयात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस से हमारे निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ने प्याज और मिर्चों के निर्यात के लिये कोई अभ्यंश न देने का निश्चय किया है ताकि इन वस्तुओं के अन्तर्देशीय मूल्य कम किये जायें और यदि हां, तो उस का क्या प्रभाव हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह ज्ञात हुआ है कि श्रीलंका में मिर्चों के आयात पर कोई रोक नहीं है । प्याज के सभी स्थानों से आयात पर श्रीलंका सरकार ने २२ अप्रैल, १९५३ को रोक लगा दी थी, परन्तु ८ अक्तूबर, १९५३ को इस रोक में सुधार किया गया और अब यह केवल लाल प्याज पर लागू होती है ।

(ख) इस रोक के कारण श्री लंका को निर्यात कम हो गया है परन्तु १९५३ में निर्यात के लिये दी गई मात्रा में से अधिकांश का निर्यात कर्ताओं ने अन्य स्थानों को निर्यात कर दिया था ।

(ग) प्याज और मिर्च के निर्यात पर जनवरी १९५४ में अन्तर्देशीय मूल्यों को स्थिर करने के लिये रोक लगा दी गई थी । अब मूल्य गिर चुके हैं और २२ अप्रैल, १९५४ से प्याज का और ३ जुलाई, १९५४ से मिर्चों का निर्यात पुनः आरम्भ कर दिया गया है :

श्री अजित सिंह : इस निश्चय के कारण राज्यकोष को प्रतिवर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

श्री करमरकर : लाभ अथवा हानि ?

अध्यक्ष महोदय : रोक लगाने और फिर हटाने के फलस्वरूप ।

श्री करमरकर : इस में न तो कोई हानि हुई है न लाभ ।

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या सरकार को विदित है कि नासिक जिले में प्याज का मूल्य इतना अधिक गिर गया है कि कृषक उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं कर सकते और यह सरकार की प्याज के निर्यात के सम्बन्ध में अनिश्चित नीति के कारण हुआ है ?

श्री करमरकर : मुझे नासिक जिले की विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में पता नहीं है, परन्तु जहां तक देश का सम्बन्ध है हम प्याज का मूल्य कम करना चाहते थे और यदि माननीय मित्र यह समझते हैं कि नासिक में मूल्य बहुत अधिक गिर गये हैं, तो उन्हें ये अधिक खाने चाहियें ताकि मूल्य चढ़ जायें ।

श्री बंसल : लाल प्याज जिन पर श्री-लंका सरकार ने रोक लगा दी है किन देशों में उत्पन्न होते हैं

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या सरकार चाहती है कि मूल्य.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । पहले प्रश्न का उत्तर दे लेने दीजिये । माननीय सदस्य को तब तक प्रश्न नहीं करना चाहिये जब तक उन्हें इस के लिये कहा न जाय ।

श्री करमरकर : मैं ने इस बात का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया है ।

तिलहन इत्यादि

*३१०. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ की तुलना म १९५३-५४ में तेल और तिलहन के निर्यात के एक दम बहुत कम हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) खोये व्यापार को पुनः उठाने के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३-५४ में तेलों के निर्यात में कमी के कारण आन्तरिक मूल्यों का अधिक होना, कुछ मामलों में इन मूल्यों पर विदेशों की मांग में कमी और कुछ मामलों में देश में संभरण की कमी के कारण सरकार द्वारा निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध हैं । तिलहन के बारे में स्थिति यह है कि महत्वपूर्ण तिलहनों के निर्यात का निषेध कर दिया गया है ताकि जहां कहीं भी संभव हो तेलों के निर्यात को बढ़ाया जाय ।

(ख) तदनुसार अलसी के तेल, तोरिये और सरसों के तेल, बिनौलों के तेल, करड़ी और निगर के तेलों पर १२ मई, १९५४ से निर्यात शुल्क हटा दिये गये हैं । इसी तिथि से अरण्डी के तेल पर निर्यात शुल्क ३०० रुपये से घटा कर २०० रुपये प्रति टन कर दिया गया है ।

श्री केलप्पन : अरण्डी के तेल पर शुल्क के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री करमरकर : मैं ने कहा था कि १२ मई, १९५४ से यह ३०० रु० से २०० रु० प्रति टन कर दिया गया है ।

डा० रामा राव : उन तेलों की सूची में, जिन पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है अथवा हटा दिया गया है, माननीय मंत्री ने

मूंगफली के तेल को नहीं रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि आन्ध्र और तेलंगाना जैसे स्थानों में आवश्यकता से काफी अधिक तेल निर्यात के लिये है परन्तु निर्यात अनुज्ञा पर्याप्त नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : स्थायी निर्यात कर्त्ताओं के लिये अभ्यंश के १५ प्रतिशत की जो अनुज्ञा दी गई है उस का पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात शुल्कों में कमी होने के बाद से निर्यातों में काफी वृद्धि हो गई है ?

श्री करमरकर : कमी के परिणाम का अनुमान लगाना अभी समय से बहुत पूर्व है।

टायरों तथा ट्यूबों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवदन

*३११. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायरों और ट्यूबों के मूल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा होने वाली जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशुल्क बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख)। टायर समवायों के द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग का मामला प्रशुल्क आयोग को कब सौंपा गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में पिछले वर्ष के आरम्भ में ही ऐसा किया गया था।

श्री बंसल : क्या ऐसे ही कुछ और मामले भी हैं जहां प्रशुल्क आयोग ने सरकार को अपने प्रतिवेदनों के देने में इतना अधिक समय लिया हो ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशुल्क आयोग के कार्य से संतुष्ट है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार के पास प्रशुल्क आयोग के कार्य से असन्तुष्ट होने का कोई कारण नहीं है।

टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय के लिये ऋण

*३१३. **श्री बोगावत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा लोहा तथा इस्पात समावाय के लिये उस के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के उद्देश्य से १० करोड़ रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिया है ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से कारखानों का विस्तार किया जायेगा ; और

(ग) इतने बड़े ऋण पर ब्याज न लेने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय को १० करोड़ रुपये का ऋण बिना ब्याज के १ जुलाई १९५८ तक अथवा उस तारीख तक, जो परस्पर तय हो जाय, देने को सहमत हो गई है ताकि समवाय, अपना आधुनिकीकरण तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम पूरा कर सके जिस में लगभग ४३ करोड़ रुपये लगने की आशा है।

(ख) पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) संयंत्र के विस्तार तथा उस के आधुनिकीकरण में सहायता देने की दृष्टि से निर्माण काल में ब्याज लेने का विचार नहीं है ।

श्री बोगावत : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्याज न लेने से देश को कौन-कौन से लाभ होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ब्याज न लेने के प्रश्न के पीछे एक लम्बा इतिहास है । जब हम ने संयंत्र को आधुनिक रूप देने के सम्बन्ध में टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय के इस मामले को लिया तो उन के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजना को प्रारम्भ करने के लिये उन के पास पर्याप्त संरक्षित राशियां नहीं हैं, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन का ७५०,००० टन का उत्पादन इस मात्रा से नीचे गिर जायेगा । उन को जो धारण मूल्य दिया जा रहा है हमें उस में वृद्धि करनी चाहिये ताकि उन को संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये रुपया जुटाने में सहारा मिल सके । सरकार ने इस प्रस्ताव का निरीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपभोक्ता मूल्य बढ़ाना तथा अन्तर समवाय के लिये निःशुल्क दे देना उचित नहीं है । अतः सरकार ने यह यो ना निर्धारित की कि विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाये और धारण मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अन्तर समानीकरण निधि में डाल दिया जाये । यह विचार किया गया कि समानीकरण निधि में जो धन एकत्रित होगा उस का उपयोग उद्योग के विकास के लिये किया जायेगा । यह स्वाभाविक ही है कि विस्तार अथवा आधुनिकीकरण या निर्माण सम्बन्धी कोई योजना जब आरम्भ की जाती है तो जो कुछ धन नियोजित किया जाता है उस से निर्माण पर्यन्त कुछ प्राप्ति नहीं होती अतः सरकार ने यह विचार किया कि इन लोगों को यदि विस्तार के लिये प्रोत्साहित किया जाये तो वे न केवल अपने उत्पादन-स्तर को बनाये रखेंगे अपितु उस में १८१००० टन तक की वृद्धि भी कर सकेंगे और इसी लिये सरकार को उस उद्योग के लिये १० करोड़ के निर्ब्याज ऋण के रूप में सहायता देनी चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने स्थिति को पूरी तरह से देख लिया था, विशेषतः इस दृष्टिकोण से कि प्रबन्धक अभिकर्ताओं में वोल्कार्ट्स् से ५१ प्रतिशत अंश लेने की तथा जर्मन टैंकों और मोटरों का काम करने के लिये एक अन्य संस्था खोलने की शक्ति थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार स्थिति को पूरी तरह देख लेती है और मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ऐसा करने के लिये पूर्ण समर्थ है ।

श्री मात्तन : भारत के इस्पात का धारण मूल्य उसी प्रकार के भारत में आयात हुए विदेशी इस्पात के मूल्य की तुलना में कैसा उतरता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अब भी हमारा मूल्य लाभप्रद है । जैसा कि मैं ने पहले कहा हमारे विक्रय मूल्य में अब भी इतनी गुंजाइश है कि हम उस में से समानीकरण निधि में रुपया डाल रहे हैं । हमारे मूल्य स्पष्टतया लाभप्रद हैं ।

श्री मात्तन : मैं भाव जानना चाहता था ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार ने ऋण देने की शर्त के रूप में इस पर आग्रह किया है कि उस के कुछ प्रतिनिधि प्रबन्ध बोर्ड अथवा संचालक बोर्ड में लिये जायें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां बोर्ड में हमारा एक सरकारी संचालक है, अथवा शीघ्र ही नियुक्त कर दिया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या समवाय ने ऐसा कोई संकेत किया है कि इस समय तक निर्माण कार्य के समाप्त होने की संभावना है और उस तिथि के बाद सरकार ब्याज लेना प्रारम्भ कर देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामान्यत: यह अनुमान है कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम १९५८ के मध्य से पूर्व ही पूरा हो जायेगा ।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान् क्या सरकार को आधुनिकीकरण कार्यक्रम से बचत की आशा है, और यदि हां तो ब्याज के रूप में होने वाली बचत का ही लाभ क्यों नहीं उठाया जाता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : सुझाव यह जान पड़ता है कि यदि बचत की कुछ संभावना है तो ब्याज की अवधि को सीमित करने की अपेक्षा ब्याज द्वारा होने वाली बचत का ही लाभ क्यों न उठाया जाय ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह इतना जटिल है कि मैं इस को नहीं समझ सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मैसूर सरकार आवास योजना

*३१४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैसूर सरकार ने कम वेतन पाने वाले सरकारी और नगर-पालिका के नौकरों के आवास के लिये राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लगभग २५,०० मकान बनवाने को केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ एक आवास योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की क्या विशेषतायें हैं; और

(ग) इस को कार्यान्वित करने में अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संक्षेप में योजना की मुख्य विशेषताओं को बताने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]

(ग) अनुमानत: १ करोड़ रुपया लगेगा ।

श्री शिवनंजप्पा : केन्द्र द्वारा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह अभी स्वीकृत ही नहीं हुई है अत: इसकी कार्यान्विति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शिवनंजप्पा : केन्द्र इस योजना के सम्बन्ध में कितनी तथा किस रूप में वित्तीय सहायता देगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जो सहायता मांगी गई है वह ऋण के रूप में है जो २५ साल के पश्चात् वापस कर दिया जायगा । यह योजना की मुख्य विशेषता है । केन्द्रीय सरकार इस की वित्तीय सहायता ऋण दे कर करेगी यद्यपि यह हो सकता है मात्रा पूरी न हो ।

नकली रेशम बुनाई उद्योग

*३१६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में नकली रेशम के बुनाई उद्योग के वस्तुत: नष्ट हो जाने की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या इस में सहायता देने के लिये सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को इस समय देश में नकली रेशम के बुनाई उद्योग को कोई भारी धक्का पहुंचने की सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या अमृतसर के उत्पादकों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है कि वे कठिनाई में हैं ?

श्री करमरकर : ऐसी किसी शिकायत की मुझे याद नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सूरत के उत्पादकों की ओर से इस उद्योग के नष्ट होने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नकली रेशम उद्योग की कठिनाइयों के प्रश्न का उस उत्पादन शुल्क के आरोपण से अटूट सम्बन्ध है, जो आयव्ययक सत्र में इस सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था । सदन को भली भांति विदित होगा कि वित्त विधेयक को अन्तिम रूप से पारित करते समय यह उत्पादन-शुल्क काफी घटा दिया गया था । उस समय बहुत से अभ्यावेदन दिये गये थे और उद्योग को समाप्त कर देने की धमकियां दी गई थीं किन्तु उस के बाद से उद्योग को किसी गम्भीर धक्के के पहुंचने की कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं की गई है । यह सच है कि जब तक स्थानीय बनावटी रेशम को खपाने के लिये आयातों को नियमित किया जा रहा है, तब तक इस बात की शिकायत बराबर की जा रही है कि आयात पर्याप्त नहीं हो रहा है । किन्तु सरकार इस के लिये सभी सम्बन्धित लोगों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कर रही है और हम भी उत्पादन अथवा संभरण में कमी देखते ही तत्काल कार्यवाही करते हैं । इस के अतिरिक्त अन्य कोई बड़ी शिकायत नहीं की गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत में नकली रेशम उद्योग की बनी वस्तुओं का योग मूल्य (रुपयों में) क्या है ?

श्री करमरकर : १९५४ में (जनवरी से जून तक), पिछले दो वर्षों के उत्पादन, अर्थात् १७,७५,६०,००० गज तथा १०, ८८,००,००० गज की तुलना में योग उत्पादन ८९,३६०,००० गज था । उत्पादन काफी अधिक था ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस उद्योग में कितने मजदूर काम करते हैं ।

श्री करमरकर : मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

यूरेनियम की तहें

*३१८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ वेत्ताओं ने छोटा उदयपुर (बड़ौदा) के निकट श्वेत पत्थर की खानों में तहों का निरीक्षण कर लिया है ; और

(ख) क्या प्रारम्भिक परीक्षा से यह पता चल गया है कि इन तहों में यूरेनियम विद्यमान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादतअली खान) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) छोटा उदयपुर क्षेत्र की कुछ चट्टानों में यूरेनियम तथा कच्चा थोरियम के कुछ चिह्न पाये गये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन की परीक्षा हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में की गई है और इस बात का निश्चय हो गया है कि

इन को किसी कार्य में लाया जा सकता है अथवा नहीं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस प्रकार जो भी पदार्थ पाये जाते हैं उन की परीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है। यदि इस की परीक्षा न की गई होती तो हम यह नहीं कह सकते थे कि इस का पता चला है। इस को किस काम में लाया जाना चाहिये, यह सर्वप्रथम कच्ची धातु की उपलब्ध होने वाली मात्रा पर निर्भर करता है। इस धातु का केवल पाया जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह सर्वविदित है कि यूरेनियम तथा कच्चा थोरियम किस काम आता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि वास्तव में वह कितनी मात्रा में है और उस का उपयोग हो सकेगा अथवा नहीं, प्रयोगशालाओं में अथवा अन्य कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सादतअली खान : छोटा उदयपुर में यूरेनियम तथा कच्चा थोरियम अधिक मात्रा में नहीं निकलेंगे। यूरेनियम की भविष्य में होने वाली उन्नति समस्यामूलक है और अणुशक्ति विभाग के कच्चा माल उपविभाग द्वारा जांच पड़ताल अभी जारी है।

भ्रष्टाचार के मामले

***३१९. श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७६ के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५३ तक पता लगाये गये ७५८ भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में क्या अन्तिम कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उन राजपत्रित अफसरों की संख्या क्या है जिन के विपरीत ऐसी कार्यवाही की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री डाभी : विवरण में तो विभागीय अनियमितताओं के बहुत से मामलों का सविस्तार वर्णन दिया हुआ है, जैसे रिश्वत आदि लेना जिस पर कार्यवाही की गई थी। क्या सरकार यह समझती है कि रिश्वत लेना केवल विभागीय अनियमितता है ? इस विषय में फौजदारी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री करमरकर : किसी कार्य विशेष पर विभागीय कार्यवाही तथा फौजदारी अभियोग दोनों प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। फौजदारी कार्यवाही का किया जाना या न किया जाना वह कार्यवाही कहां तक सफल हो सकती है इस पर निर्भर करता है निश्चय ही कुछ मामलों में फौजदारी कार्यवाही की गई है। मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं किन्तु यह सच है कि फौजदारी न्यायालयों में कार्यवाही की गई है और कुछ मामलों में अभी जांच पड़ताल नहीं की गई है।

श्री डाभी : विवरण में इस के बाद उन मामलों की संख्या बताने वाला एक पृष्ठभाग है जिन में जांच समाप्त हो चुकी है तथा अन्तिम रूप से दण्डनीय कार्यवाही की गई थी। क्या मैं 'दण्डनीय कार्यवाही' का अर्थ जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : 'इस का तात्पर्य है दण्डनीय व्यक्तियों की सूची में नाम दर्ज कर लेना', अर्थात् ऐसे व्यक्ति को आयात निर्यात आदि का लाइसस नहीं दिया जाता

हैं, यह उन लोगों के लिये लागू होता है जो हम से लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री डाभी : क्या मैं उन आठ राजपत्रित पदाधिकारियों के नाम तथा/अथवा पद जान सकता हूं जिन के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी और क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री करमरकर : १. श्री सी० आर० मानकीकर, आयात व निर्यात सह-नियंत्रक—

न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

२. श्री बी० एम० सपड़े आयात व निर्यात सह-नियंत्रक—

न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

३. श्री जे० एन० मुखर्जी, आयात व निर्यात नियंत्रक —

सीमाशुल्क विभाग में प्रत्यावर्तित तथा बर्खास्त कर दिये गये।

४. श्री पी० के० दत्त, परीक्षण अधिकारी—

सीमाशुल्क विभाग में प्रत्यावर्तित।

५. श्री वी० डी० झिंगन, प्रवर्तन सह-निदेशक—

सेवा से निकाल दिय गये।

६. श्री एम० एम० लाल, आयात व निर्यात सह-नियंत्रक —

सेवा से अलग कर दिये गये।

७. श्री टी० आर० वर्मा, आयात व निर्यात सह-नियंत्रक—

सेवा से मुअत्तल कर दिये गये। दण्ड का निर्णय करने के लिये यू०पी०एस०सी० से परामर्श मांगा गया है।

८. श्री एस० ए० वेन्कटारमन, सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—

सेवा से निकाल दिये गये।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या सरकार भ्रष्टाचार बन्द करने की दृष्टि से लोक सेवा आयोग द्वारा पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिये अधिक शक्ति देने के हेतु उस के नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का निर्देश गृह मंत्रालय को किया जा सकता है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, रांची

*३२०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में विकास कार्य में प्रशिक्षा देने के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वहां कितने अफसर शिक्षा पा रहे हैं; और

(ग) उक्त अफसर किन-किन राज्यों के हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) क्षेत्र विकास अफसरों को प्रशिक्षा देने के लिये रांची में एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ख) ३४।

(ग) आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, विन्ध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी सीमा-क्षेत्र।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भाखड़ा नांगल बांध

*२८८. **श्री एस० सी० सिंहल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नांगल बांध पर किये गये हाल के परीक्षात्मक प्रयोगों के परिणाम क्या हैं ;

(ख) खेतों को नियमित रूप से पानी कब से उपलब्ध होगा तथा सिंचाई की दरें क्या होंगी ; और

(ग) विद्युत् की पूर्ति कब से की जायेगी तथा उस की दरें क्या होंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भाखड़ा की मुख्य नहर के गागर पुल पर साइफन में कुछ थोड़ा नुक्सान हो जाने के अतिरिक्त, हाल में किये गये अन्य सभी प्रयोग सन्तोषप्रद सिद्ध हुए ।

(ख) (१) ८ जुलाई, १९५४ से पानी मिलना आरम्भ हो गया है;

(२) कृषि के लिये पूर्णरूपेण उपयुक्त क्षेत्र पर प्रति एकड़ पानी की दरें इस प्रकार हैं :—

(क) स्थायी रूप से—६ रु०

(ख) अस्थायी रूप से—३ रु० १२ आने ।

(ग) मिसीत रूप से स्थायी—६ रुपये ।

(ग) (१) सितम्बर, १९५४ के अन्त तक ।

(२) विभिन्न प्रकार के भार के लिये दरें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—२७४/५४]**

राजकीय उद्योग

*३०२. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक आधार पर राजकीय उद्योग शुरू करने की आवश्यकता पर विचार किया है ताकि भारत के विभिन्न प्रदेशों को टैक्नीकल प्रशिक्षण और नौकरियों का लाभ प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो किन निष्कर्षों पर पहुंचा गया है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रादेशीकरण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) जहां तक कच्चे माल, परिवहन और अन्य चीजों को सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं, विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार करते समय प्रादेशिक आधार पर राजकीय उद्योग शुरू करने की वांछनीयता पर ध्यान दिया जाता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने में इस एक पहलू को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायगा ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता

*३०५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'उद्योगों के लिये राजकीय सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत सब राज्यों को सहायता दी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने चालू आयव्ययकों में छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की व्यवस्था की है ;

(ग) क्या इस सहायता के बाद छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) क्या सरकार का छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये कोई अन्य पग उठान का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब तक केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों को राजकीय सहायता द्वारा (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र) आदर्श नियम १९४९ के अन्तर्गत केवल भाग 'ग' राज्यों को सहायता दी है । अधिकांश भाग 'क' और 'ख' राज्यों में, कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को विभिन्न उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियमों या असंविहित नियमों के अन्तर्गत स्वयं राज्य सरकारों द्वारा तथा अन्य सहायता देने की व्यवस्था है ।

(ख) मालूम हुआ है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने चालू वर्ष के आय-व्ययकों में छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की व्यवस्था की है ।

(ग) तथा (घ) हां श्रीमान् ।

त्रिपुरा में चमड़ा रंगने का उद्योग

*३०७. **श्री दसरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिपुरा में चमड़ा रंगने का उद्योग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में इस के सफल होने की कितनी आशा है; और

(ग) त्रिपुरा में इस उद्योग पर अनुमानतया कितना रुपया खर्च किया जायेगा ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार की चमड़े की रंगाई में प्रशिक्षण देने की एक योजना है । वह आशा करती है कि प्रशिक्षित व्यक्ति व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर इस उद्योग को विकसित करेंगे ।

मनीपुर में विस्थापित व्यक्ति

*३१५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से विस्थापित व्यक्ति मनीपुर में आ गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन की कुल संख्या क्या है ;

(ग) सरकार ने उन के पुनर्वास के लिये क्या पग उठाये हैं; और

(घ) उन में प्रवीण कारीगर कितने हैं ?

पुनर्वास उप मंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

डीजल इञ्जन

*३१७. **श्री ए० क० गोपालन** :
श्री वी० पी० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल इंजनों का निर्माण वास्तविक सामर्थ्य से बहुत कम होने के क्या कारण हैं; और

(ख) १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार ने कितने डीलज इंजन खरीदे हैं और इन में से कितने भारत में बने हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) डीजल इंजनों का उत्पादन इसलिये कम था क्योंकि देसी इंजनों की बिक्री कम थी । अब स्थिति काफी बदल गई है और देशी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है ।

(ख) १९५३-५४ में २९९ इंजन खरीदे गये थे, इन में से २०० देशी थे ।

बाइसिकल के पुर्जों के लिए मान

*३२१. श्री के० पी० सिन्हा :
श्री नाना दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाइसिकल के पुर्जों के प्रस्तावित प्रतिमानों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितनी इस देश से हैं और कितनी विदेशों से; और

(ग) क्या इन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १२१ टिप्पणियां भारत से और ७१ विदेशों से प्राप्त हुई हैं :

(ग) अभी नहीं, श्रीमान् ।

मिठाई तैयार करने का संयन्त्र

*३२२. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक विदेशी फर्म को इस देश में एक मिठाई तैयार करने का संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां तो इस फर्म ने कितना धन लगाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) इस वर्ष किसी विदेशी फर्म को इस देश में मिठाई उद्योग शुरू करने के लिये अनुमति नहीं दी गई है ।

भारत विरोधी प्रचार

*३२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तानी प्रचारक पाकिस्तान और मध्यपूर्व में ये झूठे समाचार फैला रहे हैं कि भारत में भारतीय मुसलमानों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और मस्जिदें भ्रष्ट की जा रही हैं; और

(ख) इस झूठे प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी हां ।

(ख) कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त से कहा गया है कि वे इस मामले के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के सामने तीव्र विरोध प्रकट करें । स्थिति स्पष्ट करने के लिये और इस प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये, १५ जून और २६ जुलाई को तथ्य प्रकाशित किये गये थे । ये तथ्य विदेशों में हमारे मिशनों को भी भेजे गये थे । मध्यपूर्व के देशों में प्रैस ने पाकिस्तान के इस आन्दोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

नाटो

*३२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी अतलांतिक संधि-संगठन में भाग लेने वाले देशों, अर्थात् ब्रिटेन तथा अन्य देशों की सरकारों को पुर्तगाल के प्रधान मंत्री द्वारा गोआ के पुर्तगाली प्रदेश के भारतीय संघ में स्थानांतरण के बारे में आंग्ल-पुर्तगाली संधि और अतलांतिक पैक्ट के सम्बन्ध में अपनाये गये

रुख के विषय में अपनी राय प्रकट करने के लिये कोई नोट भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी देश से इस नोट का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने ब्रिटेन और अमरीका को नोट भेजे थे जिन में भारत की पुर्तगाली बस्तियों के बारे में नाटो सन्धि के उपबन्धों के निर्वचन के स्पष्टीकरण की मांग की गई थी । इन सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और इन का अध्ययन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी गवेषणा

*३२५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय योजना तथा विकास की समस्याओं की मिली जुली जांच पड़ताल तथा गवेषणा का कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) क्या गवेषणा कार्यक्रम समिति ने अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो उन की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वे अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) से (घ) जो लोग और/या संस्थायें जांच पड़ताल कर रही हैं, वे जांच पड़ताल पूर्ण होने पर अपने प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रस्तुत करेंगी । जांच पड़ताल का समय १ वर्ष से ४ वर्ष तक का है । आजकल आन्तरिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति तीन मास के पश्चात् प्राप्त होते हैं ।

हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थायें

*३२६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने, हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को उन की उन योजनाओं के विकास के लिये जिन्हें सरकार स्वीकार कर चुकी है, वैत्तिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या अभी तक हथकरघा बुनकरों की कोई ऐसी सहकारी संस्थायें बनी हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया से वैत्तिक सहायता प्राप्त हो सकती है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया आजकल सहकारी संस्थाओं को केवल सूत मोल लेने तथा बेचने के लिये वैत्तिक सहायता दे रहा है । यह वैत्तिक सहायता भी अब तक केवल मद्रास, आन्ध्र तथा मैसूर में केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं को दी गई हैं ।

पाकिस्तान से कृषकों का प्रव्रजन

*३२७. **श्री अजित सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कृषक तथा खेतिहर पाकिस्तान से भारत आये हैं; और

(ख) सरकार ने कितनों को भूमि दे दी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार उन कृषकों तथा खेतिहरों की संख्या, जो पाकिस्तान से भारत आये हैं २,०६४,४९१ है । जो लोग १९५१ की जनगणना के पश्चात् आये हैं उन के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) लगभग सात लाख परिवारों को भूमि दी जा चुकी है ।

अखिल भारतीय हस्त उद्योग बोर्ड

*३२८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्त उद्योग बोर्ड ने विदेशी बाजारों में भारतीय हस्त उद्योगों को लोक-प्रिय बनाने की दृष्टि से देश में हस्त उद्योग के केन्द्रों का पर्यालोकन किया है ;

(ख) क्या बोर्ड ने इस कार्य के लिये सरकार को कोई ठोस सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये सुझाव क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी पर्यालोकन हो रहा है ।

(ख) हां ।

(ग) (१) विदेशों में प्रदर्शनी करना;

(२) विदेशी क्रेताओं के लिये भारत में एक प्रदर्शनी करना; और

(३) निर्यात वृद्धि संस्था की स्थापना करना ।

पेंशनों का हस्तांतरण

*३२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच पेंशनों के हस्तान्तरण के प्रश्न पर पाकिस्तान तथा भारत की सरकारों में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) क्या सरकार पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों को पेंशनों के अस्थायी भुगतान की योजना के अधीन पेंशन दे रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जुलाई-अगस्त १९५३ में कराची में हुई चर्चा में, यह बात सिद्धान्त रूप में निश्चय हुई थी कि अविभाजित बंगाल के पेंशन पाने वाले लोगों को ३१ दिसम्बर १९४९ तक दोनों बंगालों के बीच पेंशनों के प्रेषण की जो सुविधायें प्राप्त थीं, वे फिर दी जायें, किस तारीख तक प्रेषण करने की अनुमति हो और अन्य आनुषंगिक मामले जैसे ब्यौरे के प्रश्नों का निर्णय पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों के बीच होना था । यद्यपि पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच बाद में हुए दो सम्मेलनों में इस मामले पर चर्चा हुई थी परन्तु कोई समझौता न हो सका ।

(ख) हां, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम की सरकारें अविभाजित बंगाल के उन पेंशन पाने वाले लोगों को, जो पूर्वी बंगाल से आये हैं और १५ अक्तूबर १९५२ से पहिले उन राज्यों में बस गये हैं, पेंशनों का अस्थायी भुगतान कर रही हैं । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में, केन्द्रीय दावा संघ अस्थायी भुगतान कर रहा है ।

सामाजिक-आर्थिक पर्यालोकन

*३३०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों को अपने-अपने राज्यों में बड़े नगरों का सामाजिक-आर्थिक पर्यालोकन करने का कार्य सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर्यालोकन को करने के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है; और

(ग) क्या राज्यों में से किसी ने अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक १७.५८ लाख रुपये के अनुदान दिये गये हैं ।

(ग) जांच पड़ताल अभी पूर्ण नहीं हुई है परन्तु त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-विशेष के लिये रखे गये कर्मचारीगण

***३३१. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या १७४० के उत्तर, जो १२ अप्रैल १९५४ को पूछा गया था, का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगडोगरा तथा सिलिगुरि में सरकारी कर्मचारियों को जो विशेष वेतन दिया गया था क्या उस का पुनर्विलोकन उस के पश्चात् हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है;

(ग) क्या अन्य सरकारी विभागों में रखे जाने वाले सारे कर्मचारियों को वे चाहे बाहर से बुला कर रखे गये हों और चाहे वहीं के हों, विशेष वेतन दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-विशेष के लिये रखे गये कर्मचारियों पर भी वही नियम क्यों लागू नहीं होते हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) इस प्रश्न का पुनर्विलोकन अभी पूर्ण नहीं हुआ है । इस में केवल इस बात की ही जांच नहीं करनी है कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को ऐसे विशेष वेतन दिये जा रहे हैं या नहीं, अपितु इस बात की भी जांच करनी है कि कार्य विशेष के लिये रखे गये कर्मचारियों के साथ वैसा व्यवहार करना जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है आवश्यक है या नहीं । पुनर्विलोकन की पूर्ति में विलम्ब होने का एक कारण यह भी है ।

उर्वरक संयंत्र

***३३२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ और उर्वरक संयंत्र लगायेगी;

(ख) यदि हां, तो वे कितने होंगे और कहां-कहां लगाये जायेंगे; और

(ग) नये संयंत्र संभवतः कब लगाये जायेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) से (ग) देश में उर्वरक के उत्पादन के लिये क्षमता में कितने विकास की आवश्यकता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये क्या साधन अपनाये जायें और कब तथा कहां नये संयंत्र लगाये जायें, इन बातों सम्बन्धी प्रस्ताव आजकल सरकार के विचाराधीन हैं ।

सूत

१२९. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ के पूर्वार्ध में देश में बने सूत के मूल्यों में वृद्धि हुई और यदि हां, तो १९५३ के तत्सम्बन्धी काल में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) १९५३ और १९५४ के पूर्वार्धों में क्रमानुसार औसत रूप में कितने तकुए प्रयोग में आये, कितना सूत बनाया गया और कितने कामकर काम पर रखे गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूत के मूल्यों में बाजार की स्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव होते रहते हैं । कुछ मासों में ६० एस के सूत के अतिरिक्त अन्य गिनती वाले सूत के मूल्यों में ३ से ९ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई ।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :

विवरण	जनवरी/जून १९५३	जनवरी/जून १९५४
१. प्रयोग हुए तकुओं की औसत संख्या :		
(क) प्रथम पारी	९,८१८,०००	१०,०१८,०००
(ख) द्वितीय पारी	८,९००,०००	९,०४९,०००
(ग) तृतीय पारी	३,०९७,०००	३,१०७,०००
२. सूत उत्पादन (मासिक औसत) :	१२२६ लाख पाउण्ड	१२६४ लाख पाउण्ड
३. वास्तव में रखे गये कामकरों की औसत संख्या :		
(क) प्रथम पारी	४२५,५२७	४१४,०७१
(ख) द्वितीय पारी	२६३,२२०	२५५,६३२
(ग) तृतीय पारी	६२,२९०	६४,३२३

रूई

१३०. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सूत-मिलों ने १९५१, १९५२, १९५३ और १९५४ के प्रथमार्ध में (१) भारतीय कपास और (२) आयात की गई रूई के क्रय करने में अनुमानतः कितना सम्पूर्ण मूल्य दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

साफ किये गये काजू

१३१. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५३-५४ में साफ किये गये कितने काजू की खपत हुई ; और

(ख) क्या सरकार के पास देश में इस वस्तु की खपत को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि है, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) व्यापार के अनुसार लगभग २,००० से ३,००० टन तक काजू की खपत हमारे देश में होती है । नये तुले अनुमान देना संभव नहीं है :

(ख) अभी तो कोई भी नहीं है ।

बेकारी

१३२. श्री मगन लाल बागड़ी : क्या **योजना** मंत्री बेकारी के बारे में १८ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार से योजना आयोग के पत्र का क्या उत्तर प्राप्त हुआ ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार इस काम की प्रगति के बारे में कोई नियतकालिक प्रतिवेदन भेजती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस की प्रतियां मिल सकती हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से ९-९-५३ को प्राप्त उत्तर में कहा गया है कि निम्न कारणों से नौकरी की परिस्थितियों में स्पष्ट बिगाड़ हो गया है :

(१) गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्रों में औद्योगिक नौकरियों का अभाव होना,

(२) उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का ह्रास होना,

(३) जनसंख्या की वृद्धि और शहरों की ओर उन का स्थायी खिचाव,

(४) शिक्षित व्यक्तियों की संख्या की वद्धि और उन के द्वारा बाबूगिरी ढूंढ़ना,

(५) नियन्त्रणों का हटाना,

(६) सामयिक और अस्थायी कारण जैसे पानी की कमी से नारंगी उद्योग पर प्रभाव पड़ना और सीमेंट तथा लोहा आदि मकान बनाने के सामान की कमी से निर्माण उद्योग नष्ट होना,

(७) मिल के बने कपड़े की प्रतियोगिता के प्रभाव से हाथ के बुने उत्पादनों में कमी का भी बेकारी पर प्रभाव पड़ा । बेकारी दूर करने की एकोदश सूत्री योजना में योजना आयोग ने जो युक्तियां बताई हैं उन में से अतिरिक्त शक्ति योजना को राज्य सरकार ने तुरन्त कार्यान्वित करने का विचार किया है । राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा योजना की प्रवृद्धि और व्यक्तिगत मार्ग परिवहन के विकास के उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं । अन्य सिफारिशों पर आगे विचार करना आवश्यक है ।

(ख) नौकरी की परिस्थिति को बताने वाला कोई नियतकालिक प्रतिवेदन अभी तक राज्य सरकार से नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊन (निर्यात अनुज्ञप्तियां)

१३३. श्री मगनलाल बागड़ी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊन निर्यात करने की अनुज्ञप्तियां कितनी व्यापारिक संस्थाओं को दी जा चुकी हैं ;

(ख) इन व्यापारिक संस्थाओं के लिये कितनी मात्रा में (पौंडों में) ऊन निश्चित किया गया है तथा यह अभ्यंश कितनी अवधि के लिये है; और

(ग) श्रेणी ग की व्यापारिक संस्थाओं अर्थात् आन्तरिक व्यापारी जिन्हों ने भूतकाल में कुछ भी निर्यात नहीं किया है, के नाम सम्पूर्ण अभ्यंश कितना नियत किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ४५० ।

(ख) नवम्बर १९५३ से सितम्बर १९५४ के अन्त तक जहाजों से निर्यात करने के लिये २९० लाख पौंड कच्चा ऊन नियत कर दिया गया था ।

(ग) लगभग १५ लाख टन ।

राजस्थान में विस्थापितों को प्रतिकर

१३४. श्री कर्णीसिंह जी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई १९५४ तक राजस्थान में कुल कितने विस्थापितों को प्रतिकर दिया जा चुका है ; और

(ख) और उस दिन तक प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख)। ५३० दावेदारों को १८,३२,७४६ रुपये दिये जा चुके हैं। इस के अतिरिक्त खेती की भूमि के प्रमाणित दावों के ५९०३ दावेदारों को १,११,०८० एकड़ भूमि भी दी जा चुकी है।

विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

१३५. श्री कर्णीसिंह जी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विस्थापित विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि ऐसा है, तो १९४९–५० से १९५२-५३ तक प्रत्येक वर्ष के लिये कितनी राशि निश्चित की गई थी ;

(ग) राजस्थान में अप्रैल १९४८ से मार्च १९५३ तक विस्थापितों के पुनर्वास में कुल कितनी धन राशि व्यय हुई; और

(घ) राजस्थान में अनुसूचित जाति के विस्थापितों पर कितना धन व्यय किया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां।

(ख) १९४९–५० कुछ नहीं।

१९५०–५१	४.००	लाख रुपये
१९५१–५२	४.००	लाख रुपये
१९५२–५३	४.००	लाख रुपये

(ग) लगभग ४.०० करोड़ रुपये।

(घ) अलग आंकड़े नहीं तैयार किये गये हैं।

सोवियत विशेषज्ञ

१३६. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हमारी सरकार शिल्पिक परामर्श लेने के लिये सोवियत विशेषज्ञों को बुलाने के लिये सोवियत सरकार से कुछ समझौता कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सोवियत सरकार से शिल्पिक परामर्श हेतु विशेषज्ञों के बुलाने का कोई विशेष समझौता नहीं हुआ है पर उस देश से एक समझौते के अनुसार ६ मास के लिये दो फौलाद ढालने के विशेषज्ञों को बुलाने का प्रस्ताव है।

भारत-नेपाल सम्बन्ध मार्ग

१३७. श्री जी० पी० सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-नैपाल सम्बन्ध मार्ग के निर्माण में भारत सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मई १९५४ के अन्त तक १०८.७९ लाख रुपये व्यय हो चुका था।

निर्यात और आयात व्यापार

१३८. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को निर्यात और आयात व्यापार की स्थिति

(१) डालर क्षेत्रीय देशों में, और

(२) पौण्ड क्षेत्रीय देशों में,

१९५३–५४ के वर्ष में कैसी रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

रेडियो स्टेशन

१३९. सठ गोविन्द दास : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में किन-किन स्थानों पर नये

रेडियो स्टेशन खोले गये हैं या खोलने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : इस वर्ष में अब तक कोई नया रेडियो स्टेशन नहीं खोला गया है । १९५४–५५ के वर्ष में इन्दौर, जयपुर और राजकोट में नये रेडियो स्टेशन खोलने का विचार है । मैसूर रेडियो स्टेशन को इसी वर्ष में हटा कर बंगलौर ले जाने का विचार है ।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग इम्पोरियम

१४०. सेठ गोविंद दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम में १९५३–५४ में कुल कितने मूल्य की वस्तुयें बेची गईं ; और

(ख) इसे चलाने में इस के कर्मचारियों के वेतन सहित कुल कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १०.२५ लाख रुपया ।

(ख) १.१४ लाख रुपया ।

पासपोर्ट

१४१. सेठ गोविंद दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में कितने भारतीयों को (१) अमरीका (२) इंगलैंड (३) चीन (४) जापान और (५) रूस जाने के लिये पासपोर्ट दिये गये; और

(ख) इस काल में इन देशों से कितने व्यक्ति भारत आये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पासपोर्ट सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों का देशवार अभिलेख नहीं रखा जाता है । विदेशों में सामान्य रूप से यात्रा करने के लिये पासपोर्ट जारी किये जाते हैं और पृष्ठांकन साधारणतया एक से अधिक देशों के लिये होता है । इसलिये अपेक्षित जानकारी देना संभव नहीं है ।

(ख) इन देशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा भारत के लिये दिये गये पृष्ठांकनों की संख्या इस प्रकार है :—

देश का नाम	विदेशियों की संख्या
अमरीका	४७७६
इंगलैंड	२६०
चीन	६९
जापान	११३९
रूस	६७

जिन व्यक्तियों को ये दृष्टांक दिये जाते हैं वह अनिवार्य रूप से उस देश विशेष के राष्ट्रजन नहीं होते हैं । वे किसी भी देश के राष्ट्रजन हो सकते हैं, जो उस विशिष्ट समय पर वहां होते हैं और जो उस मिशन से इसलिये प्रार्थना करते हैं क्योंकि यह समीपतम होता है । इन सब व्यक्तियों की ठीक राष्ट्रीयता सम्बन्धी जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है, परन्तु जहां तक ज्ञात है उपरोक्त आंकड़ों में, विशेषतया अमरीका और जापान सम्बन्धी, अधिकांश संख्या पर्यटकों की है ।

डाक विभाग सहाय्य योजना

१४२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक विभाग की सहाय्य योजना के अधीन पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को अब तक भत्ते के रूप में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : ३१ जुलाई, १९५४ तक १,२४,८७६ रुपये ।

पट्सन मिलें

१४३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारत की विभिन्न पटसन मिलों में इस समय सेवायुक्त ब्रिटिश राष्ट्रजनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह ज्ञात हुआ है कि १-१-१९५४ को भारत की विभिन्न पटसन मिलों में ६११ ब्रिटिश राष्ट्रजन सेवायुक्त थे ।

लोहे की सलाखें

१४४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोहे की सलाखों की कमी है;

(ख) १९५३–५४ में लोहे की सलाखों का (१) प्रमुख उत्पादकों के द्वारा (२) गौण उत्पादकों तथा रीरोलरों द्वारा किया गया कुल उत्पादन; तथा

(ग) सुलभ तथा दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से आयात यदि कोई है, की कुल परिमात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार की जानकारी के अनुसार स्वदेशी उत्पादन देश की वर्तमान आन्तरिक मांग को पूरा कर सकता है ।

(ख) (१) ६७९३ टन : (२) ७८,४६४ टन ।

(ग) १९५३ में केवल सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से ६००० टन ।

चलचित्र अधिनियम १९५२

१४५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ७ के अधीन कुल कितने मामलों में दंड दिया गया ;

(ख) किस प्राधिकारी ने ये दंड दिये ; तथा

(ग) कितने मामलों में अपराध के जारी रखे जाने पर अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग)। राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमी सम्बन्धी विवाद

१४६. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण किये जाने के कारण स्थानीय कृषकों तथा विस्थापित व्यक्तियों के बीच हुए भूमि विवाद के उन मामलों की संख्या जो १९४९ से निलम्बित हैं ;

(ख) त्रिपुरा के पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त हुए प्रतिनिधियों की संख्या;

(ग) कितने विवादों का अब तक निपटारा किया गया है; तथा

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे आदिम-जाति के किसानों से भी भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिन के पास उनके उदर पोषण के निमित्त केवल तीन या चार कानी भूमि ही थी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोसले):

(क) १३ ।

(ख) ६४ ।

(ग) ५१ ।

(घ) कोई नहीं ।

गंगोवाल बिजलीघर

१४७. डा० सत्यवादी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नांगल परियोजना का गंगोवाल बिजली घर चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में इस समय कितनी बिजली तैयार की जा रही है;

(ग) वहां से बिजली किन-किन इलाकों को दी जा रही है;

(घ) बिजलीघर नम्बर २ के काम में कितनी प्रगति हुई है ;.

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने भाखड़ा बिजलीघर की योजना अभी स्वीकार नहीं की है; तथा

(च) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) बिजलीघर के ऊपरी ढांचे के निर्माण तथा बाहरी स्विच गियर की स्थापना का कार्य चालू है । टरबाइन के भूमि में दबे भाग पर कंकरीट बिछाने के कार्य को शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ङ) जी हां ।

(च) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक समिति ने यह सिफारिश की थी कि भाखड़ा में कोई विद्युत संयंत्र के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में १९५७ तक, इस कारण कि विद्युत शक्ति परिमात्रा (लोड) सम्बन्धी आवश्यकताओं से बहुत पहले अत्याधिक बड़ी विद्युत-शक्ति जनन क्षमता को संस्थापित न किया जाये, कोई प्रशासनिक निर्णय न किया जाये यह मामला सरकार के परीक्षाधीन है ।

उर्वरक

१४८. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **उत्पादन** मंत्री आंध्र राज्य को वर्ष १९५४–५५ के लिये आवंटित उर्वरक की परिमात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री क० सी० रेड्डी) : उर्वरक का आवंटन पत्री वर्ष के अनुसार किया जाता है । आंध्र राज्य को सन् १९५४ के लिये ६५,००० टन आवंटित किया गया है ।

आबेध-यंत्र कारखाना

१४९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कोई आबेध-यंत्र कारखाना है ;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम जहां वह कारखाना स्थित है; तथा

(ग) उक्त कारखाने का वार्षिक उत्पादन ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) । इस समय सात कारखाने चीनी के विद्युत-आबेध-यंत्र बना रहे हैं । पांच कारखाने कलकत्ता में स्थापित हैं एक बंगलौर में है तथा एक बम्बई में है ।

(ग) इन कारखानों का सन् १९५३ का कुल उत्पादन ३० लाख यंत्र रहा है ।

रूई (आयात)

१५०. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी १९५४ से १ अगस्त १९५४ तक रुई का कुल आयात ; तथा

(ख) उन देशों के नाम जिन से यह आयात किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३)

(ख) केनिया, टंगानीका सूडान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों से ।

मूंगफली तथा मूंगफली का तेल

१५१. **डा० रामाराव** : क्या **वाणिज्य** तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश की मूंगफली तथा मूंगफली के तेल की कुल अनुमानित खपत तथा आवश्यकता ;

(ख) देश में और विशेषकर आंध्र में इन वस्तुओं का निर्यात योग्य कुल अतिरेक; तथा

(ग) निर्यात किये जाने की अनुज्ञा दी हुई कुल परिमात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख)। कोई निश्चित अनुमान देना तो कठिन है पर खपत के बढ़ते चले जाने की सूचना है और गत वर्ष की फसल में से शायद ही कुछ भाग शेष रहा हो ।

(ग) चालू वर्ष में ८,५०० टन हाथ से चुनी हुई श्रेष्ठ प्रकार की मूंगफली के निर्यात किये जाने की अनुमति दी गई है । मूंगफली के तेल को सुस्थापित निर्यातकों को १५ प्रतिशत आवंटन के आधार पर जिसकी अधिकतम मात्रा किसी एक निर्यातक के लिये ४०० टन हो सकती है, निर्यात करने की अनुमति दी गई है। कोई परिमात्रा निश्चित नहीं की गई है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
३१ अगस्त, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
मवार २३ अगस्त, १९५४	
। सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य । . . . . ९७—१०४

पटल पर रखे गये पत्र—

अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४

हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९

संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०

परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२

सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२

प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :

विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२

वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२

सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२

"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२६

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्मेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—— स्तम्भ
विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव——
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना .
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .
पटल पर रखे गये पत्र——
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प——स्वीकृत . ८५९——
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प——स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक——
खंडवार विचार——असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र ——
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन——
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००
सभा का कार्य——बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२——१००५
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . . १००६——१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
...तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
...तीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
...तीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
...तीय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
...तीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
...तीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७१
...तीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
...तीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
...भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४	१०७१
...के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
...नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
...न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
...कारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
...तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
...कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८
...वार ११ सितम्बर, १९५४	
...न पर रखे गये पत्र—	
...मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें	११६९
...सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
...धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	११७०—१२०२
...रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	१२०२—१२०५
...तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१२०६
...त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२९२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

पटल पर रखे गये

बीमा अधिनियम, १९३८ क अधीन अधिसचनायें

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ ग की उपधारा (२) के अधीन मैं निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं:

(१) वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या ६५८–आइ (२)/४४, दिनांक २७ मई, १९५४—**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एस-२५१/५४]**;

(२) वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या ६६६-आइ (१)/४६, दिनांक २७ मई, १९५४ **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस २७२/५४]**।

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव: मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा की ३० अगस्त, १९५४ की बैठक में हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक, १९५२ पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय को शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४ तक बढ़ान का प्रस्ताव पारित हुआ।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक —जारी

अध्यक्ष महोदय: २६ अगस्त, १९५४ को डा० कैलाशनाथ काटजू ने अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव रखा था, उस पर अब हम अग्रेतर विचार करेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही, संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री लाइकर अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री लाइकर (कचार—लुशाई पहाड़ियां —रक्षित— अनुसूचित जातियां): अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त, श्री श्रीकान्त, ने वर्ष १९५३ के अपने प्रतिवेदन में एक स्थान पर कहा है कि राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी

[श्री लाश्कर]

से यह पता चलता है कि अभी तक अस्पृश्यता सम्बन्धी दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । ऐसे अनेक उदाहरण नित्य ही दिखाई या सुनाई देते ह, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अस्पृश्यता की भावना में अभी कोई विशेष कमी नहीं हुई है । गांवों में तो यह समस्या अभी तक अपने विकराल रूप में विद्यमान है । केवल संविधान में इसके उन्मूलन की व्यवस्था करने से ही काम नहीं चलेगा । प्रधान मंत्री श्री नहरू के शब्दों में हमें इसका डटकर सामना करना होगा । न्यूनाधिक रूप में यह समस्या सारे भारत में आज भी विद्यमान है । संभवतः नगरों में कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ हो, परन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा, गांवों में इस समस्या का स्वरूप आज भी वैसा ही है, जैसा कि हज़ार वर्ष पूर्व था । कुछ ऊंची जाति के लोगों में घृणा और दमन की भावना अभी तक प्रचलित है ।

श्री श्रीकान्त ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में कहा है कि आसाम राज्य में अस्पृश्यता नहीं है । सम्भव है उन्हें ग़लत सूचना मिली हो । मैं यह कह सकता हूं कि यह कथन सर्वथा असत्य है । मैं वहां की स्थिति से भली प्रकार परिचित हूं । आसाम में प्रायः सभी अनुसूचित जातियों को अछत माना जाता है । नाथ, मनीपुरी और महिष्यादास आदि कुछ पिछड़ी हुई जातियों को भी अछूत माना जाता है । ऊंची जाति के पुरोहित आदि उनके धार्मिक कृत्यों में भाग नहीं लेते हैं । उनके द्वारा दी गई खाद्य वस्तुओं और यहां तक कि पीने के पानी तक को ऊंची जाति के लोग ग्रहण नहीं करते हैं । उन्हें मन्दिरों आदि में जाने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं । ऐसी दशा में वे अछूत नहीं हैं, तो क्या हैं ? वस्तुतः आसाम राज्य में अनुसूचित जातियों की दशा बहुत खराब है । यदि वहां पर अस्पृश्यता नहीं है तो केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५३-५४ के लिये आसाम सरकार को अस्पृश्यता निवारण के लिये ५०,००० रुपये क्यों दिये ? इससे भी मेरे कथन की पुष्टि होती है ।

अस्पृश्यता की परिभाषा के अनुसार इस विधेयक के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जातियां ही नहीं बल्कि ईसाई, मुसलमान और आदिमजाति आदि जैसे ग़ैर हिन्दू अछत आ जायेंगे । इस चीज़ को दृष्टि में रखते हुये यदि आसाम राज्य के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है, कि वहां लगभग ५९ लाख व्यक्ति अछूत हैं, जिनमें से २२ लाख व्यक्ति हिन्दू अछूत हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वहां की कुल जनसंख्या का लगभग ६५ प्रतिशत भाग अछूत है । इन आंकड़ों को देने का मेरा तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्यों के दिमाग़ से यह ग़लतफहमी दूर हो जाय कि आसाम में अस्पृश्यता नहीं है । और दूसरा उद्देश्य यह है कि भविष्य में अनुदान देते समय केन्द्रीय सरकार हमारे राज्य के साथ अन्याय न करे । मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिये आसाम को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान दिया गया है । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में आसाम का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आसाम की जो उपेक्षा की गई ह, वह उचित नहीं है ।

शीघ्र ही हम इस सम्बन्ध में एक सामाजिक विधान बनाने जा रहे हैं । हमें देखना यह है कि समाज में इसे कहां तक सफलता मिलेगी । विभिन्न राज्यों में बहुत से सामाजिक

निर्योग्यता सम्बन्धी अधिनियम हैं, परन्तु उनसे लाभ कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी अनुसूचित जातियों पर तरह तरह के अत्याचार किये जाते हैं।

आचार्य विनोबा भावे पर कुछ हरिजनों को बैद्यनाथ मंदिर में ले जाने के कारण हमला किया गया और इसी प्रकार संसद् तथा विधान सभाओं के कुछ अनुसूचित जाति के सदस्यों को कुछ हरिजनों के साथ बनारस के विश्वनाथ मंदिर में जाने से रोका गया। यह क्यों होता है ? सामाजिक विधान प्रभावी बनाने के लिये सरकार तथा जनता दोनों का सहकार्य आवश्यक होता है। श्री श्रीकान्त के प्रतिवेदन से यही प्रतीत होता है कि सरकार इस विषय को विशेष महत्व नहीं देती है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जनता भी अस्पश्यता के विरुद्ध कोई संगठित प्रयत्न नहीं कर रही है। इन दोनों के सहकार्य के बिना तो यह विधि प्रभावहीन बन कर रहेगी।

इस विधि के कारण अस्पृश्य तथा सवर्ण जातियों के कुछ लोगों के दिलों में भय, दम्भ आदि की जो विकृत भावनायें पैदा हो गयी हैं वह अवश्य हट जायेगी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आदि फूट पड़ने वाली प्रवृत्तियों का निर्मूलन करने के लिये हमें अपने प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जट जाना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी को इस विधेयक के यहां उपस्थित करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। स्वराज्य प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर उपस्थित किये और मेरा मत है कि उन सब विधेयकों में इस विधेयक का श्रेष्ठतम स्थान है। जब हम संविधान बना रहे थे उस समय हमने अस्पृश्यता को एक जुर्म क़रार दिया और यह आवश्यक था कि संविधान बनाने के पश्चात् इस प्रकार का विधेयक यहां पर बहुत शीघ्र उपस्थित होता, फिर भी यदि दिन भर का भूला भटका रात को भी घर आ जाय तो वह भूला भटका नहीं कहलाता। देर से ही क्यों न हो, यह विधेयक हमारे सामने उपस्थित हुआ।

हमको अपने देश में जो कुछ हो रहा है उसमें से अनेक बातों पर गर्व है। निर्माण की हमारी जो योजनायें चल रही हैं, मैं समझता हूं कि उस प्रकार की योजनायें इस संसार के बहुत कम देशों में चलती हैं। हमारी वैदेशिक नीति जितनी दूर तक सफल हुई है, और हो रही है, उस पर भी हम को गर्व है। परन्तु हमारी जो कमज़ोरियां हैं उन की तरफ से भी हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि इस सम्बन्ध में अभी भी हमारी अनेक कमज़ोरियां हैं। मुझे एक घटना का स्मरण आता है। मृत्य के पूर्व गांधी जी, जिस समय यहां पर एशियन कान्फरेन्स हो रही थी, उस में गये थे। उन्होंने उस समय अपने भाषण में एक बात कही थी कि यदि विदेशियों को इस देश का सच्चा रूप देखना है तो वह बम्बई में, कलकत्ते में, दिल्ली में या इस प्रकार के नगरों में देखने को नहीं मिल सकता। इस देश का सच्चा रूप गांवों में देखने को मिलता है और गांवों में भी अस्पृश्ययों के घरों में। गांधी जी हमारी कमज़ोरियों को भी हमारे सामने और संसार के सामने उपस्थित करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। वे हमारी कमज़ोरियों को बुलन्द से बुलन्द आवाज़ में हमारे देश के सामने उपस्थित करते थे और उन को इस बात का कदापि भय नहीं होता था कि उन कमज़ोरियों को जानने पर दुनिया के लोग हमें क्या कहेंगे। अस्पृश्यता हमारी उसी प्रकार की कमज़ोरी है। इस प्रकार की कमज़ोरियों से विदेशों

[सेठ गोविन्द दास]

में भी हमारा मस्तक बहुत नीचे झुक जाता है ।

मैं आप को अपने दो तजुर्बों को बतलाना चाहता हूं । जिस समय न्यूज़ीलैंड में कामनवैल्थ पार्लियामेंटरी कान्फरेन्स हो रही थी, और मैं उस कान्फरेन्स में दक्षिण अफ़्रीका के रंग भेद के विषय में कुछ कह रहा था तो दक्षिण अफ़्रीका का एक प्रतिनिधि उठ कर बोला कि आप के देश में अनटचेबिलिटी की क्या स्थिति है ? मैं ने उत्तर दे दिया कि हम अपने संविधान के ज़रिये उस को समाप्त करने वाले हैं क्योंकि उस समय तक यह काम हुआ नहीं था । कनाडा में फिर वही बात हुई । कैनाडा में भी जब मैं दक्षिण अफ़्रीका के रंग भेद के लिये में कह रहा था तो फिर दक्षिण अफ़्रीका का एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ और उस ने कहा कि अनटचेबिलिटी का भारतवर्ष में क्या हाल है ? उस समय हम अनटचेबिलिटी अर्थात् अस्पृश्यता को अपने संविधान में समाप्त कर चुके थे, मैं ने तत्काल उत्तर दे दिया कि हम इसे समाप्त कर चुके हैं, पर उस ने फिर कहा कि कानून से समाप्त करने में कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, व्यवहार में उस के समाप्त होने के सम्बन्ध में क्या हुआ है ? सभापति जी, मैं आप से कहना चाहता हूं कि सत्य के नाम पर मेरे पास इस का कोई उत्तर नहीं था । हम ने संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, इस में सन्देह नहीं, परन्तु हमें सत्य के नाम पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि व्यवहार में अब तक हम उसे समाप्त नहीं कर सके हैं ।

मैं इस बात को मानता हूं कि परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है । यदि हम पुराने समय को देखें और आज के समय को देखें तो जो लोग सार्वजनिक जीवन में रह रहे हैं, सन् १९२० से, उन को यह परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जिस समय गांधी जी ने सब से पहले अस्पृश्यता की आवाज़ को उठाया था उस समय अस्पृश्यता की जो अवस्था थी आज वह अवस्था नहीं है । अस्पृश्यता से हम गांधी जी के समय के भी पूर्व से लड़ रहे हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के द्वारा इस विषय में बहुत बड़ा काम किया था । आधुनिक भारत के दो सब से बड़े आदमी हैं । एक स्वामी दयानन्द सरस्वती और दूसरे महात्मा गांधी । दोनों गुजरात में पैदा हुये और गुजरात को इस बात का गर्व है कि इस प्रकार के महज्जनों को उस ने जन्म दिया । अस्पृश्यता के खिलाफ हमारी लड़ाई बराबर चली आ रही है । संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने के पश्चात् और इस विधेयक को विधि के रूप में परिणत करने के पश्चात् भी हम सब का यह कर्तव्य होना चाहिये कि जिस जिस क्षत्र में अस्पृश्यता है, जिस जिस क्षेत्र से हम यहां पर आते हैं, या हमारी विधान सभाओं के सदस्य जिस जिस क्षेत्र से आये हुये हैं उन सब को इस बीमारी के खिलाफ जिहाद हो ? जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के विधेयक से हमारा पूरा काम नहीं चल सकता । मैं इस बात को मानता हूं कि यह विधेयक भी हमें बहुत दूर ले जायगा, लेकिन इस विधेयक के साथ साथ हमें जनमत बनाने का भी प्रयत्न करना होगा । कोई भी इस प्रकार का सामाजिक विधेयक तब तक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकता जब तक कि जनमत भी परिवर्तित न हो ।

मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक में जो बात कही गई हैं उन को कार्य रूप में परिणत करने में सरकार भी सदा कटिबद्ध रहेगी ।

सभापति महोदय: मैं सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी बातें अत्यन्त संक्षेप में कहें।

श्री पी० रामस्वामी (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं नहीं जानता कि क्या इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिये या निन्दा।

अस्पृश्यता की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। गांधी जी द्वारा किये गये संघर्ष के बाद भी वह अभी जीवित है। और मुझे सन्देह है कि प्रस्तुत उपाय से हमें क्या लाभ होगा। यह एक मानसिक समस्या है; और यही मेरी उलझन है। इसका इलाज कानून से नहीं अपितु सामाजिक शिक्षा से ही होगा। फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत इसलिये करना चाहता हूं कि इसके द्वारा दुराग्रहियों का दिमाग़ दुरुस्त हो जायगा। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से केवल यही पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात साल बाद क्यों लाया गया। इस विलम्ब का आप कैसे समर्थन करेंगे?

गांवों में तथा नगरों में हरिजनों की बस्तियां अलग होती हैं। हम किसी कानून द्वारा हरिजनों को सवर्णों के बीच कैसे बसा सकते हैं? अगर वे चाहें तो हरिजनों को अपनी बस्तियों में घर या ज़मीन बेचेंगे ही नहीं। जब माननीय मंत्री ने दाढ़ी बनाने वाले का उल्लेख किया तब हम लोग हंस पड़े लेकिन हमारी असमर्थता का प्रदर्शन भर था।

माननीय मंत्री ने मानसिक वातावरण तैयार करने की बात कही थी लेकिन यह कैसे हो? क्या इस विषय में सरकार की कोई ज़िम्मेवारी नहीं है? और यदि है, तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है। केवल वैयक्तिक प्रचार से विशेष सफलता नहीं प्राप्त होगी। उसका समर्थन सरकारी कार्यवाही द्वारा किया जाना चाहिये।

मैं अपने कुछ सुझाव रखता हूं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये। सामाजिक समस्याओं का आर्थिक समस्याओं से गहरा सम्बन्ध है। जिस प्रकार शरणार्थियों के लिये २ अरब रुपये खर्च किये गये उसी प्रकार हरिजनों के आर्थिक पुनःस्थापन की आवश्यकता है। हरिजनों की दशा इस समय बड़ी शोचनीय है। सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि वह सब को रोज़गार दे। जिस प्रकार अन्य लोगों को अवसर दिये जाते हैं उसी प्रकार हरिजनों को भी नौकरियां मिलनी चाहिये।

मेरे विचार से प्रत्येक गांव में १० प्रति शत भूमि हरिजनों को दी जानी चाहिये यह एक उचित मांग है। ग्रामोद्योग और छोटे छोटे उद्योगों का विकास होना चाहिये। सरकार को इस विषय में कई करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता है।

हमें पृथकत्व की भावना के विरुद्ध युद्ध करना है। पृथक् मन्दिर, छात्रावास, कुंए आदि की अब ज़रूरत नहीं है। गांधी जी बड़े व्यावहारिक पुरुष थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम एक हरिजन लड़का या लड़की पालनी चाहिये। उन्होंने स्वयं एक हरिजन कन्या को गोद लिया था जिस का नाम लक्ष्मी देवी था और वह साबरमती आश्रम में रहती थी।

क्या सरकार अन्तर्जातीय विवाह आदि को प्रोत्साहन नहीं दे सकती? संसद् के हरिजन सदस्यों को भी इस प्रकार का एक संकल्प संसद् से पारित कराने के लिये प्रस्तुत कर देना चाहिये।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आदरणीय सभापति महोदय...

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : क्या वे समिति के सदस्य हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है यहां की प्रथानुसार प्रवर-समिति के सदस्यों से बोलने को नहीं कहा जाता ।

कुछ माननीय सदस्य : वे समिति के सदस्य नहीं हैं ।

सभापति महोदय : तब तो वे बोल सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : औचित्य प्रश्न के हेतु प्रथा यह है कि कांग्रेस के प्रत्येक दो सदस्यों के पश्चात् विरोधी दल के एक सदस्य से बोलने को कहा जाय ।

सभापति महोदय : इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है । यह एक सामाजिक विषय है ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : सभापति जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि भारत की कई करोड़ पददलित जनसंख्या के उद्धार के लिये हमारे भगवान कैलाशनाथ जी कैलाश से यहां पर आ गये हैं जैसा कि मैं ने पहले सेशन में भी कहा था इस सम्बन्ध में मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि वे उन जातियों के उत्थान के लिये, जो कि हज़ारों वर्ष से पददलित थीं, यह विशेष विधयक लाये ।

यह सेलेक्ट कमेटी में उनको विचार करना चाहिये और उसके लिये मुझे पूरी आशा है कि वह उसको कार्यान्वित करने के लिये भी पूरा प्रयत्न करेंगे । अब मैं अपने विषय पर आता हूं । सब से पहले तो मुझे यह कहना है कि हमारे शर्माजी जानते थे कि शास्त्री जी तो ज़रूर इस बारे में शास्त्रीय चर्चा करेंगे, इसलिये जानबूझ कर उन्होंने अपनी आपत्ति उठायी ताकि मैं आउट हो जाऊं.....

श्री नन्नलाल शर्मा (सीकर): श्रीमान्, क्षमा चाहता हूं, मैं उनके भाषण में बाधा नहीं डालना चाहता था ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : सिवाय मुझे बोलने से वंचित रखने के अलावा और क्या वजह हो सकती है जो शर्मा जी ने....

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : शर्मा जी ने कहा, यह न कहा जाय, नन्दलाल शर्मा ने कहा ऐसा कहा जाय, क्योंकि हाउस में बहुत से शर्मा हैं ।

सभापति महोदय : खेद प्रकट हो जाने से यह मामला समाप्त हो जाता है ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : सर्व प्रथम तो मुझे यह कहना है कि इस प्रकार का बिल तो आज से बहुत पहले, हज़ारों वर्ष पहले, पास हो जाना चाहिये था । शास्त्रों में ऐसा लिखा है और अथर्व वेद जिसको, हम सब हिन्दू भाई मानते हैं उसमें लिखा है खैर इस समय मुझे वह श्लोक नहीं याद आ रहा है वह बाद में मैं पेश करूंगा । पहले मैं पढ़ने के बारे में यजुर्वेद के २६वें अध्याय का जो दूसरा मंत्र है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । वह इस प्रकार है :

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्म राजन्याभां शूद्राय चारणाय च स्वाय॥

—यजुवद मंत्र—२, अध्याय (२६)

यह वेद वाणी जो कि समस्त संसार के लिय कल्याणकारी ह, प्रत्यक मनुष्य नौकर,

चाकर, मालिक , ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र सबके लिये समान रूप से लाभप्रद है उसको मैंने अभी आपकी सेवा में उद्धृत किया लेकिन अभाग्यवश बीच में कुछ संकुचित विचार वालों ने इस का पालन नहीं किया और न तो खुद ही उस देववाणी को पढ़ा और न दूसरों को पढ़ाया और देश संस्कृत की देववाणी से वंचित रहा ।

इसके अतिरिक्त अथर्ववेद का वह मंत्र भी मैं आपको यहां पर सुनाना चाहता हूं जो मुझे पहले याद नहीं आ रहा था और वह इस प्रकार है :—

समानि प्रपासद् वो अन्नं भागः
समाने योक्त्रे सद् वो प्रनज्मि ।
सम्पन्नमारा सर्वयतः रथनाभावरा इव ॥
—(अथर्व वेद)

उसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे खान का स्थान एक होना चाहिये, तुम साथ मिल कर खाओ और उसमें एकता की भावना है, गाड़ी के पहियों के समान मिल कर जिस प्रकार आरा एक दूसरे के साथ जुड़ा होकर गाड़ी को चलाता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य इस समाज की जो व्यवस्था है उसको चलाये । मैं इसके पक्ष में अनेकों प्रमाण पुराण से भी दे सकता हूं लेकिन समय न होने के कारण मैं उनको यहां पर पेश नहीं करना चाहता । पुराणों में गंगा की महिमा के सम्बन्ध में क्या ही सुन्दर लिखा है :

गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजाननांशतैरपि ।
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति ॥
(भविष्य तथा पद्म पुराण)

भावार्थ—४०० मील से भी अगर कोई "गंगा" शब्द कहता है तब भी वह सीधे बैकुंठ में चला जाता है, फिर जो भाई गंगा में नहाते हैं और गंगा, गंगा कहते हैं और उसमें मुसलमान भी आ गये उन सभी को बैकुंठ चला जाना चाहिये, यदि हम पुराणों को मानतें हैं । इस आधार पर तो यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था और इसमें देरी नहीं होनी चाहिये थी लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाय तो भूला नहीं कहलाता, इस नाते मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं ।

अब मैं प्रस्तुत विषय पर कुछ आपको बतलाना चाहता हूं और वह एक छुआछूत की घटना है जिस पर स्वयं हमारे मिनिस्टर साहब भी लज्जित हैं और वह चीज़ कहे बिना नहीं रही जाती । घटना इस प्रकार है । सोलह जून को ईस्टर्न कोर्ट में मिकैनिक विभाग में कुल ५४ आदमी हैं जिनमें केवल एक हरिजन है जिसका नाम रामजी दास है और जो वहां पर चपरासी के पद पर है । यह वाक़या सोलह जून का है जब कि उस चपरासी ने स्टाफ की सुराही पानी पीने के लिये छू ली तो उसको मारा गया और सुराही फोड़ दी गई । जब उस रामजी दास ने विभाग के हेड डी० डी० गुप्ता को रिपोर्ट दी तो वह काग़ज़ फाड़ दिया गया । उस केस पर जब हमारे मंत्री जी ने इन्क्वायरी कराई और वह डी० डी० गुप्ता के सामने हुई तो उनके सामने जो ५४ के ५४ आदमी थे उन्होंने ढंग से रिपोर्ट नहीं दी । अगर गुप्ता जी से अलग रिपोर्ट ली जाय तो सही बात का पता चलेगा लेकिन गुप्ता जी के सामने न लें । आज उस आदमी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, एक हिन्दू भाई ने आकर मुझे बतलाया कि उसको यहां से ट्रान्सफर किया जा रहा है, और उस पर चार्जशीट लगायी जा रही है ? इसलिये मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि भविष्य में वही गवर्नमेंट सर्विस में अंटर हो सके जो फार्म पर इस तरह की प्रतिज्ञा कर ले कि वह किसी तरह की छूआछूत नहीं बर्त्तेंगे, सर्विस कंडीशन्स

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

के फार्म में इस तरह का एक खाना होना चाहिये । राजस्थान के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर होली, दीवाली के दिनों में हरिजनों की औरतों को ले जाकर मोहल्लों में फिराते हैं और उनके साथ भद्दा मज़ाक करते हैं जो कि अनुचित है और इस प्रकार की अनुचित प्रथायें खत्म होनी चाहियें दूसरी बात यह है कि यह जो कानून बन रहा है, ऐसा न हो कि बीच में दबाव पड़ने के कारण इसको नरम कर दिया जाय, उसका कड़ा रूप होना चाहिय और ऐसा न हो जैसा कि यहां पर शक़ ज़ाहिर किया गया कि सरकारी अफसर बीच में रिश्वत खा कर अस्पृश्यता का अपराध करने वालों को छोड़ दें । दूसरे जैसा श्री एस० एन० अग्रवाल ने कल कहा कि गांवों की सामाजिक परिस्थितियों ने हरिजनों को मजबूर कर दिया है कि वह स्वयं कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है । दूसरी घटना इस प्रकार है कि गुजरात में कलोल नामक स्थान में एक हरिजन भाई पंजाब का जो जूता गांठने वाला था, वह एक होटल में चाय पीने के लिये गया, जब लोगों को मालूम हुआ कि यह हरिजन है तो उसको इतना मारा गया कि उसका हाथ टूट गया और उसका केस चल रहा है, अब वह बेचारा केस लड़ने के लिये रुपया कहां से लावे ?

इसी तरह की एक घटना का समाचार अभी अखबार में निकला है कि पटियाला में जाट भाइयों में यह बात ठहरी कि जो आदमी हरिजनों के यहां पानी पीयेगा उसको दो बोतल शराब पिलायेंगे । शराब के लालच में एक भाई ने हरिजनों के यहां पानी पी लिया । दूसरे दिन उन्होंने एकत्रत होकर हरिजनों को दण्ड दिया कि तुम लोग हरिद्वार गंगा नहाने जाओ और २५ रुपय जुर्माना दो । और मैं भी कितने ही उदाहरण और घटनायें पेश कर सकता हूं लेकिन समयाभाव के कारण ऐसा नहीं करना चाहता ।

और अधिक न कह कर मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा बिल संसद् के सामने रक्खा । मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि इस को लोक प्रचार के लिये न भेजा जाय और इसको जल्द से जल्द पास करके लागू किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): अस्पृश्यता निवारण विधेयक जो मंत्री महोदय यहां पर लाये हैं और जो कि सेलेक्ट कमेटी को जाने वाला है, उसका मैं स्वागत करता हूं । इस बिल में सफा तीन क्लाज़ ६ में इस तरह से दर्ज है: अछुतों को सेवा प्रदान करने तथा वस्तु बेचने से इनकार करने के विरुद्ध निषेध: "कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति अछूत है साधारण व्यवहार में उसे किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने या वस्तु बेचने से इन्कार नहीं कर सकेगा ।"

इसके साथ ही साथ यदि आप आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स सफा ७ में देखेंगे तो उसके सी क्लाज़ में इस तरह से पायेंगे: "(ग) जो कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति पर— जो अस्पृश्यता के आचरण को अस्वीकार करता हो, अथवा इस नई विधि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में गतिशील हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक निर्योग्यता लगाता है, या उसका बराबरी से बहिष्कार करता है, उसे इस अपराध का भोगी समझा जायगा ।" यह जो दोनों बातें हैं इससे यह मसला हल नहीं होता । मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खास

कर हमारे छत्तीसगढ़ के इलाक़े में हरिजन भाइयों के साथ में उन्हें धोबी और नाई देने के मसले पर, सभापति जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने दो, दो बिल वहां पर पास किये हैं । मध्य प्रान्त तथा बरार अनुसूचित जातियां (नागरिक निर्योग्यता (निवारण) अधिनियम, १९४७ और दूसरा क़ानून जो वहां की सरकार ने पास किया उसका नाम मध्य प्रान्त तथा बरार देवमन्दिर प्रवश अधिकरण अधिनियम, १९४७ है ।

इन दो बिलों के होते हुये भी जो बिल कि सन् १९४७ में पास कर दिये गये हैं, अगर आप हरिजनों की बस्ती में उनके साथ में जायें तो पायेंगे कि कोई धोबी उन का काम नहीं करता है । और अगर कोई धोबी उन का काम कर दे तो उस को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है । इसी तरह से यदि कोई नाई गांव में रहता है तो हरिजनों का काम नहीं करता है और यदि लोगों के कहने से वह कार्य कर भी दिया तो उस को भी बहिष्कृत कर दिया जाता है । यहां तक कि उसके ऊपर बड़े बड़े दण्ड लगा कर बड़े से बड़ा दण्ड जाति बहिष्कृत का लगा दिया जाता है और उस के पास सम्पत्ति होती है, जो जमीन होती है उसको भी बेच देना पड़ता है और जात के बंधन में रहना पड़ता है । इस कार्य को दूर कर के उन्हें नाई व धोबी मिलना निहायत आवश्यक है ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या नाई और धोबी को ?

सरदार ए० एस० सहगल: जी हां, नाई और धोबी को । जिस कान्स्टिटुएन्सी से मैं आता हूं वहां पर हरिजनों की क़रीब क़रीब चार लाख की तादाद है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इन चीज़ों पर ग़ौर करें । यदि हम ने कानून बनाया तो अच्छा है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया तब भी बहुत अच्छा है । लेकिन यदि इस कानून का हम ठीक ठीक से पालन नहीं करते हैं, इस को वहां पर कड़ाई से हम लागू नहीं करते हैं तो इस क़ानून के बनाने से क्या फायदा होगा ? इस लिये इन सारी बातों को देखते हुये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उसे अमली जामा पहनाइये तो बहुत अच्छा होगा लेकिन यदि यह विधेयक खाली देखने के लिये तथा तारन पर रखने के लिये बनाया जाता है तो इस से तो कार्य चलने वाला नहीं है । यदि हम इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकेंगे तो इस से क्या फायदा होगा ? मैं आज अपने सवर्ण हिन्दू भाइयों से भी कहता हूं कि आप उन को अपने यहां अगर काम पर नहीं लगावेंगे अपने घर पर काम नहीं करने देंगे, तो उनका भला नहीं हो सकता और जो अस्पृश्यता की भावना मन में बैठी है वह दूर न होगी । आप भले ही उन को ज़मीन जोतने के लिये लगा लें, लेकिन घर के जो दूसरे कार्य हैं उन से नहीं कराते है तो उन की स्थिति में कोई पुधार नहीं हो सकता है । यदि वही हमारे हरिजन भाई शहर में आ जाते हैं और वह किसी नाई की दूकान पर जाते हैं तो नाई उस के कार्य को कर देते हैं । लकिन देहात में रहते हुये नहीं करेंगे । यदि हमारे हरिजन भाई शहर आ जाते हैं तो जो धोबी है वह भी उस का काम कर देगा, लेकिन देहात में रहते हुय् नहीं करेगा । इस तरह की कार्रवाइयों को दूर करने के लिये विधेयक में साफ तौर पर दरशाया था । मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन बातों को देखते हुये इस में जो आप ने क्लाज रक्खा है उस में आप को स्पष्ट कर देना था, और आप का जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उस में आप को हर बात को स्पष्ट कर देना था । आप समझते हैं कि जब आपके रास्ते में दिक्कतें

[सरदार ए० एस० सहगल]

आयेंगी तो उस के बाद सब मसले इस से हल हो जायेंगे । लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता यह ठीक है कि आप बड़े योग्य वकील हैं और एडवोकेट रह चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में अब तक नहीं आया और मैं इन बातों तक अभी तक पहुंच नहीं सका हूं कि इस तरह से सब मसले इस विधेयक से कैसे हल हो जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ जो विधेयक आपने पेश किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० ए० बोरकर (भंडारा—रक्षित —अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, गृह मंत्री जी ने बिल यहां पेश किया है उस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि अपनी राय आप के सामने रक्खूं । सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हरिजनों का एनिमी नम्बर १ है वह यह है कि जो लोग अपने को धर्म के नाम पर ज़िन्दा रखना चाहते हैं । मैं ने देखा कि जब यहां इस बिल की चर्चा चली तो एक ६० साल के माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी यह इच्छा है कि मैं एक हरिजन लड़की के साथ विवाह करूं । हरिजनों का सवाल कोई मखौल करने का सवाल नहीं है, यदि कोई समझे कि यह मखौल का सवाल है तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज हरिजनों में जागृति आ गई है वह इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे । मखौल करने के दिन चले गये । हम तय कर चुके हैं कि हमारी जो आर्थिक तथा सामाजिक हालत है, जो विषमता है, उस के दूर करने के लिये हम कड़े से कड़ा क़दम उठायेंगे । अब हम इस के लिये पूरी तरह से आमादा हो गये हैं । धर्म के नाम पर आज हमारे देश में बहुत सी बातें चल रही हैं । सभापति जी, आप को पता होगा कि हमारे देवघर में क्या हुआ । हमारे भारतवर्ष में आज कितने देवघर हैं वहां की बातें आज पेपर में नहीं आती हैं, वरना हम ने देखा है कि ऐसे कितने ही देवघर हैं जहां मानवता के अधिकार भी हरिजनों को नहीं मिलते । हम देखते हैं कि धर्म के ठेकेदार जो बने बैठे हैं वह हमेशा उस का अर्थ उल्टा लगाते हैं । एक और चीज़ यहां कही गई और मैं उस को दोहराता हूं, इस लिये कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी की और से और ब्राह्मणों की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं । मुझे ताज्जुब हुआ । मुझे एक किस्सा याद आता है और वह भी हिन्दू महासभा का । उस के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति थे, सभापति थे, हमारे सूबे के । उनके मकान के बिकने का समय आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । ऐसे भी १०० में से एक आध हरिजन निकल आते हैं जिन की आर्थिक स्थिति ठीक होती है । उस मकान का नीलाम हुआ, एक हरिजन ने उस की बोली बोली । लेकिन धर्म के नाम पर ज़िन्दा रहने वाल लोगों और मज़हब के नाम पर ज़िन्दा रहने वाले लोगों ने सिर्फ इसलिये कि बोली बोलने वाला, पैसा लगाने वाला हरिजन था, उस का सौदा नहीं पटने दिया । और वह हमारा कार्यकर्ता आज भी मकान का क़ब्ज़ा ले न सका । मैं इसलिये यह चीज़ कहना चाहता हूं कि आज हम धर्म के नाम पर जीते हैं । एक और किस्सा पन्द्रह रोज़ पहले हुआ जो कि शुद्धिकरण के सम्बन्ध में था । मैं ने देखा कि हिरजन ईसाई होता है, या धर्म परिवर्तन करता है, इस लिये नहीं कि वह धर्म परिवर्तन को पसन्द करते हैं, वह धर्म परिवर्तन करते हैं इसलिये कि वह मजबर हो जाते हैं । जब उन को मानवता के अधिकार नहीं मिलते, या जो दूसरे अधिकार उन को चाहियें वह मिलने में कठिनाई आती हैं । वे चले जाते हैं जहां पर उन को सुविधायें तथा अधिकार मिलते हैं । हमारे एक बड़े नेता बोल रहे थे कि उन का इरादा

यह था कि वह एक हरिजन को शुद्ध कर लें। मैं उन से कहना चाहता हूं कि यदि उन को शुद्धीकरण का कार्य करना हो तो पहले उन धर्म के ठेकेदारों को शुद्ध करें जो हमारे एम० एल० एज़० और एम० पीज़० को भगवान के दर्शन करने में रुकावट डालते हैं। उन में से एक स्वामी करपात्री जी हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुय हैं। पहले उन के दिल और दिमाग़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस के लिये मैं ने इस से पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि यही लोग हमारे दुश्मन नंबर १ हैं जो कि धर्म के नाम पर ज़िन्दा रहने वाले हैं और धर्म को ज़िन्दा रखने वाले कहलाते हैं। भीतरी बात यह है कि जो वह नारे बुलन्द करते हैं या जो अनेक बातें कहते हैं वह सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उन का कोई भी कहना वे अमल में नहीं लाते।

दूसरी चीज़ इस बिल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या जो है वह हमारे सामने बड़ी भारी समस्या है। आपको पता होगा हमारे प्रदेश में एक बालमगांव —सावर्नर तहसील में है। उस के नज़दीक एक कुंआं है। वहां एक हरिजन पानी भरने गया तो उस को एक सवर्ण हिन्दू भाई ने डोर से बांध दिया और कुएं में डाल दिया। उस गांव का कुंआं जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का है, हम ने उस को लिखा कि यह एक सार्वजनिक कुंआं है उस में यह घटना घटी है। लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह से उमरेड तहसील में भी एक किस्सा हुआ था। वहां पर दस हरिजन भाइयों को कुएं में डाल दिया गया।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): धर्म का ठेका लेने वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां है उस में यह सब हुआ है।

श्री एन० ए० बोरकर: मैं इस चीज़ को आज इस लिये कह रहा हूं कि यह सब बातें आज आप के सामने रक्खी जा रही ह और यह सब चीज़ें आज हमारे देहातों के अन्दर चल रही हैं और जो लोग धर्म के नाम पर ज़िन्दा रहना चाहते हैं उन का दिल और दिमाग़ इस तरह का है। वह अभी भी धर्म के ठेकेदार बने हुये हैं। मैं कई एसी मिसालें देना चाहता हूं। उमरेड तहसील की जो हालत है वह तो सामने में ने रखी है। और इन कामों को करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया था और जो आज भी धर्म के नाम पर ज़िन्दा रहने वाले हैं और एसे कामों में रुकावट डालते हैं।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर): औचित्य प्रश्न के हेतु ,माननीय वक्ता ने अभी स्वामी करपात्री जी का नाम लिया है जो इसका उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं। क्या यह उचित है ?

सभापति महोदय: सारे देश में जिन के नाम प्रसिद्ध हैं उन के लिये ऐसा कहा जा सकता है।

श्री नन्दलाल शर्मा लकिन वे यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: प्रत्येक व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हो सकता।

श्री एन० ए० बोरकार: सभापित महोदय, नागपुर शहर में हरिजनों के लिये मकान की समस्या तो सब से बड़ी समस्या है। जो माननीय सदस्य कल बोले थे उनके मकान के पास का मामला है। एक हरिजन अफसर थे। उनको एक मकान मिला धंतोली में। पहले उन धर्म के ठेकेदारों को यह पता नहीं था कि वह एक हरिजन हैं। इसलिये उनको किराये पर मकान दे दिया। दो महीने के बाद पता चला कि वह हरिजन हैं। श्रीमान्. मैं आपको बतलाता हूं कि इस बात का पता

[श्री एन० ए० बोरकर]

होने पर माननीय सदस्य को उस मकान से निकाला गया । जो माननीय सदस्य परसों बोले थे यह उनके पास ही हुआ था । और जिस हालत से उनको निकाला गया वह मैं आपको नहीं बताना चाहता । एक ऐसा हरिजन जो कि पढ़ा लिखा है, जो सरविस में है, जिसका 'इकानामिक स्टेटस' बढ़ा हुआ है अगर उसके साथ नागपुर शहर में, उस जगह के पास जहां पर कि धर्म के नाम पर ज़िन्दा रहने वाले रहते हैं, इस तरह का बरताव होता है, और वह धर्म के ठेकदार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तो क्या इन लोगों से कोई आशा की जा सकती है ।

यह अस्पृश्यता निवारण का सवाल हमारे देश में सबसे बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक अलग हरिजन मिनिस्ट्री बनाई जाय । अगर आपको हिन्दू धर्म के इस कलंक को मिटाना है तो आपको इस काम को करने के लिये एक अलग मिनिस्ट्री बनानी होगी । और उसमें आदमी रखने होंगे जो कि इस काम में दिलचस्पी लेने वाले हों । जब तक इसमें कोई हृदय से देखने वाला आदमी नहीं होगा तब तक इस विधेयक का अमल म आना मुश्किल होगा । मैं कहता हूं कि हमें तमाम देश का दिल व दिमाग़ बदलना है । यह बहुत वर्ष का पुराना ढांचा है और इसको बदलने के लिये अगर अलग मिनिस्ट्री नहीं बनेगी तो मैं समझता हूं कि हमारा यह मसला हल नहीं होगा । यह न हो कि यह कानून केवल किताबों में पड़ा रह जाय । हमारे संविधान ने अस्पश्यता को हटा दिया । और भिन्न भिन्न राज्यों में इसके लिये क़ानून बने हुये ह लेकिन फिर भी हमको मानवता के अधिकार नहीं मिल पाते । मैं समझता हूं कि जब तक हमारी मिनिस्ट्री अलग नहीं होगी तब तक यह सवाल हल नहीं होगा । यह कानून तो ठीक है पर यदि इसको सिर्फ कानून के रूप में ही नहीं रहना है तो मैं चाहूंगा कि इस पर अमल करने के लिये होम मिनिस्टर साहब एक अलग मिनिस्ट्री बनाने की सोचें और उस मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाये । यह हरिजनों का जो सवाल है, यह हमारे देश में सब से भारी सवाल है । आपने हरिजनों को यदि मानवता के अधिकार दिये तो मैं चाहता हूं कि इस देश के हरिजन इस देश की आर्थिक, सामाजिक और दूसरी विषमताओं को दूर करने में पूरा पूरा हिस्सा लेंगे । जैसा कि इतिहास बताता है कि वे अब तक लेते रहे हैं । अगर उनको यह अधिकार दिये गये तो वे हिन्दुस्तान का नक्शा बदलने में सबके साथ अपना कदम उठायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा): मैं इस विषय का स्वागत करता हूं । मेरे विचार से यह जल्दी नहीं बल्कि सभा में देर से आया है । पांच वर्ष पूर्व ही संविधान के द्वारा अस्पृश्यता दूर कर दी गई थी । कुछ राज्यों ने तदनुसार नियम भी बनाये थे अतः केन्द्र में भी यह काम पहले ही हो जाना चाहिये था ।

हम हरिजनों के ऊपर इस के द्वारा कोई अहसान नहीं कर रहे हैं । यह तो हमारे सैकड़ों वर्षों के कुकर्मों का एक प्रकार से पश्चाताप है । यदि हमारे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो इस बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा ।

जिस प्रकार श्रंखला की एक कड़ी भी यदि कमज़ोर हो तो सारी श्रृंखला टूट जाती है, उसी प्रकार हरिजन हमारे समाज का एक आवश्यक अंग है, और हमें इनकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

अनसूचित जातियों के आयुक्त ने पहले पतिवेदन में कहा है—"किसी समय दक्षिण

में अछूत की छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते थे किन्तु अब कहीं एसे उदाहरण नहीं हैं ।"

सन् १९५१ में आयुक्त ने सिफारिश की कि सार्वजनिक स्थानों में हरिजनों का प्रवेश निषेध नहीं होना चाहिये । संभवतः इन्हीं सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है ।

जब मैं ने सन् १९५३ का प्रतिवेदन पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । प्रवेश-निषेध के सैकड़ों मामले थे । २३२ मामलों में उन्हें दूकानों और होटलों में नहीं जाने दिया गया, ५० मामलों में कुंएं आदि से पानी नहीं भरने दिया गया, २० मामलों में मन्दिरों में नहीं जाने दिया गया, आदि आदि ।

अस्पृश्यता को दूर करने का काम केवल सरकार ही नहीं कर सकती । इसके लिये राजनैतिक दलों तथा समस्त जनता का सहयोग होना आवश्यक है । आयक्त के प्रतिवेदन में स्पष्टतया लिखा गया है कि राज्यों में अस्पृश्यता अभी तक बनी हुई है । हरिजनों के विवाह के जलूस में एक गांव में उन के छाता लगाने पर और जूते पहनने पर उन्हें पीटा गया । सारांश यह है कि केवल इस प्रकार के नियम बनाने से ही काम नहीं चलेगा । हमें जनमत तैयार करना होगा । जनता में जागति पैदा किये बिना यह काम नहीं चल सकता ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का स्वागत करता हूं । वास्तव में यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३५ का सहायक विधेयक है । राज्य सरकारों ने भी अस्पृश्यता विषयक कुछ नियम बना रखे थे । यह प्रसन्नता की बात है कि यह विधेयक प्रवर-समिति को सौंप दिया गया ह ।

विधेयक के उद्देश्यों में जो बातें दी गई हैं उन के लिये मैं इतना अवश्य कहूंगा कि विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित है । उदाहरण के लिये इस विधेयक के अन्तर्गत पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने को अपराध नहीं माना गया है ।

आयुक्त द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उससे पता चलता है कि राज्य-सरकारों के विषय के विधान लगभग असफल सिद्ध हुये हैं । वे सन् १९५२ के प्रतिवेदन में कहते हैं कि अपराध सिद्ध हो जाने पर भी, पीड़ितों को अपराधियों द्वारा दिये गये कष्टों के इवज में कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हुई । सन् १९५३ के प्रतिवेदन में भी आयुक्त ने बड़े महत्वपूर्ण शब्द लिखे है वे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों की हीनदशा के कारण वे लोग दूसरों पर इतने निर्भर हैं कि अपने कष्टों की क्षतिपूर्ति के लिय पुलिस या अंदालत तक जाने में डरते हैं ।

हैदराबाद जैसे शहर में जहां एक लाख से अधिक हरिजन हैं, उनकी उचित व्यवस्था नहीं है । भंगियों की निवास-स्थिति जांच समिति के प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार का दुःखपूर्ण हाल मिलता है ।

हमारे स्वतन्त्र भारत के गणतंत्र में यह क्या दशा हो रही है। मालाबार में ६०,००० अनसूचित जातियों के लोग लगभग दासों की तरह काम करते हैं ।

बिहार की दशा का वर्णन करते हुयें आयुक्त ने लिखा है :—

> "गांवों के हिरजनों की दशा दयनीय है । मिट्टी और फूस के मकानों में वे अपना निर्वाह करते हैं और ज़मींदार के क्रुद्ध होने पर किसी भी समय निकाले जा सकते हैं ।"

क्या सरकार ने उनकी इस दशा पर ध्यान दिया है ? हम लोगों को चार प्रकार की

[श्री अशोक मेहता]

स्वतन्त्रता देना चाहते हैं—वैधिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा अवसरीय । सामाजिक तथा अवसरीय समानता के लिये मेरा दल बराबर प्रचार कर रहा है । हमें इन दलितों की एक भूमि-सेना बनानी चाहिय जिसमें दस पांच लाख आदमी हों ।

चाहे दो अरब रुपया व्यय हो जाय, किन्तु यह सेना देश की बंजर भूमि को उद्यानों और लहलहाते हुये खेतों में परिवर्तित कर देगी। टंडन जी ने कहा है कि वे यत्रतत्र नये गांव बसा सकते हैं किन्तु मैं इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हूं । हमें इस बुराई को जड़मूल से उखाड़ फैंकना है और इस काम के साथ ही साथ हमारी बेकार भूमि को भी हमें हरी-भरी कर देना है ।

इस विषय के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान सामाजिक गतिशीलता पर किये गये अन्वेषणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । केवल कुछ व्यक्तियों के लिये उन्नति करना सम्भव हो सकता है, जैसे संसद् में अनुसूचित जातियों के अनेक सदस्य हैं । हमें उन पर गर्व है किन्तु में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमें देश के राजनैतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है । हमें जन-साधारण के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है ।

श्रीमान्, इंगलैंड में हर सौ अकुशल मज़दूरों में से केवल २५ अकुशल बने रहते हैं । शेष पचहत्तर आगे बढ़ जाते हैं । अकुशल श्रमिकों के चार बेटों में से तीन उन्नत स्थानों पर पहुंच जाते हैं । हम चाहते हैं कि इस देश में भी चार में से तीन, और यथासम्भव, चार में से चार ही अपनी जन्मकालीन अवस्था से आगे बढ़ें । सामाजिक गतिशीलता का यही रूप है ।

प्रोफेसर ग्लास ने 'ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता' नामक पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता के जांच के "जो नमूने एकत्र किये गये हैं उनसे दो निष्कर्ष निकलते हैं । प्रथम, शिक्षा का प्रकार एवं स्तर सामाजिक और दूसरा, वंश की समस्त दशाओं में पैतृक गुण की विद्यमानता ।" इसका अर्थ यह है कि पुत्र की प्रगति उसकी होने वाली शिक्षा सुविधाओं पर निर्भर है । शैक्षणिक पृष्ठभूमि में माध्यमिक पाठशाला अथवा उसके समकक्षी का अधिक महत्व है । इस के पश्चात् अधिक शिक्षण से उच्च स्तर वाले पिता के पुत्रों का विकास हो जाता है तथा निम्न स्तर के पिता के पुत्र उससे भी अधिक सामाजिक वृद्धि करते हैं ।

इसलिये ट्रावनकोर-कोचीन सरकार ने सातवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा पद्धति चला दी । मेरा विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को माध्यमिक पाठशाला तक की अवश्य ही शिक्षा दी जानी चाहिये, भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो ।

मैं ने दस लाख व्यक्तियों की एक 'भूमि सेना' तैयार करने का सुझाव भी इसी लिये ही दिया था । चाहे उस पर २ अरब या ३ अरब रुपया खर्च हो जाय, अपितु लोगों में संगठन की प्रेरणा उत्पन्न करने, उनमें शिक्षा प्रसार करने, और सांस्कृतिक धरातल से अवगत कराने के लिये यह आवश्यक है ।

हमें डा० अम्बेडकर और जगजीवनराम सरीखे व्यक्तियों पर गर्व है लेकिन यदि देश का प्रत्येक अनुसूचित जाति और आदिम-जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति समाज के ताने बाने में इसी प्रकार घुल जाय तो हमें अतीव प्रसन्नता होगी । इसके लिय हम

दूसरे देशों में जो सामाजिक गवेषणा की जा रही है उनसे लाभ उठाना चाहिये । मुझे यह जानकर आश्चर्य है कि न तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त ने और न सरकार ने ही इस प्रश्न पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है ।

इस कार्य का सब से अधिक उत्तरदायित्व सरकार पर है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मद्रास में आज भी हरिजनों के लिये पृथक् स्कूल हैं। स्वयं आयुक्त ने अपने प्रति-वेदन में लिखा है कि वन-विभाग के अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कम मजूरी देने के लिये उत्तर-दायी हैं । यदि सरकारी विभाग ही इस प्रकार काम करेंगे तो अस्पृश्यता निवारण की कोई आशा नहीं की जा सकती है । मैं जानता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस समस्या के प्रति गम्भीर है । हमें इसकी ओर दांडिक अपराधों की दृष्टि से ही विचार नहीं करना चाहिये परन्तु समस्या के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : मैं इसे प्रवर समिति को निर्देश करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पिछले तीन दिनों में इस विषय पर पर्याप्त विवाद हुआ है कि मात्र विधान निरर्थक सिद्ध होगा ।

मैं इस विधान का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरा विचार है कि इससे अस्पृश्य व्यक्तियों के कार्य को सम्बल मिलेगा । प्रत्येक भारतीय के लिये यह लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के सात वर्ष बाद भी यह बुराई विद्यमान है । मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार की विधि पारित करने से किसी सीमा तक अवश्य लाभ हुआ है । बम्बई राज्य के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है । विधि पारित करने के पूर्व वहां की स्थिति अत्यन्त निकृष्ट थी । हमने वहां प्रोपैगेण्डा किया, इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रोपैगेण्डा का प्रमाण होता ही है लेकिन समाज के प्रगतिशील लोगों पर तभी प्रभाव पड़ा जब कि बम्बई राज्य में इस सम्बन्ध में विधान पारित किया गया । नासिक महाराष्ट्र में कट्टरपन्थियों का गढ़ है । वहां काला राम मन्दिर है । यह दण्डकारण्य के मध्य में स्थित है । देश के सुदूरभागों से यात्री यहां आते हैं । लेकिन हरिजनों के लिये इस मन्दिर के द्वार बन्द थे । डा० अम्बेडकर ने १९२९ में सत्याग्रहियों के एक जत्थे का नेतृत्व किया । मैं भी सत्याग्रह से सम्बद्ध था । सत्याग्रह में राजनीति का प्रवेश हो गया । और हमें सफलता नहीं मिली । हमने विधान सभा में प्रवेश किया और विधि पारित की । अब वही लोग मन्दिर के द्वार पर हमारा स्वागत करने के लिये तैयार थे जिन्होंने एक बार हमारा विरोध किया था । विधि पारित होते ही लोग जान जाते हैं कि इस कार्य के पीछे राज्य की व्यवस्था है । विधि पारित हो जान पर सवर्ण हिन्दू कहेंगें कि हम कैसे इस कार्य का विरोध कर सकते हैं । इसके लिये विधि है । प्रत्येक गांव में हरिजन अल्पसंख्या में हैं इसीलिये सवर्ण हिन्दू उन्हें सता लेते हैं । यदि आप पानी भरने के कुओं पर एक महीने तक पुलिस बिठा दें तो धीरे-धीरे भेद भाव का अन्त हो जायेगा और लोग बाद में विरोध करना छोड़ देंगे । प्रत्येक ज़िले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा मजिस्ट्रेट का यह कर्त्तव्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिये कि हरिजनों के प्रपीड़न का समाचार प्राप्त होते ही उसे वहां जाकर देखना चाहिये कि हरिजन अपने अधिकारों का पूण उपयोग करें । इसी प्रकार नाइयों का भी एक प्रसंग

[श्री जी० एच० देशपांडे]

है। विधि के अवलम्बन पर नहीं किन्तु धैर्य तथा शान्ति के साथ सब कुछ किया जा सकता है।

मुझे मालूम है कि एक गांव में हरिजन दूल्हे को घोड़े पर बैठ कर जुलूस नहीं निकालने दिया गया। हमने लोगों को समझाया और फिर धूमधाम के साथ जूलूस निकाला गया।

श्री वेलायुधन : क्या जुलूस शादी के बाद निकाला गया ?

श्री जी० एच० देशपांडे : जी हां। दूल्हे को मालायें पहनाई गईं और एक चाय पार्टी का आयोजन हुआ। अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी विधि पारित होते ही विरोधी लोग अन्तर्ध्यान हो जायेंगे। आज देश में ऐसा एक भी दल नहीं है जो अस्पृश्यता को बनाये रखने के पक्ष में हो। उनके कार्यक्रम में यह बात हो सकती है लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है कि वे सार्वजनिक रूप में यह कह सकें कि अस्पृश्यता जारी रहनी चाहिये।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं यहां और इसी समय कह रहा हूं।

श्री जी० एच० देशपांडे : प्रजातन्त्र के आधुनिक युग में राजनैतिक जीवन में पदार्पण करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता है। वे दिन बीत गये हैं। मेरे मित्र ने इंगलैंड की स्थिति का वर्णन किया। इंगलैंड-वासियों को जगत के शोषण का अवसर मिला। यही कारण है कि उनका जीवन स्तर इतना बढ़ा चढ़ा है। पिछले सात वर्षों में हमने भी पर्याप्त प्रगति की है।

यदि हम कंधे से कंधा मिला कर काम करें तो तीन या चार वर्षों में इतिहास की सृष्टि हो कर यह बुराई जड़मूल से नष्ट हो सकती है। मेरी इच्छा है कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता और ईमानदारी से काम करे। समग्र देश, भारत के समस्त प्रगतिशील दलों से मेरी प्रार्थना है कि वह सम्मिलित रूप में इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री बाल्मीकी (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित —अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय आज दो तीन दिन से इस अस्पृश्यता निवारण बिल पर जो बहस हो रही है और अस्पृश्यता निवारण के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह जानता हूं कि देश के अन्दर यह छुआछूत का कलंक आज का नहीं है अनेक वर्षों का है और मैं गांधी जी के शब्दों में कहना चाहता हूं : "अस्पृश्यता वर्त्तमान समाज के माथे पर कलंक का टीका है। यह जिस रूप में आज हिन्दू समाज में प्रचलित है वह भगवान और मनुष्य दोनों के विरुद्ध पाप है। जैसे विष की एक बूंद सारे दूध को खराब कर देती है। उसी प्रकार इस ने सारे समाज को खराब कर दिया है।"

अभी जब मैं यह बहस सुन रहा था तो यहां पर धर्म और अधर्म के शब्द उठे। मैं यह जानता हूं कि इस देश के अन्दर जो अछूत रहे हैं वह भले ही न छुए गये हों लेकिन हिन्दुओं पर अछूतों का एक अहसान है। मैं जानता हूं कि धर्म परिवर्तन की चीज नहीं है। धर्म हृदय की चीज है। हम ने सदैव धर्म का पालन किया है अतः हम आज भी जीवित हैं।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यः, मा नो धर्मो
हतो वधीः।

उस धर्म की भावना हम में उन के उपकार से नहीं आई। वह वेद से भी नहीं आई क्योंकि

हम संस्कृत की उस वाणी से वंचित रखे गये जिसे ....

"यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः"

—वेद

मंत्र में कहा गया था। महर्षि स्वामी दयानन्द ने इस मंत्र को कह कर आज से बहुत साल पहले देश का ध्यान आकर्षित किया लेकिन धर्मान्धता तथा धार्मिक कट्टरता यहां पर होने के कारण वह बात आगे नहीं चल सकी। आज भी अगर इस बिल को कोई सब से बड़ा खतरा है तो वह यह खतरा धर्मान्धता और धार्मिक कट्टरता से है। मैं उत्तररामचरित नाटक का एक उदाहरण आप के सामने पेश करना चाहता हूं जिस से यह सिद्ध हो जायगा कि ब्राह्मण और भंगी के बीच हमारे समाज में कितनी चौड़ी खाई है और जब तक उस खाई को पाटा नहीं जाता तब तक यह देश आगे नहीं जा सकता। मैं यह जानता हूं कि गांधी जी ने और अनेक संतों ने और अनेक महापुरुषों ने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं और भगवान बुद्ध की वाणी है :

न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो
कम्मुना वसलो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो

"धम्मपित्ति सुखं सेति"।

हम ने धर्म का पालन किया है। हम आज भी सुख से सोते हैं चैन से सोते हैं। हां तो मैं उत्तर रामचरित का ज़िक्र कर रहा था कि एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को ले कर महाराज रामचन्द्र के द्वार पर आता है और वह कहता है कि तुम्हारे राज्य में मेरा लड़का मरा है। फिर आकाशवाणी होती है।

"शम्बूको नाम वषलः पथिव्यां तप्यते तपः।
शीर्षच्छेद्यः स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्॥"

श्री रामचन्द्र इतने में वहां जाते हैं जहां वह शूद्र शम्बूक तपस्या कर रहा था और अपने हाथ को इस प्रकार कहते हैं :.

हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्विजस्य
जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्
रामस्य गात्रमसि दुर्वहगर्भखिन्न
सीताप्रवासनपटो करुणा कुतस्ते ॥

अरे तुम तो वह हो कि तुम ने एक सीता को जो गर्भ से झुकी हुई थी निकाला। अरे तुझ में करुणा कहां और वह करुणा का अंश आप में कहां है। समाज और मानवता के नाम पर जब इस देश में उन से अमानवतापूर्ण व्यवहार किया गया और समाज को अमानवतापूर्ण रूप में कलंकित किया गया और उन्हें सभ्यता और संस्कृति से दूर रक्खा गया लेकिन फिर भी इस देश में ऐसे संत कबीर आदि आये जिन्हों ने इस कलंक को समाज से मिटाने का प्रयत्न किया। ब्राह्मण के प्रति मेरी कोई अश्रद्धा नहीं लेकिन ब्राह्मण मेरी राय में वह है जो एक चींटी से ले कर हाथी तक सब को एक समान दृष्टि से देखता है हम ऐसे ब्राह्मण की कद्र कर सकते हैं लेकिन अगर आज इस देश के अन्दर ऐसे ब्राह्मण हों जो अपने मन में और व्यवहार में प्राणी मात्र में भेदभाव और छुआछूत को बढ़ाते हों तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं हैं।

आजकल के ब्राह्मण मैं जानता हूं कैसे हैं। अभी जब मैं परसों आ रहा था तो एक आदमी ने मुझ से कहा, वह एक साधारण स्थिति का ब्राह्मण था जो मुझे जानता है—कि बाल्मीकि ! क्या जूता सिर पर जा सकता है और क्या सिर की टोपी पैरों में आ सकती है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर समस्या इसी प्रकार बनी रही तो वह समय आने वाला है और जल्दी ही आने वाला है जब पैर की जूती सिर पर आ जायेगी मेरी जूती नहीं आयेगी तो किसी और की आयेगी और अगर और किसी की नहीं आयेगी तो मेरी आयेगी और टोपी आप उसे भले ही टोपी समझें लेकिन वह टोपी टोपी

[श्री बाल्मीकि]

नहीं रहेगी और आज जब कि संविधान में अस्पृश्यता एक जुर्म है इस तरह का ज़िक्र हो और अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो जाता वह टोपी सिर पर नहीं है वह हमारे भाइयों के पैरों में है। मैं जानता हूं कि उस टोपी की रक्षा होनी चाहिये लेकिन जैसे एक विदेशी आदमी ने कहा कि "अस्पृश्यता का अंत हो गया है। इस का सम्पूर्ण श्रेय राष्ट्रपिता को है।" हां, अवश्य हम बापू के आभारी हैं। बावजूद इस के कि अस्पृश्यता के अंश सामाजिक दृष्टि से चारों तरफ मौजूद हैं स्वराज्य-प्राप्ति के फौरन बाद कांग्रेस सरकार ने जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली है उस ने इस अभिशाप को मिटाने के लिये भारी प्रयत्न किये हैं और हम उन के भी आभारी हैं। "कैलाश नाथ" नाम के हमारे मंत्री महोदय हैं और उन के नाम से भगवान शंकर का स्मरण हो आता है :

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति भावग्दिरः खे पसतां चरन्ति।

तावत् भ वह्निभव नेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार--कुमारसम्भव

और मुझे यहां भी मदन की सी स्थिति प्रतीत होती है कि बाह्य दृष्टि से अस्पृश्यता का नाश हो जायगा। आज हृदयों के अन्दर, शरीर के अन्दर मुझे अस्पृश्यता का एक अंश प्रतीत होता है।

मैं परसों ५ नम्बर की बस में खड़ा हुआ था। उस में एक पंजाबी औरत भी थी जो बहुत पढ़ी हुई थी, बहुत सभ्य थी और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी, यह मैं जानता हूं। उस ने अपने बच्चे को जो कि कुछ गंदा होना चाहता था चूहड़ा कह कर पुकारा और भंगी कहा। चमार भी कहा। मैं जानता हूं कि इस तरह के नाम कहां से लिये जाते हैं, तो इस का प्रभाव ठीक नहीं होता है। यह सवाल इस तरह का है और इन चीजों को दूर होना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस के लिये प्रयत्न करने की जरूरत है मैं कोई इस बात से चिढ़ता नहीं हूं। मैं इस बात में विश्वास करने वाला हूं कि अगर चूहड़े को भी मौका दिया जाय, जैसे कि दूसरों को दिया जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि वह उस कुर्सी पर जा कर न बैठ सके जिस पर कि पंडित जवाहर लाल नेहरू बैठते हैं।

यह कहा जाता है कि अगर इस प्रकार के मुट्ठी भर आदमी यहां पर रहते हैं तो यह कानून उन लोगों के लिये हैं। मैं तो चाहता था कि पैनल कोड में इस तरह की कोई चीज आ जाती। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस बिल का कोई लाभ नहीं है क्योंकि चारों तरफ इतना छुआछूत फैला हुआ है। यह अंगरेज के वक्त में तो नहीं हो सका, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ पेनल कोड में आ जानी चाहिये थी। तब इस बिल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं इस बिल का हर तरह से स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो इस तरह की अस्पृश्यता हमारे देश में है वह हमारे लिये अच्छी नहीं है।

मैं कुछ ही बातें आप के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं धार्मिक बातों में नहीं जाना चाहता। हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है और मैं जानता हूं कि धार्मिक दृष्टि से किसी चीज पर हम टीका टिप्पणी करें, यह अच्छा नहीं लगता है। मैं ने एक बात रक्खी जो कि कट्टरता की तरफ इशारा करती है। मैं जानता हूं कि सन् १९३८ में जो मेरे गुरु थे हरिजन थे और जो संस्कृत और अंग्रजी जानने वाले थे उन के जनेऊ को बुलन्दशहर में तोड़ा गया। उस में कितने ही सवर्ण साधु

शामिल थे । चमार और भंगियों को आर्य समाज और स्वामी दयानन्द सरस्वती की कृपा से जनेऊ पहनने को मिला था । लेकिन वह जनेऊ उन का तोड़ा गया । मैं भारत का देशवासी हूं, इस देश के अन्दर वेद में विश्वास रखन वाले हैं जो लोग इंजील में विश्वास करते हैं वह भी हैं । मैं जानता हूं कि मेरे रिश्तेदार ईसाई हैं मेरे रिश्तेदार मुसलमान हैं, लेकिन मेरा उन से वास्ता है उन से रिश्ता है । धर्म परिवर्तन न कोई भी प्रभाव उन के ऊपर नहीं डाला है । भंगीपन, चमारपन ज्यों का त्यों उन के साथ बना हुआ है और इसलिये इस विधेयक में जो गुंजाइश रक्खी है उस के लिये मैं इस का स्वागत करता हूं ।

जहां तक मन्दिर प्रवेश का सम्बन्ध है मैं तो आप के हृदय के मन्दिर में स्थान पाना चाहता हूं जहां कि भगवान का वास है । उस 'द्वादश अंगुल' स्थान में जहां वह पूर्ण पुरुष विद्यमान है--वह पूर्ण पुरुष—

वेदाहमेनं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पर-
स्तात् ।
तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पन्था-
विधितेऽयनाय

मनुभव । (मनुष्य बनो) ।

मा जीवेम्य : प्रमदः । (जीव के प्रति प्रमाद
मत कर) :

हम को आप के हृदय में स्थान चाहिये न कि पत्थरों के मन्दिर में जहां पत्थर का देवता है और जहां भगवान स्वयं पत्थर बन गया है ।

आप हरिजनों की सहिष्णुता को लीजिये । अनेक बातें हो सकती हैं । बनारस में मंदिर प्रवेश को जब हरिजन आगे चले तो सनातन धर्मी ब्राह्मण जमीन पर लेटे हुए थे उन्हें देख कर हरिजन पीछे हट जाते थे । हम जानते हैं कि हम किसी के ऊपर पैर नहीं रखेंगे भले ही कोई हमारे ऊपर पैर रक्खे । यह दिन हमेशा नहीं रहेंगे । हम लोग भी आगे बढ़ेंगे लेकिन हम लोगों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है । इस तरह की और भी शिकायतें हैं । मैं जानता हूं कि एक हरिजन आजादी से खाना भी नहीं खा सकता । जहां पर और आदमी बैठे हुए हों उस देहाती समाज में वह बैठ नहीं सकता । इस प्रकार की और भी तमाम दिक्कते हैं ।

मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों में सब से ज्यादा छुआछूत हैं । इस बात को मैं सिद्ध कर रहा हूं । मैं अपने प्रति कहना चाहता हूं । मैं कोई एसी बात नहीं कहता जो कि सुनी सुनाई हो । उत्तरी भारत की एक युनिर्वासिटी के एक प्रोफैसर ने जो अब रजिस्ट्रार हैं अपने भतीजे के मुंह पर कस कर चांटा मारा । उन का भतीजा मेरा गहरा दोस्त था मेरा जिगरी यार था एक थाली में रोटी खाने वाला था और वह आज दुनियां में नहीं है । मैं जानता हूं कि वह उच्च खानदान और उच्च घराने का था । तो वह मेरा दोस्त मेरे साथ एक तश्तरी में कलाकन्द खा रहा था उस के चचा ने उस को मारा और उस तश्तरी को जिस में कि कलाकन्द थी जमीन पर फेंक दिया । उस समय तक मैं स्वयं जूठन खाता था जिस का कि जिक्र कल टण्डन जी ने किया । मेरे सामने मां और बाप न होने की वजह से इतनी गरीबी और मजबूरियां थीं कि मैं ने उस तश्तरी को और उस बिखरी हुई कलाकन्द को उठा लिया और आंखों में आंसू भर कर उस को खाया । वह तश्तरी आज भी मेरे पास है । आप अस्पृश्यता की बात करते हैं । मैं जानता हूं कि मेरा गला रुंधता है इस मुकाम पर जब मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं ।

मैं जानता हूं कि हरिजनों में भी परिवर्तन हो गया है । बावजूद इस के कि उन गरीबों

[श्री बाल्मीकि]

और मजदूरों को इन्साफ नहीं मिलता है। हम इस को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का मेम्बर होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं यह बात आप के सामने रख दूं कि अगर एक चमार, एक भंगी, जिस के घर नहीं है, जिसके दर नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, अगर वह किसी बिना पर मारा जाता है, किसी भी वजह से चाहे छोटी से छोटी वजह हो, तो यह आप के कान्स्टिट्यूशन का चेलैन्ज है, आप की हुकूमत को चेलैन्ज है। आप की पुलिस तो किसी बात का पता नहीं लगा सकती है। सब से बड़ा खतरा इस विधेयक के लिये आप की पुलिस और आप के अधिकारियों की उदासीनता से है, उन के निकम्मेपन से है, । पुलिस के निकम्मेपन और उस की टाल मटोल का सब से बड़ा उदाहरण मेरठ जिले के कलछीना ग्राम का है। कलछीना के अन्दर सालों से वहां के मुसलमानों और भंगियों के बीच झगड़ा था। और यह अफसरों की जानकारी में था। वहां पर एक २२ साल का भंगी नौजवान जान से मारा गया। लेकिन कानून के अन्दर वहां इन्साफ नहीं मिला। उस को दिन दहाड़े मारा गया लेकिन मुकद्मा नहीं चला और कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। मैं आज भी इस चीज को महसूस करता हूं कि इतने सारे वहां पर अधिकारी थे, वहां पुलिस वाले थे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हो सका। यह मिसाल मैं आप के सामने रखता हूं। ऐसी पुलिस की ज्यादतियां हैं। पुलिस तो मस्त हस्तिनी है। न वह सेन्टर के होम मिनिस्टर के हाथ में है और न वह किसी और के ही हाथ में हैं। पुलिस के आदमी हम लोगों को गालियां देते हैं, मारते हैं। गुड़गांव जिले के ग्राम चांट और बुलन्दशहर के जहांगीराबाद में पुलिस ने वहां के भंगियों को बुरी तरह से मारा। मैं पुलिस का विरोध नहीं करता लेकिन अब हम इन ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

हरिजन जो सदियों के शरणार्थी हैं उनके लिये काफी कोशिश करने की अवश्यकता है। उन की आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिये, उन के लिये भूमिदान करने की आवश्यकता है। व्यापार आदि के लिये धन की सहायता करनी चाहिये। उन के काम के लिये कोई प्रबन्ध जब तक नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। एक नौजवान अपनी हालत बयान कर रहा था। मुझे पिताजी कह कर पुकारता था। वह कहता था क ८५० रुपये मेरे बाप पर दो भैंसे खरीदने का कर्ज है, २५० रुपये मेरी पढ़ाई का कर्ज है, । वह १३, १४ साल का बच्चा, उस का बाप बीमारी से बेचैन है और उसके कर्जे की यह सूरत। मैं कोई बिड़ला होता तो अपनी सारी दौलत उस के लिये बिखेर देता और उस को बचाने की कोशिश करता। इसी तरह से जमीन का भी सवाल है। सब चीजें बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत है। कहीं कहीं पर हरिजनों को भूमिदान में जमीन के पट्टे मिले हैं पर उन्हें सवर्ण जाति के लोग खेती नहीं करने देते। उन को जमीन का अधिकार दिलाने की आवश्यकता है।

कल टंडन जी ने हमारे घरों की बात कही थी कि हमारे घरों की व्यवस्था बहुत गन्दी है। हरिजन आज भी स्लम की कंडीशन में रहते हैं। सन् १९४३ में जब मैं जेल में था तो मैं ने श्री ई० डी० साइमन की "हाउ टु ऐबालिश स्लम्स" नाम की पुस्तक पढ़ी थी। उस ने स्लम्स की परिभाषा यह दी है: "स्लम्स एक ऐसी दुर्गन्धयुक्त बस्ती का पड़ौस है जहां घरों और जिन्दगी की स्थितियां अत्यन्त दयनीय और निकृष्ट हैं।"

उस ने स्लम्स की दयनीय अवस्था दूर करने की तीन बातें कहीं हैं :

१. सस्ते मकानों का निर्माण ।
२. उन की दरों में कमी करना ।
३. बच्चों का भत्ता निर्धारित करना ।

गांधी जी के शब्दों में भंगी 'समाज की मां' है । समाज की सब से नीची सीढ़ी पर वह भंगी खड़ा है । मैं ने देश में सब जगह जा कर देखा है, बिहार में जा कर देखा । यहां भोला रावत भी मौजूद हैं, मैं ने वहां पर जा कर कहा था कि मेहतर और डोमों की अवस्था कितनी भयंकर है । पटना का कॉर्पोरेशन उधर ध्यान नहीं देता । 'जमीन और बागों पर तुम्हारा अधिकार है ।' सब से अधिक पिछड़ापन आज भंगियों में है ।

इन भंगियों को इस बिल से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उन को नीचे से ऊपर नहीं उठाते । आज अछूतपन का सारा बोझ भंगियों पर है । अस्पृश्यता का समस्त भार भंगी के सिर पर टिका हुआ है । इस सारे बोझ को उठाने के लिये इस तरह कोई बात कारगर नहीं हो सकती है । मेरे मस्तिष्क में बहुत सी बातें हैं लेकिन सब को कहने का समय नहीं है । मैं ने एक बार कहा था कि डोमो और भंगियो ! अगर इस देश में किसी को बगावत करने का अधिकार है तो इस देश के भंगियों और डोमों को है । क्योंकि वह नरकीय जीवन से तंग आ गये हैं । मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में यह लोग सब से आगे रहें और मैं आवाज उठाऊंगा । मैं देश के कोने कोने में जाता हूं और उन को जानता हूं । मैं कहता हूं :

"नहिं विद्या, नहिं बाहुबल, नहीं गांठ में दाम,
ऐसे पतित पतंग की तुम पत राखो राम ।"
सकृ देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।
अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ।।
(बाल्मीकी रामायण)

आज हमारी बस्ती में कहीं पर राम और कृष्ण का नाम नहीं है, आज केवल जय बाल्मीकी ही सब जगह दिखलाई पड़ती है । चाहे वह पहले के बाल्मीकी की हो या आज कल के बाल्मीकी की हो । मैं जानता हूं कि दोनों बाल्मीकी की जय होगी ।

मैं हरिजनों का झंडा ले कर आगे बढ़ूंगा । या तो हुकूमत इन समाज में सब से नीचे वालों को उठाये नहीं तो यह काम हम को करना होगा । मैं जानता हूं कि यह काम किस तरह से चल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि भंगी के उठाने के लिये प्रयत्न नहीं किया गया तो समाज का सारा ढांचा हिल जायेगा । मैं बतलाना चाहता हूं कि आज भंगियों का वर्ल्ड फैडरेशन है । मैं उस संस्था से सम्बन्ध रखता हूं । आज हमको अमरीका और इंगलैंड और अफ्रीका से निमंत्रण आते हैं । वहां हमारे लोग मौजूद हैं । हमारे एक भाई जो ईसाई हो गये हैं वह इंगलैंड में हैं । उन्हों ने एक किताब लिखी है । यहां की लाइब्रेरी में वह किताब है । वह बिजनौर जिले के रहने वाले हैं । उन्हों ने उस किताब में बताया है कि उन को क्यों ईसाई होना पड़ा ।

कल टंडन जी ने भंगी की बात कही । मैं उन के शब्दों का बहुत आभारी हूं । उन का हृदय दूध की तरह से, गंगा की तरह से और शरद्पूर्णिमा की तरह से, जो कि बाल्मीकी जी का जन्म दिन है, पवित्र है और निर्मल है, । उन्हों ने जो कहा ठीक है । वह भंगियों को ऊंचा उठा देखना चाहते हैं । लेकिन पेशा छोड़ने के हमारे रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं । इसेंशियल सरविसेज आर्डिनेन्स और किसी के लिये नहीं है, सिर्फ भंगियों के लिये हैं । वह सिर्फ भंगियों को दबाने के लिये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो जुल्म नहीं हुआ वह आज हो रहा है । मैं और शहरों की नहीं कहता, मैं खास इसी दिल्ली के बारे में कहना चाहता

[श्री बाल्मीकि]

हूं कि पिछली मेहतर हड़ताल में हमारी लड़कियों को, माओं को, बहनों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया और उन के ऊपर पुलिस ने ज्यादतियां कीं । इस के लिये मैं ने लिखा भी था । हम को जबरदस्ती काम पर लगाया जाता है । उस समय हमारी आत्मा काम नहीं करती है बल्कि हम मशीन की तरह बगैर आत्मा के काम करते हैं । उपनिषद् में लिखा है :

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति,
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।
(ईशोपनिषद्)

"यदि मनुष्य, अन्य जीवधारियों को अपने ही शरीर का अंग समझता है अर्थात् यदि वह उन के सुख दुःख को अपना ही सुख दुःख समझ कर सब वस्तुओं में विश्व-व्यापी आत्मा का दर्शन करता है तो उसे इस में से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।"

पता नहीं परमात्मा भी हमारे लिये सो गया है । जो बाहर परमात्मा के जीव हैं वे हमारी मदद नहीं करते । मैं ने सारे देश में भंगियों की अवस्था को देखा है । मैं कहता हूं कि जब तक भंगी का उत्थान नहीं होता तब तक देश का उत्थान नहीं होता क्योंकि भंगी तो डबल छुआछूत के नीचे हैं और दूसरों की छुआछूत के नीचे हैं और जो धार्मिक अन्धता है, उस से भी नीचे हैं । इस तरह से भंगी इतना नीचे पड़ा है । हम को तो आप के स्वराज्य का कोई लाभ नहीं मालूम पड़ता । इतना जरूर है कि जरा गरदन निकाल लेते हैं, इस से ज्यादा और कुछ नहीं है । लेकिन होम मिनिस्टर साहब के हम काम से समझते हैं कि उन की कृपा से यह काम आगे बढ़ेगा । जो हमारे अनुसूचित जातियों के कमिश्नर हैं उन का हृदय भी भंगियों के लिये कुछ करने को बिलबिलाता है । लेकिन आप देखिये कि म्युनिसिपैलिटियों में भंगियों के लिये क्या कानून बने हुए हैं । उन की कितनी दुर्दशा है । बम्बई की सरकार ने उन की हालत को सुधारने के लिये जो रिपोर्ट बनाई है उसे ही लागू कर दीजिये ।

इन बाधाओं को दूर करने के लिये यह १४ धाराओं का बिल कोई लाभदायक नहीं होगा । मैं कहता हूं कि इस को राय मालूम करने के लिये बाहर भेजने की जरूरत नहीं । मैं तो इस को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के भी पक्ष में नहीं हूं । लेकिन अगर इस को सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है तो इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर आनी चाहिये और इस को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये ।

सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं आप का और अपने देशवासियों का ध्यान भंगियों की तरफ और अछूतों की तरफ दिलाना चाहता हूं । मैं चहाता हूं कि इस छुआछूत का जल्दी से जल्दी नाश हो ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : सभापति महोदय, हम ने हरिजनों के कष्टों का बहुत ही प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी भाषण सुना है । लेकिन मैं आरम्भ में ही बता दूं कि अस्पृश्यता एक गम्भीर दोष है और उसे केवल विधान-निर्माण की सहायता से ही दूर नहीं किया जा सकता । स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में हमारी समूची वर्ण-व्यवस्था अस्पृश्यता का ही विकृत रूप है । जब तक हम इसे मौलिक रूप में हल नहीं करते इस का स्थायी उपचार सम्भव नहीं है । प्रस्तुत विधान का प्रयोजन हितों का समानीकरण और भेदभाव को न्यूनतम करना है । गृह मंत्री ने इस विषय पर अपने प्रारम्भिक

भाषण में कहा था कि पुस्तकों में लिखी गई विधि व्यवहार में प्रयुक्त विधि से भिन्न है। मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन उन्होंने जो मूल भूत प्रश्न उठाया है मैं उस का उत्तर देना चाहता हूं। क्या विभिन्न जातियों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये दांडिक विधि का कुछ मूल्य है। मेरा मत है कि गृह मंत्री ने विधि की शक्ति के सम्बन्ध में अनावश्यक ही निराशावादी दृष्टिकोण अपना लिया है। उन्होंने कहा कि जातियों के परस्पर सम्बन्धों में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य की पूर्ति उस समय तक सफल नहीं होगी जब तक कि हम दूसरी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे। हम केवल दांडिक विधि पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इस दुर्भाग्यमय जाति के उत्थान के लिये हमें अन्य उपायों को भी काम में लेना पड़ेगा। गृह मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि दूसरे देशों में विधान व्यवस्था की पृष्ठ-भूमि में सामाजिक विचारधारा ने महत्वपूर्ण योग दिया है। उदाहरण के लिये उन्नीसवीं शताब्दी में 'नीग्रो' और 'श्वेतों' के बीच सामाजिक समानता की संवृद्धि करने वाले नियम सामान्यतया बेकार हो गये थे क्योंकि हमें स्मरण होना चाहिये कि न्यायालय भी सामाजिक विचारधारा की उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे याद है कि १९वीं सदी में सुप्रीम कोर्ट के एक विख्यात न्यायाधीश ने कहा था कि जाति भेदभाव को निःशेष करने में विधान शक्तिहीन है। एक अन्य सामाजिक दार्शनिक ने कहा है कि राज्य के नियम लोक-नियमों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यह बात मानता हूं कि लोक-नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रस्तुत विधान पक्षपात की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है लोगों का विचार है कि केवल विधि पारित कर देने से पक्षपातपूर्ण भावनाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता है। पक्षपात का अंत करने के लिये स्वस्थ और दृढ़ जनमत की आवश्यकता है। लेकिन यदि पक्ष-पात की उधड़ी अवस्था को नियंत्रित कर दिया गया तो इस प्रकार की अनुभूति, सम्भव है समाप्त ही हो जाये। आगे चल कर जन-मत में भी अभिनन्दनीय परिवर्तन हो जायेगा। माननीय गृह मंत्री का विचार है कि इस दिशा में जो विधि सम्बन्धी एजेन्सियां हैं वे अधिक प्रभावशाली नहीं हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का भी यह मत है कि अनेक अवसरों पर विधि को प्रवर्तित कराने वाले अभिकरण दुर्बल सिद्ध हुए हैं।

हमें मालूम है कि सामाजिक सुधार करने वाली संस्थाओं में भी कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जिन का सुधार होना आवश्यक है। हमारी सामाजिक स्थिति ही ऐसी है जो सुधार करने में रुकावट डालती है। यह स्थिति ही ऐसी है जिस के द्वारा उन व्यक्तियों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है जिन के लिये सुधार की व्यवस्था की गई है। यह एसी खन्दकें हैं जिन को कूद कर पार नहीं किया जा सकता। लोक-सभा में कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण हम लोग भी इस सुधार कार्य में अधिक भाग लेंगे परन्तु फिर भी कुछ सदस्य इस के विरोधी हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बाल्मीकी जी ने अभी बताया कि इस प्रकार के भाषणों से ही इस सुधार कार्य में कुछ शीघ्रता हो सकेगी। पीर वही जानता है जो घायल होता है। अतः जब वह बड़े शब्दों में अपनी शिकायतें हमारे समक्ष लाते हैं तब हमें उनकी शिकायतें दूर करने का अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिये। अतः हमें उन्हें बराबरी के अधिकार देने चाहियें। इस में संदेह नहीं कि दंड विधान पूरी तरह से लागू नहीं होता है परन्तु यह भी हम जानते हैं कि सुधार भी उसी के द्वारा होते हैं। यह विधेयक सब तरह से पूर्ण नहीं है इसलिये हम अन्य उपाय भी कार्य में ला रहे

[डा० कृष्णस्वामी]

हैं । इन से पहले गृह कार्य मंत्री ने एक बार कहा था कि एक जाति को कुछ कार्य दे देने से उन में सुधार नहीं हो सकते परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिये कुछ नियुक्तियों का रक्षण करने से जनता पर इस का प्रभाव दूसरे प्रकार का ही होगा । हमें उन्हें शिक्षा तथा नियुक्तियों के अवसर भी देने चाहियें । मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा कि हम उन के हित के लिये अधिक ध्यान नहीं देते हैं । मैं उसके सम्बन्ध में संक्षेप में कहूंगा कि बहुत से राज्यों में हरिजन हितकारी निधियां खुली हैं । इन में हम ने एक अथवा डेढ़ करोड़ रुपया जमा किया है । परन्तु इस रुपये को बांटने वाले लोग बड़े आदमी हैं । अतः मेरा सुझाव तो यह है कि यह निधियां म्युनिसिपल बोर्ड अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा वितरित होनी चाहियें क्योंकि उन में कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य भी होते हैं जो उस पर वाद-विवाद भी कर सकते हैं । और उन के द्वारा लाभ होने की संभावना भी है । हमारी सामाजिक हितकारी संस्थायें कार्य तो थोड़ा बहुत कर ही रही हैं परन्तु उन का ध्येय केवल प्रशंसा प्राप्त करना ही रह जाता है । अतः हमें कार्य करते समय अपना लक्ष्य अवश्य स्मरण रखना चाहिये, चाहे वह संस्था गैर सरकारी हो अथवा सरकारी । हमारी सेवाओं आदि का पत्रों आदि में फोटो निकलने से प्रदर्शन नहीं होना चाहिये ।

मैं प्रवर समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखता हूं कि उस में दण्ड-व्यवस्था बहुत कम है । अतः प्रचालित संस्थाओं को दोषों की जांच कर के दंड भी देना चाहिये । परन्तु इस विधेयक में इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । जब ऐसा मामला हो तो उस का प्रचार होना चाहिये जिस से जनता को पता लगे । ९९ प्रतिशत व्यक्ति प्रचार से डरते हैं अतः केवल १ अथवा २ प्रतिशत लोगों को ही दंड की आवश्यकता रहती है ।

इन सब सुझावों को काम में लाने के बाद वह दिन दूर नहीं होगा जब हम असपृश्यता को भूतकाल की वस्तु कहा करेंगे । ऐसी स्थिति केवल तीन चार वर्षों में आने वाली नहीं है, क्योंकि यदि यह ऐसी सीधी साधी समस्या होती तो इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं होती । अतः यह छोटा सा उपाय ठीक दिशा में एक कदम है ।

श्री इलयापेरुमाल (कडलूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक के उपस्थापन के लिये गृह कार्य-मंत्री को बधाई देता हूं, परन्तु साथ ही साथ मुझे यह अस्पष्ट भी लगा है । १९३८ से १९४९ तक कई राज्य सरकारों ने ऐसे विधेयक पारित किये परन्तु फिर भी अनुसूचित जाति आयुक्त ने अस्पृश्यों के प्रति दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं । उन्हें मरे हुए पशुओं को उठा कर ले जाना पड़ता है तथा ऐसे ही छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं । जब वह ऐसे कार्य करने को मना करते हैं तो अन्य जाति वाले हिन्दू उन को दंड देते हैं । परन्तु इस विधेयक में इस को कोई स्थान नहीं दिया गया है ।

मद्रास के कुछ ग्रामों में हरिजनों को जूता नहीं पहिनने दिया जाता है कुछ में बांहदार कमीज नहीं पहनने दी जाती है, तथा कुछ में उन के सड़क पर चलने की रोक है । १४ जुलाई को एक हरिजन विद्यार्थी ने तंजौर जिले के मेकेरिभंगलम ग्राम में एक कुंएं से पानी पी लिया जिस पर सवर्ण हिन्दुओं ने उसे बांध कर खूब पीटा । हरिजनों ने प्राधिकारियों से इस की शिकायत की परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ऐसी बहुत सी घटनाओं का वर्णन अनुसूचित जाति आयुक्त ने अपने प्रतिवेदनों में किया है। अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह एक सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों की एक बोर्ड की नियुक्ति करे इस बोर्ड को इस अधिनियम के लागू करने के लिये पर्याप्त अधिकार दिये जायें। तथा इस बोर्ड की शिकायतों पर सरकार को शीघ्र कार्य करना चाहिये। इन जिला बोर्डों का सभापति पुलिस सुपरिन्टैन्डैन्ट होना चाहिये और उस में ५० प्रतिशत सदस्य हरिजन होने चाहियें। शेष में से आधे सवर्ण हिन्दू तथा आधे प्राधिकारी होने चाहियें। इस प्रकार ही अस्पृश्यता दूर की जाती है।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां कहीं पिछड़ी जाति आयोग जाये वहां ही उन का हरिजनों के प्रति भी नम्र व्यवहार होना चाहिये तथा ब्राह्मणों जितने अधिकार ही मिलने चाहियें। तथा सरकार को इन जातियों के लिये ३०० करोड़ पया प्रति वर्ष अलग रखना चाहिये।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) :
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै चतस्यै
जनकात्मजाये ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रपमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रा-
कर्मसद्गणेभ्य : ।।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप ने अन्त में मुझे समय दे ही दिया।

बात यह है कि मैं गृह मंत्री महोदय का और सदन का ध्यान इस लिये आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ने यह विधेयक उपस्थित करते समय कहा था कि यह कोअर्सिव मैज़र है और इस से किसी को दंड होने वाला है। अधिकतर मैं यह सुन रहा हूं और हमारे बन्धु देशपांडे जी ने, कांग्रेसी देशपांडे ने, अपने

देशपांडे जी एक और मेम्बर हैं, उन्हों ने खड़े हो कर स्वामी करपात्री जी और राम राज्य परिषद् के नाम से गाली देना आरम्भ किया और रावण राज्य कह कर सब को पुकारा। मैं और तो कुछ समझता नहीं, आध्यात्म रामायण में अहंकार का नाम रावण लिखा है यदि इस कसौटी पर इसे कस दिया जाये तो वह महानुभाव स्वयं अनुभव करेंगे कि कौन राम है और कौन रावण है।

अब मैं कास्ट हिन्दूज, सवर्ण और असवर्ण हिन्दुओं की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहूं। हमारे बन्धु गृह मन्त्री महोदय और देशपांडे जी तथा हमारे बहुत से बन्धु हैं, उनमें अधिकतर कास्ट हिन्दू भाई हैं जिन्हों ने स्वयं इस अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई है। एतावता कास्ट हिन्दू को भी गाली देना उचित नहीं होगा। मैं भी कास्ट हिन्दुओं की ओर से हूं और कास्ट-हिन्दू ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्रों में विश्वास रखने वाला कास्ट हिन्दू हूं और मुझे इस बात का कोई दुःख भी नहीं है। यद्यपि अपने आप को आफेन्डर कहने वाले डा० काटजू और दूसरे लोग अपने प्रायाश्चितों के सम्बन्ध में कहने वाले हैं, मैं स्वयं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अस्पृश्यता शब्द का अर्थ ही वह नहीं है जो आज आप लोग लगा रहे हैं। अस्पृश्य जाति का नाम, मैं ने पहले भी कहा है, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। अगर शूद्र नारायण के उस विराट स्वरूप में चरणों से उत्पन्न हुआ है तो वह वही चरण हैं जिन्हें ब्राह्मण शिर झुकाता है। ब्राह्मण भगवान के चरणों में शिर झुकाते हैं। भगवान की मूर्ति के शिर या मुख को प्रणाम नहीं करते इसलिये यह कहना गलत है कि शूद्र के साथ धर्म के नाम पर अन्याय कर दिया। मैं बाल्मीकि जी की यह बात स्वीकार करता हूं कि धर्मान्ध पुरुष यदि धर्म के नाम से अन्याय कर सकता

[श्री नंद लाल शर्मा]

है, यदि धर्म के नाम से किसी व्यक्ति के साथ द्वेष किया जाय, उस का अपमान किया जाय तो यह धर्म के नाम पर कलङ्क है। पहले स्वयं श्री बाल्मीकि को उनका यह नाम दिया गया। किसी कांग्रस ने नहीं दिया, किसी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। अगर उस समय बाल्मीकि न होते तो आज बाल्मीकि शब्द संसार में सुनाई न देता। आज से पांच हजार वर्ष पहले पाण्डवों का राजसूर्य यज्ञ हुआ। उस समय पाण्डवों के यज्ञ में एक न्यौला लोटने लगा। उस का आधा शरीर सोने का हो गया और आधा साधारण रहा। उस ने कहा कि मैं ने सुना युद्धिष्ठिर का परम पवित्र यज्ञ है, यह यज्ञ क्यों ठीक नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास बाल्मीकि रहते हैं और वह इस यज्ञ में नहीं आये हैं, इसी कारण यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ।

बाल्मीकि को लाया गया, उन का पूजन किया गया और तब उस का शरीर सोने का हो गया। यह महाभारत में आर्थोडाक्स सिस्टम का वर्णन आता है, यह आज के पोलिटिकल सिस्टम का वर्णन नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस चीज को हमारे हरिजन भाइयों ने और दूसरे भाइयों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है और उन ईसाइयों या यूरोपियनों के दृष्टिकोण से देखा है जिन के द्वारा यहां डिवाइड एंड रूल की नीति बरती गई थी। उन्हों ने ही दक्षिण में ब्राह्मण और अब्राह्मण का प्रश्न खड़ा किया। आज लोग शास्त्र के तत्वों को नहीं समझ रहे हैं। मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं और मुझे ठीक पता नहीं है कि दक्षिण में क्या अवस्था है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि शास्त्र में स्पृश्यास्पृश्य का अर्थ किसी जाति विशेष के लिये नहीं है। मेरा अपना पुत्र जब मैं पूजा करता होता हूं तो मुझ को नहीं छू सकता। मास के कुछ दिनों में मैं अपनी माता को, बहिन को या स्त्री तक को नहीं छू सकता। अगर मैं अपने शरीर के किसी अंग को हाथ लगाता हूं तो हाथ को धोता हूं। स्पर्श का यह मतलब नहीं है मैं अपने घर वालों को निकाल दूं या अपने हाथ को काट कर फेंक दूं। अपने को पवित्र रखने की दृष्टि से ब्राह्मण माघ मास की रात्रि में भी स्नान करता है। यह वह किसी को दंड देने के लिये नहीं करता। यह वह अपने को शुद्ध रखने के लिये करता है चाहे इस के करने में उस को निमोनिया ही क्यों न हो जाये। वह एक अशुद्धि का प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित का अर्थ है पाप शुद्धि। इस प्रकार से पशु और पक्षियों के अन्दर भी अस्पृश्यता देखने में आती है। केवल किसी को अपमानित करने के लिये सोशल या राजनीतिक अस्पृश्यता नहीं मानी जाती है। हम यह नहीं कहते कि हम दूध के धोये हैं और हम ने कोई भूलें की ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज इस प्रकार से हमको खुल्लमखुल्ला गालियां न मिलतीं। किन्तु मुझे आप से कहना है कि सदना कसाई को इतना ऊंचा किस ने बनाया था। वह हम ने ही बनाया था।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : सारे हिन्दुस्तान ने बनाया था।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं यह नहीं कहता कि मैं ने व्यक्तिगत रूप से उसे बनाया था। परन्तु मेरा कहने का अर्थ यह है कि उस को आर्थोडाक्स कहलाने वालों ने इतना ऊंचा बनाया था। तो हम ने सदना को यह स्थान दिया। हम ने कबीर का इसलिये अपमान नहीं किया कि वह जुलाहा है और ब्राह्मण भी उन का गुण गाते हैं। और तो क्या हम ने मुसलमानों को भी उचित आदर दिया। रसखानि और रहीम खानखाना को हम ने ही इतना बड़ा बनाया और आज इस स्थान

पर पहुंचा दिया है कि लोग उन के नाम पर सिर झुकाते हैं। यहां तक कि उन के लिये भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि ऐसे मुसलमान पर लाखों हिन्दू वारिये। हम उन के ऊपर लाखों हिन्दुओं का बलिदान करने को तैयार हैं। आध्यात्मिकता किसी की जागीर नहीं है : केवल बात यह है कि इस के नाम से धर्म द्वेषी लोग हम पर आरोप लगाते हैं और हमारे धर्म की मान्यताओं को गलत बताते हैं यह उचित नहीं है। अभी बाल्मीकि जी ने कहा कि लोग समझते हैं कि मन्दिरों में देवता नहीं हैं केवल पत्थर हैं और मन्दिरों में कोई तत्व नहीं है। कुछ लोग हमारे मन्दिर को न मानते हुए भी उस को तोड़ना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। आप को चाहिये कि आप मन्दिर के सिद्धान्त को देखें कि एक मूर्ति बनाने वाले की दुकान पर रखी मूर्ति में और मन्दिर की मूर्ति में कोई भेद है या नहीं। आंख से देखने में नहीं मालूम होता। वहां भी पत्थर की मूर्ति है और वहां भी पत्थर की मूर्ति है। अगर शास्त्र का पक्ष हटा दिया जाये तो मैं समझता हूं कि मन्दिर की मूर्ति में और स्कल्पटर की दूकान पर रखी मूर्ति में कोई भेद नहीं रह जायेगा। यह कह देना कि मन्दिर पबलिक प्रापर्टी है, ला के जूरिसप्रूडेन्स के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मन्दिर सुप्रा पबलिक प्रापर्टी है। वह देवता की प्रापर्टी है और उसी के सिद्धान्त के अनुसार उस का नियम पालन करना चाहिये। कितने ही ऐसे मन्दिर हैं जिन में मैं स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी नहीं जा सकता। वहां पुजारी के अतिरिक्त कोई दूसरा पूजन नहीं कर सकता। एतावता यह कह देना कि सब कोई वहां जा कर पूजन करे, यह मन्दिर के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अब इसी तरह से आर्य समाज का मन्दिर है। वहां के कुछ नियम हैं। अगर मैं वहां जा कर शिवलिंग स्थापित करूं और उस की पूजा करने लगूं तो वह नियम विरुद्ध होगा। और मुझ को ऐसा नहीं करने दिया जायेगा। इसी प्रकार एक मस्जिद पबलिक प्रापर्टी है। लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं वहां जा कर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दूं और घंटा बजान लगूं। मुझे कोई इस तरह से पूजन नहीं करने देगा। कारण जिस नियम के अन्तर्गत मस्जिद स्थापित की गयी है यह उस के विपरीत है। हमें आर्य समाज के मन्दिर में आर्य समाज के नियमों का पालन करना होगा। इसी प्रकार से जिन नियमों के अन्तर्गत मन्दिर स्थापित किये गये हैं उन नियमों को इन मन्दिरों में पालन करना चाहिये। मुझे तो ऐसा देखने में आया है कि आज हरिजनों में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि अछत नहीं हैं। हमारे भाई राजभोज जी न उस दिन हरिजन शब्द पर विरोध किया था। मुझे भी यह शब्द बहुत पसन्द नहीं है। उन के लिये सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट शब्द लाकर रखा है। आज शिड्यूल्ड कास्ट की संख्या बढ़ाने के लिये इन में ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया गया है जो अछत नहीं हैं। हम ने एक डिग्री कालिज खोला हुआ है। उस में एक लड़के ने अपने को शिड्यूल्ड कास्ट लिखाया हुआ है। मैं ने उस से पूछा कि तुम्हारी क्या कास्ट है तो उस ने कहा कि मैं भड़भूंजा हूं। मैं ने कहा कि तुम तो अस्पृश्य नहीं हो अपने को क्यों शिड्यूल्ड कास्ट लिखाया है। उस ने कहा कि ऐसा करने से मुझ को स्कालरशिप मिलता है और मुझे नौकरी भी जल्दी मिल जायगी और मैं उन्नति कर सकता हूं। इसके बाहर रहने से और आप लोगों के साथ रहने से मुझे क्या मिलेगा। मैं समझता हूं कि इन लोगों के लिए अस्पृश्य या अनटचेबिल शब्द ठीक नहीं हैं। वह हिन्दू जाति के हैं और इसलिये उन का नाम उसी के अनुसार रखा जाय। हरिजन शब्द आधुनिक काल में रखा गया। लेकिन हमारे यहां एक शब्द है अन्त्यज। अन्त्यज का अर्थ है लास्ट बार्न (अन्त में उत्पन्न हुआ)।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलुरु) : हम इस पर विश्वास नहीं करते । आप बाद में पैदा हुए होंगे ।

श्री नन्दलाल शर्मा : अग्रज का अर्थ होता है जो पहले पैदा हो । एक कुटुम्ब में भी जो पहले पैदा होता है उस को बड़ा भाई या अग्रज कहते हैं । और छोटा भाई अन्त्यज कहलाता है । यह इतिहास की भूल है कि जो यहां के पहले से रहने वाले बताये जाते हैं उन को अन्त्यज कहा है । मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हम लोग अर्थात् हिन्दू कहीं बाहर से आये थे । हमारा इतिहास इस को स्वीकार नहीं करता । जिस प्रकार गोरी जातियों ने अफ्रीका में और अमरीका में जाकर नीग्रोज और रैड इंडियन को जीत लिया और वहां के लोगों को पद दलित कर दिया यह बात भारत के अन्दर नहीं हुई । इसलिये मैं समझता हूं कि हमें शिड्यूल्ड कास्ट या हरिजन के स्थान पर अन्त्यज शब्द को काम में लाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री का उद्देश्य इन अन्त्यज या अस्पृश्य कहलाने वाली जातियों के स्तर को उठाना है । इसमें मैं उन के साथ सोलहों आने सहमत हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल के द्वारा वे सारी बातें होने वाली नहीं हैं । इस से भले ही वर्ग विद्वेष पैदा हो जाय परन्तु और कोई लाभ नहीं हो सकता । जिन लोगों को आप कोअर्स करने वाले हैं जब तक आप उन को ठीक से नहीं समझायेंगे तब तक आप अस्पृश्यता को नहीं हटा सकेंगे । यहां पर जो शास्त्र के मानने वालों के लिये शब्द कहे गये हैं उन को रामराज्य परिषद् का सदस्य क्या और भी कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता । शास्त्र के मानने वालों को साम्प्रदायिक कहना उचित नहीं है । हम लोग कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहते । जो सर्प तक को या कीड़े तक को अपमानित नहीं करता वह किसी मनुष्य को किस तरह से अपमानित कर सकता है । राजा चोल और विष्ण दास की कथा पुराण में प्रसिद्ध है । विष्णु दास के घर में एक भंगी ने अन्न की चोरी की । वह १२ दिन तक अन्न उठाता रहा और विष्णु दास १२ दिन तक भूखा रहा । बारहवें दिन उस ने छिप कर देखा । उस ने उस को चोरी करते देख कर कहा भाई इस अन्न को इस प्रकार न ले जा मैं ने इस को अभी घी नहीं लगाया है । वह बेचारा अन्त्यज डर के मारे गिर गया । ब्राह्मण ने दौड़ कर उस को अपनी गोदी में उठाया और गोद में उस को लिटा कर भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैं ने कोई व्रत या पुण्य किया हो तो इस का दुःख दूर हो । तो कहते हैं कि ऐसा कहने पर उस को भगवान के दर्शन हुए । यह आर्थोडाक्स सिस्टम की बात है यह पोलिटिकल सिस्टम की बात नहीं है ।

जो अस्पृश्यता के तत्व को नहीं जानते हैं और केवल राजनैतिक अस्पृश्यता के नाम से एक डंका और ढिंढोरा पीटा करते हैं, उन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल अस्पृश्यता शब्द मात्र से और पार्टी के नाम से किसी के साथ अन्याय मत करो । आप बारबार जानते भी हैं और कहते हैं कि जनता को अगर हम कनवर्ट नहीं करेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा, उन के अन्दर जो धर्म जानने वाले हैं और धर्मशास्त्र को जानते हैं वह इस सिद्धान्त के साथ आप के साथ सहमत भी हैं कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिये फिर भी अगर आप गाली दे कर और तलवार के बल पर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वह आप कभी नहीं कर पायेंगे । जिस हिन्दू जाति को औरंगजेब नहीं मार सका उस जाति को आप भी मार नहीं सकेंगे । जिस वक्त सन् १९३० म हम सत्याग्रह में काम करते थे और विदेशी हुकूमत से

सामना था तो स्वर्गीय रामप्रसाद बिस्मिल के शब्दों में जैसे हम उस समय की विदेशी सत्ता को कहते थे कि : "सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है," वही शेर अगर आप अन्याय पर उतर आते हैं तो मैं आप को कहूंगा । राष्ट्रराज्य परिषद् तथा और अन्य हिन्दू संस्थायें अपने हरिजन बन्धुओं का अपमान नहीं करना चाहतीं लेकिन अगर कोई शख्स इस बहाने हिन्दू धर्म को मिटाना चाहता है, हमारे मन्दिरों को मिटाना चाहता है तो हम इस को कदापि सहन नहीं करेंगे और ऐसे लोगों से हम यह कहेंगे कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ।"

यह लड़ाई अन्त्यज और कास्ट हिन्दूज की नहीं है सवर्ण हिन्दुओं की नहीं है यह उन लोगों की है जो धर्म में विश्वास नहीं करते और जो अस्पृश्यता की आड़ में हिन्दू धर्म को मिटाना चाहते हैं । तो उन से हमारा वही कहना होगा कि अगर आप हमारे मंदिरों को मिटायेंगे तो हम अपने को मिटाने के लिये तैयार हैं, लेकिन इस का यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिये कि हम अपने हरिजन बन्धुओं के साथ विरोध रखते हैं या उन के साथ मतभेद रखते हैं । हम हृदय से चाहते हैं कि आप उन को ऊंचा से ऊंचा दर्जा दें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : अपना प्रोग्राम बताइये । (**अन्तर्बाधा**)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य विधेयक के पक्ष में है ?

श्री नन्दलाल शर्मा : जहां तक सामाजिक सुधारों का प्रश्न है मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु मन्दिरों पर कीचड़ फेंकने के पक्ष में मैं नहीं हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्री नन्द लाल शर्मा के पश्चात् मेरा नम्बर आने से विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि वह भूतकालीन विचारों के थे तथा मैं वर्तमान विचार का हूं । मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं ।

मेरे विचार से अस्पृश्यता केवल हिन्दुओं में ही नहीं है, अन्य धर्मों में भी है तथा यह विधेयक सभी अस्पृश्यों के सम्बन्ध में सुधार करना चाहता है । मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के द्वारा हमारे भाइयों की आपसी दूरी समाप्त कर दी जायेगी । अतः हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना अत्यावश्यक है । जो कुछ दण्ड विधान इसमें प्रस्तुत किया गया है उसके साथ जो व्यक्ति अस्पृश्यों से जैसा बर्ताव करता हो, वैसा ही हमें उस व्यक्ति के साथ करना चाहिये ।

[**सरदार हुकम सिंह** पीठासीन हुए]

जैसा माननीय मंत्री श्री जगजीवन राम ने एक स्थान पर अपने भाषण में कहा कि हम विधि से अस्पृश्यता हटा सकते हैं परन्तु समाज से इस बुराई को निकालने में अत्यधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है । क्रान्तिकारी उपाय काम में लाने होंगे । ऐसे शब्द तथा वस्तुएं जिनसे जातिबोध होता हो निकालने पड़ेंगे । मैं जातियों की उत्पत्ति जानता हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारा सामाजिक पतन इसी कारण हुआ तथा गुलामी की जंजीर भी हमारे गले में इसी कारण पड़ी । अतः मेरे विचार से जाति-पाति को ही नष्ट कर देना चाहिये । वरना अस्पृश्यता दूर होनी असम्भव है ।

[श्री डी० सी० शर्मा]

मेरे माननीय मित्र ने सदन तथा कबीर का नाम लिया । मैं बता दना चाहता हूं कि सवर्ण हिन्दुओं ने उनको भी दबाने का प्रयत्न किया ।

अस्पृश्यता एक ऐसी उलझन बनी हुई है कि उसको आप एक स्थान पर ठीक करने का प्रयत्न कीजिये तो वह दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार से उलझती जाती है । अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह बुराई बहुत प्रकार से हमारे बीच फैली हुई है । अतः हमें इसके प्रत्येक पहलू पर विचार करके इसको दूर करने के सब उपायों का एक विधेयक प्रस्तावित करना चाहिये जिसका प्रभाव पड़ सके ।

आप कहते हैं कि छः मास का दण्ड होना चाहिये । परन्तु एक हरिजन मुझ से अस्पृश्यता के बारे में कुछ कहता है । मैं उसका प्रतिवेदन भेजता हूं । प्रतिवेदन पर एक प्राधिकारी जांच के लिये जाता है परन्तु वह बेचारा हरिजन उस प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रकट करता हुआ डरता है । अतः हमें उसे सहयोग देना है जिसके द्वारा वह खुल कर सब के सामने आ सके, तभी यह विधेयक सफल हो सकेगा ।

हम अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने जा रहे हैं परन्तु अपराध घोषित करने के बजाय यदि हम सवर्ण हिन्दुओं से प्रार्थना करें कि वे अपनी सामाजिक अन्तर्भूति को विचारों में और उस के बाद कार्यरूप में परिणत करें तभी कुछ ठोस कार्य होने की सम्भावना हो सकेगी ।

लोगों की नैतिक चेतना को जागृत करने के लिये हमें इस विधेयक में महात्मा जी के प्रवचनों में से कई अंशों को उद्धृत करना चाहिये था ।

यह भी एक सुझाव दिया गया था कि हरिजनों की एक भूमि-सेना बनाई जाए । मैं नहीं समझता कि उससे इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है । यदि ऐसा किया गया, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि सरकार ने जातिभेद को फिर से उछाला है । वास्तव में, हरिजन समस्या तभी सुलझ सकती है जब इसे अनिवार्य बनाया जाय । कल यहां इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया कि हरिजनों को किस प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं । मैं लज्जित होता हूं जब प्रगति के केन्द्र राजधानी में यह देखता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी भी हरिजनों की शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी सुविधायें नहीं दी हैं ।

पंडित सी० एन० तिवारी : बिहार ने हरिजनों को प्रत्येक रियायत दी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : कदाचित् बिहार ने रियायतें दी हों ।

श्री वेलायुधन : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली केन्द्रीय शिक्षा संस्था भी हिरजनों को प्रत्यक्ष रूप में कोई रियायत नहीं दे रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि इस विधेयक में इस प्रकार का एक उपबन्ध होना चाहिये था जिससे हरिजनों की आद्योपान्त शिक्षा उनका एक कानूनी अधिकार बन जाती । हरिजन कल्याण बोर्ड के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि यह एक निराधार निकाय-सा है, वस्तुतः इसका काम निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक नियमित रूप से चलना चाहिये, और प्रत्येक नगर, ज़िले, ग्राम तथा बस्ती में हरिजन कल्याण बोर्ड रहना चाहिये जो हरिजनों के अधिकारों की देखभाल किया करे । माननीय गृह मंत्री ने मानवीयता के आधार पर

इस विधेयक का निर्माण किया है, अतः मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक में इस तरह के उपबन्ध रखें कि अस्पृश्यता आचरण को न केवल वधानिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी एक अपराध समझा जाय ।

सभापति महोदय : श्री अचलू ।

श्री अचलू (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, हमारे एक भाई के सवाल का जवाब देते हुए काटजू साहब ने कहा था कि मैं हरिजनों को खाना बनाने वालों की जगह पर नहीं बल्कि उन्हें ओहदों और कुर्सियों पर बिठाऊंगा । इस बिल को मैं मुख्तलिफ शक्ल में देखता हूं, फिर भी यह बिल आया है, यह बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कानून हमको जो हकूक देता है इनको पहले किस पर लागू किया जायगा । पहला यही मसला है कि इनको किसके ऊपर हम पहले चलायें । मैं तो समझता हूं कि इनको पहले उन सरकारी अफसरों पर ही चलाना चाहिये जो कि हुकूमत करने वाले हैं । जो सरकारी अफसर हैं वे सवर्ण हिन्दुओं से भी ज्यादा अनटचेबिलिटी कर रहे हैं ।

हमारे ज़िले में एक कलेक्टर था, अब उसका तबादला हो गया है । हम उसके पास कई बार हरिजनों की मुसीबतों के बारे में रिप्रेज़ेंटेशन करने के लिये गये लेकिन उन्होंने मुझ से मिलने से इन्कार कर दिया । जो आजकल डिप्टी कलक्टर हैं जब हम उनके पास जाते हैं हरिजनों के हकूक के लिये और रिप्रज़ेन्ट करते हैं तो वह इसको सरदर्द समझते हैं । तो ऐसी हालत में हमारे हुकूक के लिये कौन काम करेगा ? इन अफसरों के दिल में हरिजनों की भलाई करना नहीं है । हम इस कानून को बना लें लेकिन जो उस कानून पर अमल कराने वाले अफसर हैं उनके दिल म इसको अमल म लान की बात नहीं है । जब उनके ही दिल म यह बात नहीं है तो हम और लोगों पर कसे इसको लागू कर सकेंगे । अगर इन अफसरों से कहा जाता है तो वह सुनते नहीं । वही अफसर हैं, वही सवर्ण हैं । हमारे ऊपर जो ज्यादती होती है, अगर हम उसकी शिकायत करते हैं तो कोई नहीं सुनता और हमारे ऊपर मारपीट और होती है ।

हमारे ज़िले के अन्दर एक लेडी डाक्टर थी । वह ग़रीबों को अपने नज़दीक़ नहीं आने देती थी और खासकर हरिजनों को तो दूर रखती थी । एक हरिजन की लड़की बीमार हुई । उसको रात के बारह बजे अस्पताल ले जाया गया । लेकिन लेडी डाक्टर ने उसको देखा नहीं । जब वह मरने लगी तो उसका बाप उसके पास गया और कहा कि मेरी लड़की मर रही है लेकिन लेडी डाक्टर ने उसे नहीं देखा और कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं । यह सुनकर वह बेचारा बेहोश हो गया । वह लेडी डाक्टर के पास बहुत चिल्लाया और उसन बहुत सी बातें कीं । उसके बाद हरिजनों ने एक मैमोरेंडम अफसरों को दिया । उस पर इन्क्वायरी हुई और बहुत से बयान लेडी डाक्टर के सामने उसके खिलाफ दिये गये । लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उसका वहां से तरक्की पर तबादला कर दिया गया । अब आप देखिये कि हम लोगों की बात सुनने वाला कौन है । मैं चाहता हूं कि जो हुकूमत करने वाले हैं उन पर पहले यह कानून लगाया जाय । जब हुकूमत के अन्दर ये चीज़ें हैं तो यह कानून सवर्ण हिन्दुओं पर कैसे लागू हो सकता है । उनके मुकाबले हम क्या कर सकते हैं । हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनसे

[श्री अचलू]

कहा जाता है कि तुम क्यों पढ़ते हो । तुम मज़दूरी करो । उसके ऊपर जद्दोजहद चली । उसके बाद अब यह हालत है कि अगर बच्चों के कपड़े मैले होते हैं तो उनको स्कूल से हटा देते हैं, अगर उनका कपड़ा कुछ फटा होता है तो स्कूल से निकाल देते हैं । जब सरकारी मुलाज़िमों का यह हाल है तो हमारे साथ कैसे न्याय होगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि नलगोंदा ताल्लुक में खेते पेल्ली गांव में एक रोमन कैथोलिक मिशनरी है । पहले कुछ हरिजन रोमन कैथोलिक बन गये फिर वे हरिजनों में वापस आना चाहते थे । उस मिशनरी ने उनमें से दो को पकड़ कर पीटा । एक गांव छोड़ कर भाग गया । दूसरा मेरे पास पहुंचा । मैं उसे लेकर ए० एस० पी० के पास पहुंचा । उन्होंने सब इन्स्पेक्टर को लिख दिया । सब इन्स्पेक्टर मिशनरी के पास गया, उसके यहां एक रात मकाम किया और उसने कोई जांच नहीं की । स्वयं पादरी ने भी हरिजनों को भड़काया कि वे उसके खिलाफ बयान न दें । पादरी ने उनको डराया और धमकाया, उनकी बेइज्ज़ती की । उल्टा उस पादरी ने हरिजन पर मानभंग का दावा किया; और यह दावा अभी चल रहा है ।

हमारे धर्म मानने वाले आनरेबिल मेम्बर ने कहा कि हम लोगों में आज अनटचेबिलिटी नहीं है । जो हमारे ताल्लुक में ब्राह्मण हैं यदि उनके भोजन करते समय हरिजन का नाम भी लिया जाय तो वह भोजन छोड़ देते हैं । इतनी अनटचेबिलिटी है । आज धर्म का नाम लेते हुए वे लोग हरिजनों के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं ।

दूसरी चीज़ यह है कि हैदराबाद में गवर्नमेंट ने हम लोगों को कुछ ज़मीन दी हुई है । हैदराबाद में पुलिस ऐक्शन होने के बाद कांग्रेस के भाई और अपोज़ीशन के भाई दोनों ने कहा कि हरिजनों को सरकारी ज़मीन दी जाय । गुज़िश्ता साल से जो खास ज़मीनें थीं उन पर कुछ लोग काश्त कर रहे थे । लेकिन परसों यह कानून निकला है कि सन् १९५० के पहले के जो काबिज़ हैं उनको तो हक़ है लेकिन उसके बाद के जो हैं उनका हक़ नहीं है । यह कह कर उनको बेदखल किया जाता है, उन पर तावान लगाया जाता है और दूसरे तरीक़े से उनकी ज़मीनें ज़ब्त की जाती हैं । यह चीज़ हो रही है । ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर हमको दी जायं या न दी जायं लेकिन गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उनको भी हमारे पास नहीं रहने दिया जाता और उनसे हमको बेदखल किया जाता और हम पर तावान लगाया जाता है और फसलें ज़ब्त की जाती हैं और इस तरह परेशान किया जाता है । जो कुछ साल भर मेहनत करके खाने के वक्त नसीब हो रहा है उसको इस तरह से ले लिया जाता है । इसलिये जो ज़मीनात आज हमारे पास हैं और जिन पर हम गज़िश्ता साल से खेती कर रहे है वे हमारे पास छोड़ दी जानी चाहिय । और जो तावान लिया जाता है उसको रद्द करना चाहिये ।

दूसरी चीज़ यह है कि इन ज़मीनों का पट्टा मिलना चाहिये । उन लोगों को ज़राअत के लिये और सहूलियतें दी जानी चाहियें । उनको बीज मिलना चाहिये, खाद मिलनी चाहिये और उनको गवर्नमेंट को पैसा भी देना चाहिये ।

हमारे यहां ज्यादातर काम करने वाले हरिजन हैं । उनकी एक लेबर कोआपरेटिव सोसायटी भी बनी है । लेकिन उसको गवर्नमेंट कुछ भी मदद नहीं देती । जितना भी वर्क है वह ठेकदार को न देकर हरिजन लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी को ही दना

चाहिये। गवर्नमेंट को कोआपिरेटिव सोसायटी की भी मदद करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी हमारे एक कांग्रेस के भाई बोले हैं कि कांग्रेस वाले आजकल हरिजनों की दशा सुधारने के हेतु काम नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिये कि हम उनके बीच में काम करें और ज़मीन आदि के जो उनके झगड़े हैं उनको निबटाने का प्रयत्न करें। इस काम में अकेले कांग्रेस वालों को ही नहीं चलना है बल्कि देश की दूसरी पार्टियों को भी आगे आना चाहिये, अपोज़ीशन को भी इसमें शामिल होना चाहिये और सबको मिलकर हरिजन भाइयों के लिये सहूलियत और सुविधा पैदा करनी चाहिये। हम मिल कर उनको अच्छा रास्ता दिखायें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करें और उनको जमीन आदि दिलवाने का प्रबन्ध करें।

सभापति महोदय : कुमारी एनी मैस्करीन से बोलने को कहने से पूर्व मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण १० मिनट में ही समाप्त कर दें क्योंकि एक अन्य वक्ता को भी बोलने का अवसर प्रदान करना है।

कुमारी एनी मैस्करीन : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इन शब्दों पर आश्चर्य प्रकट नहीं करेंगे कि इस विषय के सम्बन्ध में कोई विधि लागू करना निरर्थक है। मैंने अपने राज्य में देखा है कि इसी प्रकार की विधि का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ यद्यपि उसमें दण्ड सम्बन्धी खण्ड विद्यमान था। माननीय मंत्री ने आरम्भ में ही कहा था कि यह उपाय दमनकारी है। निस्सन्देह विधेयक को पढ़ने से हमको ज्ञात होता ह कि विभाग १३ के अनुसार प्रत्येक अपराध हस्तक्षेप समझा जायेगा। इससे यह भास होता है कि इस दमनकारी उपाय को अपनाने में सरकार का यह उद्देश्य है कि भारतीय जनता जान जाय कि कांग्रेस सरकार ६ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों के बारे में विशेष चिन्तित है और वह उनके लिये एक विधि बनायेगी जिसको तलवार के ज़ोर से लाग किया जायगा। मैं सरकार के दृष्टिकोण की तो प्रशंसा करती हूं परन्तु इससे सहमत नहीं हूं कि तलवार के ज़ोर से व्यक्तियों को अनशासनपूर्ण किया जा सकता है।

समाज में यह कोढ़ प्राचीन काल से विद्यमान है। स्वयं मनुस्मृति में वर्णाश्रम धर्म के रूप में मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया है। मैं इस बात को नहीं मानती कि जैसा कि श्री नन्दलाल शर्मा ने कहा शास्त्रों में अस्पृश्यता सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। यद्यपि मैं ने शास्त्रों को नहीं पढ़ा परन्तु उनसे उद्धृत एक कहानी के आधार पर मै कहती हूं कि नन्दनार नामक एक हरिजन को मन्दिर में नहीं घुसने दिया गया था। इतिहास को पढ़ने से हमको ज्ञात होता है यह सामाजिक दोष सारे विश्व में रहा है और गौतम बद्ध, महावीर, ईसामसीह तथा बाद को लिंकन, मोहम्मद तथा महात्मा गांधी इत्यादि अनेक धर्म संस्थापकों ने इसको दूर करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु अस्पृश्यता उसी रूप में वर्तमान रही। महात्मा गांधी ने इसको दूर करने के लिये अपने आत्मबल तथा सत्याग्रह आन्दोलनों और आमरण अनशनों का सहारा लिया।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से एक बात और कहती हूं कि कुछ वर्ष पूर्व त्रावनकोर में हमें सार्वजनिक साक्षरता की योजना के साथ साथ इस समस्या से भी निपटना पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से काफी समय पूर्व त्रावनकोर में मन्दिरों के द्वार हरिजनों को खोल दिये गये थे। परन्तु यह काम इसलिये नहीं हुआ था कि इस में सद्भावना निहित थी अपितु इस कारण कि हरिजनों ने

[कुमारी एनी मैस्करीन]

यह धमकी दी थी कि वे ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। इस के पश्चात् प्रथम कांग्रेस मंत्रालय ने एक विधि पारित कर के और भी निर्योग्यतायें दूर कर दीं। अब वे स्वतन्त्रतापूर्वक पूजा कर सकते थे और होटलों में जा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं ने अपने होटल बन्द कर दिये। पिछले आम चुनाव के बाद मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों ने संघटित रूप से और विधि का सहारा ले कर इस का विरोध करना चाहा परन्तु वे सफल न हो सके यहां तक कि एक सभा में एक हरिजन नेता को, जो कि इस सम्बन्ध में भाषण दे रहा था, अच्छी तरह पीटा गया। जब मैं ने पुलिस प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में कुछ करने को कहा तो उन्हों ने स्पष्ट कह दिया कि विधि को पारित करना तो सरल है परन्तु उस की कार्यान्विति के लिये मनुष्यों के दिमागों को बदलने की आवश्यकता है। मैं ने विचार किया कि ठीक है, जब तक विधि के प्रतिपालन की भावना का उदय नहीं होता तब तक वह विधि व्यर्थ है। अतः सरकार को चाहिए हस्तक्षेप खण्ड सहित इस विधि को पारित करने से पूर्व वह उस की कार्यान्विति के बारे में पूर्ण निश्चय कर ले। यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि इस के लिये पुलिस इत्यादि की आवश्यकता नहीं। वास्तव में जो कुछ अपेक्षित है वह यह है कि व्यक्तियों के हृदय बदले जायें तथा उन को उदारता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाये। हरिजन वास्तव में वह व्यक्ति है जिस को आर्थिक कष्ट है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह उन के लिए भूमि का प्रबन्ध करे, निःशुल्क शिक्षा दे, नौकरियां दे तथा सर्वप्रकारेण उन को सुविधायें प्रदान करे। फिर भी इस विधि को प्रस्तुत करने के लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं क्योंकि इस विधि के पीछे सद्भावना और उत्तम उद्देश्य के भाव निहित हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय उपमंत्री से भाषण देने की प्रार्थना करूंगा परन्तु वे केवल दस मिनट ही लें क्योंकि माननीय गृह मंत्री के १ बजे भाषण देने से पूर्व एक या दो माननीय सदस्यों को और भी बोलना है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) उठे—

श्री साधन गुप्त : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मुझे अपने संशोधन की व्याख्या करने के लिये कुछ मिनट चाहिएं।

सभापति महोदय : यह बड़ा कठिन है परन्तु फिर भी मैं विचार करूंगा।

श्री दातार : मेरी इस चर्चा में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं थी परन्तु रामराज्य परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा कुछ गलत बातें उपस्थित की गई हैं। उन्हों ने कुछ ग्रन्थों से उद्धरणों को प्रस्तुत कर के यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि हिन्दू धर्म ने अछूतों के साथ कोई अन्याय नहीं किया। हमारे समक्ष सब से महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ 'मनुस्मृति' है जो कि हिन्दुओं की सर्वप्रथम और पूज्यनीय पुस्तक है। इसमें जीवन के आध्यात्मिक अंगों का विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह ग्रंथ वस्तुतः प्रशंसनीय है। महान मनु ने विधि और समाज के सम्बन्ध में भी कुछ नियम निर्धारित किये हैं। इस सम्बन्ध में भी विधि-निर्माण में उन का योग अनोखा और स्तुत्य है। परन्तु इन के अतिरिक्त कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन के प्रति हिन्दुओं में बहुत अधिक विद्रोह की भावना है। उन का सम्बन्ध धर्म से न हो कर सामाजिक दशाओं से है जिन के अनुसार मनुष्यों के कुछ वर्ग रहते हैं। ये अंश एक साधारण नागरिक के हृदय में भी विद्रोह की भावना पैदा कर सकते हैं। जहां तक हमारे इतिहास का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि हिन्दू समाज के सब पक्षपातरहित सदस्य.....

पंडित के० सी० शर्मा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब मनु ने इस महत्वपूर्ण विधि का निर्माण किया तब सारी दुनिया की दशा अत्यन्त शोचनीय थी और दासता इत्यादि की बुरी २ प्रथायें प्रचलित थीं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें ।

श्री दातार : उन्हीं दशाओं को स्थायी बनाना मनु के लिये उचित न था । मैं हिन्दुओं से यह निवेदन करूंगा कि मनुस्मृति के दसवें अध्याय को देखें कि उस में क्या कहा गया है ।

हमारे पूर्वजों ने अछूतों को चार वर्णों में नहीं रखा था । अछूत तथा अन्य शब्द क्षमा-प्रार्थना के रूप में प्रयोग किये जाते थे । यही बात नीचे के शब्दों से प्रकट होती है :

सर्वे ते दस्यवः स्मृताः

वर्तमान अछूतों के पूर्वज दस्यु कहलाते थे । दस्यु का अर्थ 'डाकू' है ।

५१वें श्लोक में यह कहा गया है कि वे गांवों में अथवा नगरों में नहीं रह सकते थे । उन को गांव अथवा नगर के बाहर रहना पड़ता था ।

"चंडालश्वपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।
"अपपात्राश्च कर्तव्या धनं तेषां श्वगर्दभम् ।।"

क्या आप को ज्ञात है कि उन का धन क्या था ? उन का धन था 'श्वगर्दभम्' अर्थात् वे केवल गधे या कुत्ते ही पाल सकते थे । आगे कहा गया है कि उन के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए तथा उन को झूठा भोजन ही खाने को मिलना चाहिए ।

लगभग ३००० वर्ष भारत की यह दशा थी । इसी कारण गांधी जी ने हिन्दु धर्म के द्वारा किये गये पापों के लिये प्रथम बार प्रायश्चित किया ।

जहां तक हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक नियमों का सम्बन्ध है उस के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है सब ठीक है परन्तु हम अपने प्रति तथा इतिहास के प्रति अन्याय करेंगे यदि हम यह कहते हैं कि हिन्दू धर्म ने इन लोगों के साथ अन्याय नहीं किया । यह शताब्दियों पुराना अन्याय है । इसी कारण गांधी जी ने हम सब लोगों से तपस्या करने को कहा था और वही हम को करना है ।

श्री वी० जी० देशपांडे: शास्त्रों के न समझने वाले ऐसे ही तर्क उपस्थित करते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मुझे श्री दातार की आखिरी स्पीच सुनकर यह ताज्जुब हुआ कि आया यह जो बिल है यह किस के लिये लाया जा रहा है ? क्या यह बिल अन्त्यजों के वास्ते है, क्या यह बिल दरअस्ल उन लोगों के वास्ते है जिन का डिस्क्रिशन अभी हम ने मनुस्मृति से सुना है । मैं तो इस बिल को देख कर हैरान हूं । जब हमने कान्स्टिट्यूशन बनाया तो हम ने चाहा था कि इस किस्म का बिल आये । उस वक्त हमने लिखा था दफा १७ में :

"अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उस का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । "अस्पृश्यता" के उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

हम ने दफा १७ में इतना लिखा था । बाकी जो फंडामेन्टल राइट्स थे वह सारे हिन्दुस्तान के वास्ते तकरीबन एकसा थे ।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो अनटचेबिलिटी बिल है यह फिल वाक्या कौन सी अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है ? ओब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में इस बिल के मेम्बर इन्चार्ज साहब ने यह लिखा है कि हम अन-टचेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते । हमें ही मालूम है कि यह अनटचेबिलिटी क्या है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं जनाब की खिदमत में बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी की जो डेफिनिशन बिल की दफा २ एफ में लिखी हुई है वह इतनी हैरानकुन है और इतनी गलत है कि एक मिनट के वास्ते भी हाउस उस को कबूल नहीं कर सकता है । अनटचेबिलिटी की तारीफ यह दी गई है :

"(च) 'अछूत' से अभिप्राय है किसी अनुसूचित जाति का घटक, संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२४) के अनुसार, और इस में वह अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो रूढ़ि अथवा प्रथा के आधार पर किसी समुदाय अथवा उस के उप-विभाग द्वारा अछूत समझा जाता है ।"

मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट वालों को अनटचेबिल कहा जा सकता है ? क्या यह छूये नहीं जाते हैं ? क्या यह चांडाल हैं ? क्या हम उन के हाथ नहीं लगाते । यह वही गलती है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी । लाला लाजपत राय ने इस के ऊपर सख्त प्रोटेस्ट किया था । उन्हों ने सारे शिड्यूल्ड कास्ट वालों को अनटचेबिल मान लिया था । हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के भाई यहां बैठे हैं । हम सब उन से मिलते हैं । वह अनटचेबिल की तारीफ़ में नहीं आते । शिड्यूल्ड कास्ट के लोग खुद भंगियों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो भंगियों से मिलते जुलते हैं ।

मैं ने हाउस में सिर्फ दो स्पीचेज़ अनटचेबिलिटी पर सुनी हैं, एक तो टंडन जी की और दूसरी बाल्मीकी जी की । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते हैं तो सोशल डिसएबिलिटीज़ को इस के साथ क्यों ले आये । मेरे यह कहने से यह मतलब नहीं है कि मुझे शिड्यूल्ड कास्ट वालों की डिसएबिलिटीज़ से हमदर्दी नहीं है । मैं तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मैं अपने प्रोपोजल पेश करूंगा । अगर आप अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहते हैं तो आप को फिल वाकै वैसा बिल लाना चाहिए था । आप देखें कि यहां जितने म्युनिसिपल ऐक्ट हैं उन में पबलिक यूटिलिटी की यह तारीफ दी गयी है कि अगर भंगी काम न करें तो उन को जेल में डाल दिया जाय । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारे काम को एक दूसरे से नहीं मिलाया जा सकता । अगर आप शिड्यूल्ड कास्ट वालों की सोशल डिसएबिलिटीज़ को दूर करना चाहते हैं तो उस के लिए एक दूसरा बिल लावें । लेकिन अनटचेबिलिटी जिस को हम एब्होर करते हैं वह इस बिल से हटने वाली नहीं है । इस में ऐसी बातें दी हुई हैं कि जिन का अनटचेबिलिटी से कोई तालुक नहीं है । इस का इलाज तो हमारे टंडन जी ने बताया है । इस बिल से अनटचेबिलिटी दूर नहीं होगी । जिन लोगों का इस में जिक्र है वह खुद अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं । फिर इस में लिखा है कि अभी गवर्नमेंट को पता लगाना है कि अनटचेबिल कौन कौन हैं । इस बिल में लिखा है : ".... और इस में वह अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो रूढ़ि अथवा प्रथा के आधार पर किसी समुदाय अथवा उस के विभाग द्वारा अछूत समझा जाता है ।" अभी तक गवर्नमेंट को पता नहीं है कि वे अनटचेबिल कौन हैं । मैं हैरान हूं कि यह किस तरह की बात है । क्या गवर्नमेंट यह कह सकती है कि यहां ६,४०,००,००० अनटचेबिल हैं । यह खिलाफ वाकयात है । अगर आप अनटचेबिलिटी को दरअस्ल दूर करना चाहते हैं तो सिम्पटम्स से क्यों लड़ते हैं । कोई ठीक कानून लाइये और बीमारी को जड़ से काटिये ।

एक और चीज है जो इतनी हैरान करने वाली तो नहीं है मगर फिर भी हैरान करने वाली है । इस के एक एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है :

"किसी अनुसूचित जाति का घटक जो धर्म-परिवर्तन द्वारा हिन्दू धर्म से किसी अन्य धर्म में प्रविष्ट कर लिया गया है, इस धर्म-परिवर्तन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'अछूत' समझा जायेगा ।

मैं इस को बिल्कुल नहीं समझा । मैं अदब से गुज़ारिश करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब जब व्याख्या करें तो इस को साफ कर दें ।

गृह-मंत्री तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है कि आप को समझा सकूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आनरेबिल मिनिस्टर ऐसा करने की अपने में ताकत नहीं समझते यह तो एक यूफिमिज्म है और इस के मानी यह हैं कि मैं समझ नहीं सकता । मैं मानता हूं कि मैं न समझ सकूं । लेकिन मेरी समझ में न आने की यह वजह भी हो सकती है कि यह बिल दुरुस्त न हो । यह हमारे कांस्टीट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है । कांस्टीट्यूशन की दफा २५ में दिया हुआ है कि: हर आदमी को अपनी रिलीजस फ्रीडम है, लेकिन यहां उस को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है । मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह कांस्टीट्यूशन की दफा २५ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस दफा के पार्ट १ में दिया हुआ है :

"२५ (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा ।

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो--"

"(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो ।"

हिन्दुओं के अन्दर जैन, बुद्ध, सिख शामिल किये गये हैं । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि आज अगर एक हिन्दू, जिस को कि आनरेबिल होम मिनिस्टर अनटचेबिल कहते हैं वह मुसलमान हो जाय या ईसाई हो जाय तो क्या वह उस को यह हक देना चाहते हैं कि वह इस कानून के लिए अनटचेबिल है और वह हिन्दुओं के मन्दिर में जा कर पवित्र-स्थान को हाथ लगावे, उस मन्दिर में पूजा करे ।

डा० काटजू : क्या वह करेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सवाल नहीं है । मैं जानता हूं कि आज मन्दिर खाली पड़े हैं । अगर यह अछूत मन्दिर में नहीं जायगा तो मुझे बतलाइये आप ने यह किस गरज से यह हिस्सा कानून का बनाया है । मैं एक ऐसे मन्दिर को जानता हूं कि जिस में एक ब्राह्मण को भी जाने की इजाज़त नहीं है । क्या इस की रू से आप उस शख्स को ऐसे मन्दिरों में जाने की इजाज़त देना चाहते हैं । इस में यह नहीं लिखा है कि हर एक आदमी जो कनवर्ट हो जाय वह जरूर वहां चला ही जायगा । लेकिन, अगर वह जाना चाहे तो रोकने वाला छः (६) महीने कैद हो सकेगा--मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह चीज़ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है ।

तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि कांस्टीट्यूशन की दफा १७ में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लिखा है कि अनटचेबिलिटी एबालिश हो गयी। और जो डिसएबिलिटी अनटचेबिलिटी की वजह से हो रही हो वह आफेंस मानी जायगी। अगर आप किसी चीज़ को ऐसा आफेंस बनाते हैं जो दफा १७ में आफेंस नहीं बनता तो वह दफा १४ के बखिलाफ जाता है।

इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि इस में तीन चार सवाल कांस्टीट्यूशनल ला के आ गये हैं जिन पर तवज्जह दी जानी चाहिए। अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनने को तैयार हूं।

मैं सिर्फ एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं। अगर आप अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते हैं तो कन्सेप्शन आफ कास्ट को भी हटा दीजिये। जब तक इस देश में कास्ट है तब तक अनटचेबिलिटी नहीं जा सकती गीता में लिखा है :

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः,
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।

अगर ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य रहेंगे.....

श्री आर० क० चौधरी (गौहाटी) : सूचनार्थ.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे बोलने दिया जाये।

श्री आर० के० चौधरी : चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस प्रक्रिया से अवगत हैं कि जब वक्ता बोले जाने का आग्रह कर रहा हो तो उन्हें अन्तर्बाधा न करनी चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जिस को यह कोट करते हैं उस में तो गुण कर्म विभागशः है। इस का यहां क्या सवाल है। चौधरी साहब के गुण और कर्म उन की ज़ात के मुताबिक नहीं हैं इस लिए उन को मैं छोड़ता हूं। तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जब तक यह कास्ट का कन्सेप्शन हिन्दू सोसाइटी में है या देश में रहेगा, यह नामुमकिन है कि अनटचेबिलिटी हट जाय। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो हर मौके पर कम्युनिलिज्म और कास्टइस्म और प्राविंशियलिज्म के खिलाफ जहाद करते हैं। मुझे यह निहायत पसन्द है। मैं चाहता हूं कि वह सिर्फ ज़बानी जहाद न करें। हमारे आनरेबिल डाक्टर काटजू साहब भी बहुत मौकों पर ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं तो यह अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि सिर्फ ज़बान से कहने से कुछ नहीं होगा। आप अमल से भी कुछ कर के दिखाइये। गवर्नमेंट बताये कि उस ने कितने इंटरकास्ट मैरिज एनकरेज किये। गवर्नमेंट बताये आया उस ने सोशल रिफार्म का कोई काम किया है, सोशल रिफार्म की मिनिस्ट्री कायम की है? मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप वाकै अछूतों की डिसएबिलिटीज़ को दूर करना चाहते हैं तो मैं उस के लिए चार नुस्खे बताना चाहता हूं। उन पर अमल कीजिये। मुझे आप के इस बिल से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं इस के लिए आप को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन चार बातों पर अमल कीजिये ताकि शिड्यूल्ड कास्ट वालों की डिसएबिलिटीज़ दूर हों। वह बातें ये हैं :

१. जितने स्कूल और कालिज हैं उन में इन को मुफ्त पढ़ाइये। सब को कम से कम मिडिल तक तो पढ़ाना ही चाहिए। जो होशियार लड़के हों उन को कालिज में मुफ्त पढ़ाया जाय और उन को मुफ्त होस्टल में रखा जाय।

२. दूसरी बात यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि देश में जितनी नौकरियां हैं उन के लिए अगर ठीक शिडयूल्ड कास्ट वाले मिलें तो

सारी नौकरियां शिडयूल्ड कास्ट वालों को दी जायं, पांच वर्ष के लिये ।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि हज़ारहा बीघा नई तोड़ी हुई ज़मीनें पड़ी हैं । जितने आप के गवर्नमेंट लैंड्स हैं अगर उन को आप लैंडलेस लेबरर्स को दे दें ताकि वह अपना गुज़ारा कर सकें तो मैं कहूंगा कि वह आप का सही क़दम होगा । लेकिन अगर आप यह न कर के सिर्फ़ उन के लिये यह अधिकार दिलाना चाहते हैं कि वह मंदिर में घंटा बजा सकें, तो मेरी राय में वह बीमारी का सही इलाज न होगा । मंदिरों में घंटा बजाने के दिन गुज़र गये, अब सवर्ण हिन्दू भी घंटा नहीं बजाते और अब घंटा बजाने की बात करना केवल प्रोपैगेन्डा के अतिरिक्त कुछ नहीं है । प्रोपैगेन्डा ही करना है तो सब से पहले इस बात का प्रचार करना चाहिये कि अनटचेबिलिटी हमारे समाज से दूर हो । आप समझते हैं कि आप ने ऐसा बिल ला कर इन के ऊपर मेहरबानी की है लेकिन यह बात नहीं है । दुनिया में और अमरीका में इस बिल को ले कर कोट किया जायगा कि हिन्दुस्तान में अनटचेबिलटी छै करोड़ ४० लाख आदमियों में है—और हमारा मुंह काला किया जायगा । यह अनटचेबिलिटी इतनी नहीं है, बल्कि एक सोशयल डिसएबिलिटी है जो दूर की जानी चाहिये । अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बिल को लाने से जो बिल्कुल ग़लत है, ख़िलाफ़ वाक़यात है और मैं तो समझता हूं कि इस बिल के लाने से आप कांस्टीट्यूशन के बरख़िलाफ़ चलते हैं । कांस्टीट्यूशन में आप ने दफ़ा ३६६ रखी है कि शेड्यूल कास्ट वह होंगे जिन को कि हमारे राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देंगे । ३४१ में आप ने एक दफ़ा रखी । मुझे आप कांस्टीट्यूशन में कोई दफ़ा ऐसी दिखलाइये जिस में शेडयूल कास्ट को अनटचेबुल्स क़रार दिया गया हो । आप का यह क़ानून इस में ऐसे लोगों को शामिल करता है जो बिल्कुल अनटचेबुल्स नहीं हैं, आप भड़भूंजों और चमारों को कहते हैं कि वह अनटचेबुल्स हैं, लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि वाक़या यह नहीं है । मैं जानता हूं कि कोई आदमी उन से परहेज़ नहीं करता, सब आदमी मिलते जुलते हैं । चमार काश्तकारी में सीरी होते हैं और उन से सब मिलते हैं ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर-झुंझनूं—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : ग़लत बात है चमारों, (मेघवालों) आदि की हालत राजस्थान में अति खराब है उन को छते भी नहीं लोग ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बिल्कुल सही चीज़ है ।

श्री बी० आर० वर्मा (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आप हमारे साथ चल कर देखिये कि चमार धोबियों के यहां क्या होता है (**अन्तर्बाधा**) ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह कंट्रोवर्सी का मामला है । मैं इस बिल के बरख़िलाफ़ नहीं । अगर कहीं किसी आदमी के साथ सोश्यल डिसएबिलिटीज़ हों तो उन को रिमूव करना चाहिये । मेरा हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी के साथ हम ऐसा बर्ताव करें जो बर्ताव हम अपने साथ मुनासिब नहीं समझते, मैं यह कभी नहीं चाहता लेकिन मैं एक रिएलिस्ट के तौर पर यह चाहता हूं कि आप इन की एकोनामिक हालत सुधारिये और उन को सब हक़ूक़ दीजिये और हिम्मत कर के यह काम कीजिये और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन की हालत बहुत जल्द सुधर जायेगी और यह समस्या हल हो जायगी । लेकिन इन चीज़ों से जो सिर्फ़ इस ला में पड़ी रहेंगी, इन की हालत नहीं सुधरने वाली है । मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से ऐसी बात कहता हूं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं यहां गुड़गांव कांस्टीटुएन्सी को रिप्रेजेन्ट करता हूं और आप को बतलाऊं कि यहां से कोई पन्द्रह मील की दूरी पर मेरे क्षेत्र में एक गांव मोलाहेडा है जहां पर एक हज़ार गज़ के अन्दर १०० घर अछूतों के और ऐसे कितने ही गांव मेरी कांस्टीटुएन्सी में पड़ते हैं, आप जा कर देखिये कि उन की क्या हालत है, उन की हाउसिंग डिफ़ीकल्टी कितनी एक्यूट है, उन के मकान जहां पर वह रहते हैं "हेल" हो रहा है, लेकिन क्या किया जाय, वहां के डिप्टी कमिश्नर सुनने को तैयार नहीं, कोई बड़ा अफसर तवज्जह नहीं देता। और गवर्नमेंट उन की बात सुनने को तैयार नहीं, कोई ला ऐसा नहीं जिस की रू से मैं कह सकूं कि उन की हालत दुरुस्त करें। मैं ने तवज्जह दिलाई कि "औफेंस विल बी कौग्निज़ेबुल"। अब गांव के अन्दर ऐसी सूरत हो रही है कि जब से हरिजन की भलाई का मूवमेंट चला है हरिजनों के ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाये जा रहे हैं। पुलिस अफसर और दूसरे अधिकारी जो वहां पर तैनात होते हैं वह सवर्ण होते हैं, तहसीलदार, थानेदार साहब सवर्ण होते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई इन की दादरसी करने को तैयार नहीं है और मैं कहूंगा कि यह आप का सारा का सारा "कौगनिज़ेबुल औफ़ेंस" महज़ काग़ज़ों पर ही धरा रह जायगा और उस पर अमल नहीं होगा। अगर आप सचमुच इन की हालत सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह ऊपर उठें, तो आप इन में से तहसीलदार बनाइये, थानेदार बनाइये और सोश्यल जस्टिस इन के साथ कीजिये और फिर आप देखेंगे कि आप के इस बिल पर सही तौर से अमल होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं ने जो तीन प्वाइंट आप के सामने रखे हैं उन पर गौर किया जायगा और इस मामले में सरकार की ओर से रिऐलिज्म दिखलायी जायगी। अगर अनटचेबिलिटी हटाना है तो सब से पहले सारे म्युनिसिपल लाज़ तबदील करने पड़ेंगे और भंगियों की अवस्था की ओर ध्यान देना होगा और उन को उठाना होगा। भंगी ही इस देश के अन्दर ऐसे लोग हैं जिन को अनटचेबुल्स कहा जा सकता है, ऐसे आदमी बहुत कम हैं जिन के छू जाने से हम परहेज़ करें। अब अनटचेबिलिटी देश में उतनी नहीं है जितनी कि समझी जाती है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री।

डा० काटजू : हम ने अनेक सुन्दर सुन्दर भाषण सुने (**अन्तर्बाधा**) परन्तु बाद का भाषण अत्यन्त विचारपूर्ण था। माननीय सदस्य ने मुझको उचित अनुच्छेद के पढ़ने के भार से मुक्त कर दिया। मेरे विचार में वे स्वयं संविधान निर्माणकर्ताओं में से एक हैं। यदि उन के कथनानुसार अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं है तो उन को संविधान में इस शब्द के प्रयोग का विरोध करना चाहिए था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने यह कब कहा कि अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं है ? मैं तो कहता हूं कि अस्पृश्यता है परन्तु शूद्र जाति के सब व्यक्ति अछूत नहीं हैं।

डा० काटजू : अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था और संसद् को यह निदेश दिया गया था कि वह इस बात को देखे कि उस से उत्पन्न होने वाली निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध समझा जायेगा। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है, अर्थात् अपराधों की घोषणा करना और उन के लिये दण्ड निर्धारित करना। यही मेरा उन सब भाषणों का उत्तर है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे ग्राम का निर्माण करना नहीं है जिस का कि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया। मैं उन को बताना चाहता हूं कि पिछले चार दिनों में ही मैं ने लगभग पांच गांवों का निरीक्षण किया है और मैं इतने हरिजन-घरों में गया हूं जितने घरों में शायद वे पांच साल के अन्दर भी न गये होंगे. . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री पूर्णतया गलती पर हैं। मैं ने अपने सारे जीवन में हरिजनों की सेवा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि वे केवल अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर के ही बोलेंगे अन्यथा कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

डा० काटजू : बहुत अच्छा। इस विधेयक का उद्देश्य अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली निर्योग्यताओं के लिये दण्ड निर्धारित करना है। बड़े सुन्दर सुन्दर सुझाव उपस्थित किये गये हैं। मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता, मेरे गुरु श्री टन्डन तथा अनेक सदस्यों ने गांव बसाने, भूमि देने, सिंचाई का प्रबन्ध करने इत्यादि की बातों को सामने रखा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने तो अत्यन्त सुन्दर सुझाव रखा जो मुझ को बहुत भाया कि पांच साल तक किसी ब्राह्मण तथा मुसलमान को किसी पद पर नियुक्त न किया जाये। उनका कहना है कि केवल तथाकथित अछूतों को ही नियुक्त किया जाये। संविधान में उपबन्ध किया गया है कि जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अनुच्छेद १५ के अनुसार जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों का सम्बन्ध है ऐसी विधियां बनाई जा सकती हैं या ऐसे पग उठाये जा सकते हैं जिन से अन्य लोगों के हितों की अपेक्षा उन के हितों की अधिक रक्षा की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रख कर यह सुझाव दे रहा था।

सभापति महोदय : यह ठीक है। आप ने इस बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिला दिया है। किन्तु इन वैधानिक प्रश्नों का निर्णय इस तरह तर्क-वितर्क करने से नहीं हो सकता।

डा० काटजू : माननीय सदस्य कहते हैं कि हरिजनों और अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए, १० वर्ष के लिए नियुक्तियां केवल उन्हीं में से की जायें। यह एक बहुत गम्भीर विषय है। किन्तु क्या यह सही है? जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस का उद्देश्य यह है कि सब निर्योग्यताओं को दंडनीय अपराध बनाया जाये। और जितने भी सुझाव दिये गये हैं, अर्थात उन्हें छात्रवृत्तियां दी जायें, उन के लिए शिक्षा निःशुल्क हो, उन के लिए अधिक स्थान सुरक्षित किये जायें, उन्हें भूमि दी जाये और उन में से १० लाख की एक भूसेना बनाई जाये, उन सब का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं। अनुसूचित जातियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के सुधारने के उपायों को इस विधेयक में नहीं लाया जा सकता। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुसरण में है। इस का कार्यक्षेत्र नहीं बढ़ाया जा सकता। आर्थिक स्थिति के सुधार का प्रश्न वास्तव में ग्राम सुधार का प्रश्न है। इस काम के लिए पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। इस विषय में इस अवसर पर आवाज़ उठाना उचित तरीका नहीं है।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है क्योंकि सब अनुसूचित जातियों को 'अस्पृश्य' घोषित किया गया है। यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति में जायेगा जिस के बहुत से सदस्य अनुसूचित जातियों के होंगे। मैं आप को वचन देता हूं कि यदि उन में से अनुसूचित जाति का कोई सदस्य यह कहे या इस आशय का संशोधन प्रस्तुत करे कि वह इस अधिनियम के अर्थ के अनुसार अछूत नहीं है, इस लिए 'अछूत' की परिभाषा को सीमित कर देना चाहिए, तो ऐसा कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य ने चमार का उदाहरण दिया है और कहा है कि वह अछूत नहीं है। किन्तु मुझ मालूम हुआ है

[डा० काटजू]

कि चमारों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता और प्रो० मुकर्जी भी कहते हैं कि कलकत्ता में कोई नाई चमार की हजामत नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि यदि अछूत की परिभाषा बहुत व्यापक है तो इसे आसानी से बदला जा सकता है या सीमित किया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि अछूत या अनुसूचित जाति का कोई सदस्य धर्म-परिवर्तन कर के ईसाई, मुसलमान आदि हो जाने पर वह मन्दिर में जा सकता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन का कहना है कि हिन्दुओं को खुश करने के लिए और इस विधेयक से लाभ उठाने के लिए एक अछूत जो मुसलमान बन चुका है, जानबूझ कर मन्दिर में जायेगा और रामचन्द्र या महादेव की पूजा करेगा। मैं पूछता हूं कि वह एक हिन्दू मन्दिर में क्यों जायेगा। यदि वह हिन्दू है तो वह जा सकता है। यदि वह हिन्दू नहीं है, तो इस का यह अर्थ है कि वह गड़बड़ पैदा कर रहा है। इसी बात के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। इन मामलों को प्रवर समिति में ठीक किया जा सकता है।

आर्थिक उन्नति के विषय में जो प्रश्न उठाये गये हैं, वे सब असंगत हैं। इस के लिए राज्य विधान सभाओं में विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि एक हरिजन मंत्रालय होना चाहिए। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए मुझ से अच्छा हरिजन मंत्री आप को नहीं मिलेगा। एक हरिजन मंत्री क्या करेगा? जब भी कोई मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है, उसे ३६ करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है, केवल अपनी जाति के लोगों के हितों का नहीं।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल इतना फिर कहूंगा कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, वे विधेयक के उद्देश्यों से संगत नहीं हैं। इस का सम्बन्ध 'सार्वजनिक स्थानों' या लोगों के सार्वजनिक जीवन से है। जहां तक लोगों के व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध है, आप कोई विधान नहीं बना सकते।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

सभापति महोदय : श्री साधन चन्द्र गुप्त तथा श्री पी० सुब्बा राव दोनों के संशोधन वाद-विवाद आरम्भ हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुए हैं इस कारण उन को सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिल सकती। अन्य संशोधनों के लिये मैं सम्बन्धित सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि उन के संशोधन प्रस्तुत किये जायं अथवा नहीं।

(श्री डी० सी० शर्मा, श्री एन० सोमना तथा श्री बोगावत ने सभापति की अनुमति से अपने अपने संशोधन वापस ले लिये)

सभापति महोदय : अब मैं गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है।

"कि अस्पृश्यता के आचरण या उस से उत्पन्न किसी अनर्हता का प्रवर्तन करने के लिये दंड विहित करने वाले विधेयक को सदनों के ४९ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में निम्न-लिखित ३३ सदस्य इस सभा के हों : श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री नारायण सादोबा कजरोल्कर, श्री टी० संगण्णा, श्री पन्नालाल बारुपाल, श्री नवल प्रभाकर, श्री अजित सिंह, श्री गणेशीलाल चौधरी, श्री बहादुर भाई कुंठा भाई पटेल, श्रीमती

मिनीमाता, श्री मोतीलाल मालवीय, श्री डोडा तिम्मय्या, श्री रामेश्वर साहू, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री राम दास, श्री नेमी शरण जैन, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री श्री नारायण दास, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बलवंत नगेश दातार, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगलागिरि नानादास, श्री पी० एन० राजभोज, राइट रैवरेंड जान रिचर्डसन, श्री ए० जयरामन, श्री वी० जी० देशपांडे, श्री वी० एस० मूर्ति, श्री विज्ञेश्वर मिश्र, श्री आर० वेलायुधन, श्री एन० एम० लिंगम्, श्री मोहन लाल सक्सेना, श्री एन० बी० चटर्जी, और डा० कैलास नाथ काटजू और १६ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो कि अध्यक्ष करे;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को संसूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १ सितम्बर, १९५४ को सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

D -HS -334 LSD -23-10-54 -285